46 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

46TH ANNUAL REPORT 2015-2016

भा.क.नि.

CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED





अनुक्रमणिका / Index

विषय / Particulars	Page No.
निदेशक मंडल Board of Directors	2
वरिष्ठ प्रबंधन टीम Senior Management Team	4
सूचना Notice	6
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Speech	8
निदेशक रिंपोर्ट Directors Report	18
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट अ Annexture A to Directors` Report	47
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट ब Annexture B to Directors` Report	54
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the CAG	61
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors` Report	62
वार्षिक लेखे Annual Accounts	78
बैंकों की सूची List of Banks	136
प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	137

निदेशक मंडल
(दिनांक 26-12-2016 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 26-12-2016)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी) / निदेशक (विपणन) Chairman cum Managing Director (Incharge)/ Director (Marketing)	**श्री एम. एम. चोक्कलिंगम** **Shri M. M. Chockalingam**
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Textiles	**श्री जे. के. दादू** **Shri J.K. Dadoo**
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय Joint Secretary, Ministry of Textiles	**श्री पुनीत अग्रवाल** **Shri Puneet Agarwal**
निदेशक (वित्त) Director (Finance)	**श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल** **Shri Pradeep Kumar Agarwal**

लेखा परीक्षक

मेसर्स प्रसाद आजाद एंड कं.
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
मेसर्स बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, मुंबई

AUDITORS

M/s. Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants, New Delhi
M/s. Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants, Mumbai

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.org.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.org.in
www.ministryoftextiles.gov.in



श्री बी.के.मिश्र
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (20.09.2016 तक)
Shri B. K. Mishra,
Chairman cum Managing Director
(Upto 20.09.2016)



श्री एम. एम. चोक्कलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी) (20.10.2016 से)
Shri M. M. Chockalingam,
Chairman cum Managing Director (Incharge)
(with effect from 20.10.2016)



श्री सुजीत गुलाटी, निदेशक
(11.06.2015 तक)
Shri Sujit Gulati, Director
(Upto 11.06.2015)



श्री राकेश कुमार सिन्हा, निदेशक
(11.06.2015 तक)
Shri Rakesh Kumar Sinha,
Director (Upto 11.06.2015)



श्री बी. पी. पाडें, निदेशक
(19.08.2015 तक)
Shri B. P. Pandey, Director
(Upto 19.08.2015)



श्रीमती अनु गर्ग, निदेशक
(23.11.2016 तक)
Smt. Anu Garg, Director
(Upto 23.11.2016)



श्री जे. के. दादू, निदेशक
(19.08.2015 से)
Shri J.K. Dadoo, Director
(With effect from 19.08.2015)



श्री पुनीत अग्रवाल, निदेशक
(23.11.2016 से)
Shri Puneet Agarwal, Director
(With effect from 23.11.2016)



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल,
निदेशक (वित्त)
Shri Pradeep Kumar Agarwal,
Director (Finance)



श्री एम. एम. चोक्कलिंगम,
निदेशक (विपणन)
Shri M. M. Chockalingam,
Director (Marketing)

वरिष्ठ प्रबंधन टीम
SENIOR MANAGEMENT TEAM

मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer	**श्री परमजीत सिंह, भा. रा. से.** **Shri Paramjeet Singh, I.R.S.**
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त) Chief General Manager (Finance)	**श्री मनोज बजाज** **Shri Manoj Bajaj**
मुख्य महा प्रबंधक (विपणन) Chief General Manager (Marketing)	**श्री ललित कुमार गुप्ता** **Shri Lalit Kumar Gupta**
मुख्य महा प्रबंधक (वाणिज्य / मासंवि) Chief General Manager (Commercial / HRD)	**श्री एस. के. पाणिग्राही** **Shri S. K. Panigrahi**
कंपनी सचिव Company Secretary	**श्री मो. जफर रिजवानी** **Shri Mohd. Zaffar Rizwani**

महा प्रबंधक / General Managers

(1) श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

(2) श्री एस. के. दास
Shri S. K. Das

(3) श्री अतुल काला
Shri Atul Kala

(4) श्री. यू.के. सिंह
Shri U.K. Singh

(5) श्री ए. के. श्रीवास्तव
Shri A. K. Srivastava

(6) श्री विशाल के. सिन्हा
Shri Vishal K. Sinha

उप महा प्रबंधक
Deputy General Managers

(1) श्री एस. के. बाजपेयी
Shri S. K. Bajpai

(2) श्री संजय कुमार
Shri Sanjay Kumar

(3) श्री प्रांजल पी. जोशी
Shri Pranjal P. Joshi

(4) श्री अजय कुमार
Shri Ajay Kumar



श्री परमजीत सिंह, भा. रा. से.
मु.स.अ.
Shri Paramjeet Singh, I.R.S.
C.V.O.



श्री मनोज बजाज
मु.म.प्र.(वित्त)
Shri Manoj Bajaj
C.G.M. (Finance)



श्री ललित कुमार गुप्ता
मु.म.प्र.(विपणन)
Shri Lalit Kumar Gupta
C.G.M. (Marketing)



श्री एस. के. पाणिग्राही
मु.म.प्र.(वाणिज्य / मासंवि)
Shri S. K. Panigrahi
C.G.M. (Commercial / HRD)



श्री मो. जफर रिजवानी
कंपनी सचिव
Shri Mohd. Zaffar Rizwani
Company Secretary

सूचना

N O T I C E

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक **सोमवार दि. 26 दिसंबर 2016 को 11.00 बजे, कपास भवन प्लॉट नं.3ए,सेक्टर-10,सी.बी.डी.बेलापुर,नवी मुंबई-400614** में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

सामान्य व्यवसायः

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित विवरणी, तुलन-पत्र तथा निदेशकों व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अनुसार संबंधित विवरणियाँ और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त और स्वीकार करना ।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रिजवानी)
(कंपनी सचिव)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 17.12.2016

NOTICE is hereby given that the **46th Annual General Meeting of the members of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held on 26th December 2016 at 11.00 a.m. at Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai - 400 614** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Company for the year ended 31st of March, 2016, the Balance Sheet as at that date and Directors' report and Auditor's Report alongwith other related documents and comments of Comptroller & Auditor General of India thereon in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

2. To declare dividend for the financial year 2015-16.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 17.12.2016

नोट्स:

1. बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के हकदार अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना **आवश्यक नहीं है** ।

2. बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पास सदस्य का प्रॉक्सी पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए । प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के अंत में दिया गया है।

3. यदि संयुक्त नाम पर अथवा विभिन्न रजिस्टर्ड फोलियो में शेयर्स हो, तो मुख्य धारक /प्रथम संयुक्त धारक वही है तो ऐसे मामले में केवल प्रथम संयुक्त धारक अथवा ऐसे धारक द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो मामला कैसा भी हो उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रिजवानी)
कंपनी सचिव

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 17.12.2016

प्रति,
कंपनी के सभी सदस्य, निदेशक तथा लेखा परीक्षक

NOTES:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF. SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

2. PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. THE PROXY FORM IS ENCLOSED AT THE END OF NOTICE TO AGM.

3. In case of shares held in joint names or shares held under different registered folios wherein the name of the sole holder/first joint-holder is same, only the first joint-holder/sole holder or any proxy appointed by such holder, as the case may be, will be permitted to attend the meeting.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 17.12.2016

To,
All Members, Directors & Auditors of the Company

निगम की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 46TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

प्रिय शेयरधारकों,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

आपके निगम ने अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं, कर्मचारियों के समर्पित व अनुभवी संगठन से कपास मौसम 2015-16 की चुनौतियों का सामना करते हुए संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की ।

1. कपास परिदृश्य

विश्वीय

आईसीएसी रिलीज दिनांक 02.05.2016 के अनुसार विश्व कपास एकरेज गत वर्ष 34.10 मिलियन हैक्टर्स के सामने

Dear Shareholders,

It gives me an immense pleasure to welcome you all on behalf of the Board of Directors of the Corporation and also on my own behalf to this 46th Annual General Meeting of The Cotton Corporation of India Limited ('CCI'). The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March, 2016 have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

Your Corporation, with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet the challenges of Cotton season 2015-16 creating value for the organization and gaining further strength..

1. COTTON SCENARIO:

Global

World cotton acreage in 2015-16 has decreased by around 8.6% to 31.16 million hectares as

2015-16 में 8.6: की कमी के साथ 31.16 मिलियन हैक्टर्स रहा । कपास के अधीन एकरेज में कमी से विश्व कपास उत्पादन में 21.98 मिलियन मैट्रिक टन्स की मार्जिनल कमी हुई ।

वर्ष 2015-16 में विश्व कपास उपभोग चीन द्वारा कपास यार्न आयात की कमजोर मांग तथा पॉलिस्टर की कम दरों के कारण पिछले वर्ष 24.33 मिलियन मैट्रिक टन के सामने 3% घटकर 23.67 मिलियन मैट्रिक टन होने की आशा है ।

जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 22.09 मिलियन मैट्रिक टन्स के सामने जुलाई, 2016 की समाप्ति पर कम उत्पादन, विश्वव कपास स्टॉक्स 7.6: घटकर 20.40 मिलियन मैट्रिक टन्स का अनुमान लगाया गया है ।

against 34.10 million hectares in previous year. With this decrease in acreage under cotton, world production has also decreased to 21.98 million metric tons.

World cotton consumption in 2015-16 is also expected to less by around 3% to 23.67 million tons as against 24.33 million metric tons in previous year due to weakened demand for cotton yarn imports by China and low polyester prices.

As a result of less production, world cotton stocks at the end of July 2016 are forecast less by 7.6% to 20.40 million metric tons as against 22.09 million metric tons during previous year.

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

उत्तरी अंचल व मध्य अंचल में अन्य उपज में बदलने, उत्तरी अंचल में सफेद कीढे लगने, गुजरात में पिंक बॉल-वार्म लगने के कारण तथा कपास उत्पादन के क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के फलस्वरूप गत वर्ष 128.46 लाख हैक्टर की तुलना में 7% की गिरावट के साथ समग्र कपास क्षेत्रफल लगभग 119.10 लाख हैक्टर्स हुआ । उपरोक्त कारणों की वजह से उपज पर बुरा असर पड़ा तथा उत्पादकता में भी गत वर्ष 2014-15 में 511 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर के सामने 482 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर के स्तर तक कमी पायी गई । जिसके परिणामस्वरूप देश में वर्ष 2014-15 के दौरान 386 लाख गॉठों के कपास उत्पादन के सामने कमी के साथ यानि 338 लाख गॉठें हुई ।

2. माँग और आपूर्ति स्थितिः

देश में कपास मौसम 2015-16 के दौरान कपास की उपलब्धता 419.00 लाख गाँठें अनुमानित रही तथा उसके साथ 43 लाख गाँठों का अवशेष स्टॉक और कपास का उत्पादन 338 लाख गाँठें और अनुमानित आयात 15.00 लाख गाँठें शामिल है ।

Domestic

Acreage, production and productivity of cotton:

In cotton season 2015-16, the overall acreage under cotton has decreased by around 7% to 119.10 lakh hectares in comparison to 128.46 lakh hectares in 2014-15 due to switching over to other crops in Northern & Central zone, white fly attack in Northern zone, pink boll-worm attack in Gujarat region and rain deficit across the cotton belt. Due to above reasons, Crop has adversely affected and productivity also decreased to the level of 482 kgs/ha as against 511 kgs/ha in 2014-15. As a result, cotton production in the Country has decreased to 338 lakh bales as against 386 lakh bales during 2014-15.

2. DEMAND & SUPPLY SITUATION:

Total availability of cotton in the country in cotton season 2015-16 has been estimated at 419.00 lakh bales which include carry over stock of 43 lakh bales, crop production at 338.00 lakh bales and estimated imports of 15.00 lakh bales.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश से कपास निर्यात बढ़ने की अपेक्षा है । पडोसी देशों यानि पाकिस्तान, बंगलादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया इतयादि से कपास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए गत वर्ष 57.72 लाख गॉठों के सामने 68 लाख गॉठों के साथ 18% बढ़ने की अपेक्षा है ।

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेत्तर उपभोग शामिल है) 3% घटौती के साथ 419 लाख गाँठें हुआ (गत वर्ष 433.39 लाख गाँठों के विरूध्द) तथापि देश में निर्यात में वृद्धि की वजह से कपास मौसम 2015-16 में कपास की कुल विलुप्तता 376 लाख गाँठें बतायी गई जबकि गत वर्ष यह 367.16 लाख गाँठों की थी ।

कपास मौसम 2015-16 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2016 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 43 लाख गाँठें लगाया गया है, (यानि लगभग 45 दिनों की मिलों की खपत) जबकि पिछले वर्ष यह 66.23 लाख गाँठें था ।

सरकारी उपाय :

कपास मौसम 2014-15 के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 102 (आरई-2013)/2009-14 एवं 103(आरई-2013) /2009-14 दि.08.12.2014 द्वारा कपास व कपास यार्न के निर्यात के लिए संविदा हेतु डीजीएफटी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता को रद्द किया गया है । जिसके फलस्वरूप निर्यातकर्ताओं समय और लागत की बचत हुई ।

3. मूल्य प्रवृत्तिः

देशी मूल्य प्रवृत्ति :

विश्व बाजार में कपास मूल्यों पर प्रमुख उत्पादन व खपत करनेवाले देश जैसे चीन, यू.एस इत्यादि में माँग आपूर्ति का काफी प्रभाव पड़ा ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कपास यार्न तथा टेक्सटाईल प्रोडक्ट्स की देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय कम मांग व चाईना से कपास के कम आयात को देखते हुए अक्तूबर

During the year under review, cotton exports from the Country are expected to rise by 18% to the level of 68 lakh bales as against 57.72 lakh bales during the previous year due to increasing demand for cotton from our neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, etc.

Total cotton consumption in the country (including mill, small scale units and non-textile consumption) has declined by 3% to 419 lakh bales(as against 433.39 lakh bales in previous year) however, due to increase in exports from the country, the total disappearance in cotton season 2015-16 has been 376.00 lakh bales as against 367.16 lakh bales in previous year.

The carry forward stock as at the end of the cotton season 2015-16 i.e., 30th September, 2016 has been estimated at 43 lakh bales (i.e. around 45 days mills consumption) as against 66.23 lakh bales in previous year. .

Government Measures:

For Cotton Season 2014-15, the Govt. of India vide Notification No. 102 (RE-2013)/2009-14 & 103 (RE-2013)/2009-14 dated 08.12.2014, has abolished the requirement of registration with DGFT for contract for export of cotton & cotton yarn which has resulted in reduction of time and cost to the exporters.

3. PRICE TREND:

Domestic Price Trend:

Cotton prices in the global markets are largely influenced by the demand-supply situation in major producing and consuming countries like China, US etc.

During the year under review, due to poor demand for cotton, yarn and textile products domestically and internationally and also less import of cotton to China the prices of lint were remain subdued

से अप्रैल 2016 तक रूई के मूल्य धीमे रहे । मई से जुलाई 2016 के मध्य तक कपास मूल्यों ने चढ़ना आरंभ किया । मिलों द्वारा उनकी क्षीण मौसम की आवश्यकता को कवर करने की वजह से तथा मार्केट में अच्छी गुणवत्ता की कपास, पिछले वर्ष की तुलना में कम पैदावार तथा देरी से मानसून आने व वर्ष 2016-17 कपास मौसम हेतु कपास क्षेत्र में 8% से 9% गिरावट व देश में कपास की कमी होने की अफवाह को देखते हुए ट्रेडर्स व उपक्रमों द्वारा प्रोफिट बुकिंग को देखते हुए कपास मूल्यों में अद्धितीय चचंलता दिखाई दी ।

तत्पश्चात् दि.15 जुलाई, 2016 को भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के एमएसएमई यूनिट्स को भाकनि कपास का शेष स्टॉक बेचने से संबंधित निर्णय लेने से कपास मूल्य सहज होने आरंभ हुए तथा जुलाई, 2016 की समाप्ति तक लगभग 2000/-रू. से 2500/-रू. प्रति कैंडी तक मूल्यों में घटौती हुई ।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

वर्ष 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कॉटलुक ए इंडेक्स में बताये अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे ।

कॉटलुक ए सूचकांक के अनुसार वर्तमान कपास मौसम में अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम रहे । दिनांक 1 अगस्त, 2015 को कॉटलुक ए सूचकांक का प्रारंभिक मूल्य पिछले वर्ष 72.15 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी के विरूध्द 72.10 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी रहा । कपास मैसम के आरंभ से ही मूल्य स्थिर रहे । तत्पश्चात् 69.87 यूएस सेंट्स/एलबी के औसत से 66.40 यूएस सेंट्स/एलबी से 74.10 के रेंज में रहे । जुलाई माह में कपास मूल्य महीने के दूसरे पखवाड़े से शेष कपास मौसम में 70 यूएस सेंट्स/एलबी की औसत से घटते बढ़ते रहे । वर्ष 2015-16 हेतु कॉटलुक ए इंडेक्स 70.51 यूएस सेंट्स/एलबी के अंतिम औसत मूल्य से समाप्त हुआ जो

from October till end of April 2016. Cotton prices started moving upward from the month of May upto mid of July 2016, there was unprecedented volatility in cotton prices due to panic buying by the Mills to cover their lean season requirements and good quality cotton from the market, lower production in comparison to previous year and delay in monsoon coupled with decrease in area under cotton by 8 to 9% for ensuing cotton season 2016-17 and profit booking by traders/MNCs with hoax for shortage of cotton in the Country etc.

Thereafter, with the decision of the Govt. of India, Ministry of Textiles on 15th July 2016 to sell the balance stock of CCI to MSMEs Units, the cotton prices started getting easy and reduced by around Rs.2000/- to 2500/- per candy by the end of July 2016 which has resulted reducing the panic situation created from the volatility in cotton prices.

International price trend:

The international cotton prices, as measured by Cotlook A index, in 2015-16 had been ruling lower as compared to the corresponding period last year.

The international cotton prices, as measured by Cotlook A index, in current cotton season have been ruling below as compared to the corresponding period last year. The opening price of Cotlook A index as on 1st August 2015 was 72.10 US cents per lb as against 72.15 US Cents per lb in previous year. It remained relatively stable in the beginning of cotton season. Thereafter, it was ruling in the range from 66.40 US C/lb to 74.10 with an average of 69.87 US C/lb. In the month of July, the cotton prices fluctuated to over 80 cents/lb in the second half of July 2016 from an average of 70 cents/lb for the rest of season. The Cotlook A Index for 2015-16 has expired on 31st

पिछले वर्ष 70.78 यूएस सेंट्स/एलबी के औसत के सामने सममूल्य पर है ।

4. निगम का कार्य-निष्पादनः

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यः

जब कभी प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, आपका निगम भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा उन्हें ऑफर की गई संपूर्ण कपास मात्रा खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करता है।

कपास मौसम 2015-16 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मूलभूत स्टेपल ग्रुप में लगभग 50 रू. यानि 2% की वृध्दि की ।

कपास मौसम के दौरान दक्षिण व मध्य क्षेत्र में कम वर्षा के कारण तथा न बिकी हुई व्यापक मात्रा के कारण दक्षिण क्षेत्रों, महाराष्ट्र, एम.पी., उड़ीसा व गुजरात के सुदूर केंद्रों पर सीमित समय यानि अक्तूबर से नवंबर, 2015 तक के सीमित समय के लिए कपास मूल्य एमएसपी स्तर को छूने लगे जिसके परिणामस्वरूप भाकनि ने 8.44 लाख गॉठों की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परिचालन किया ।

वाणिज्यिक कार्य-कलापः

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने की स्थिति में, आपका निगम वाणिज्यिक कार्य-कलाप सम्पूर्णतः स्वयं की जोखिम पर प्रारम्भ करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा अपनी नियमित खरीददार मिलों की यानि संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की पूर्ति की जा सके।

वर्ष 2015-16 के दौरान भाकनि ने कपास उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस परिचालन किया तथा वाणिज्यिक खरीदी नहीं की गई ।

July 2016 with a final average value of 70.51 US C/lb which is at par as against average of around 70.78 US Cents per lb in the previous year.

4. PERFORMANCE OF THE CORPORATION:

MSP Operations:

As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India.

For cotton season 2015-16, Government of India had increased the MSPs by Rs. 50/- i.e. around 2% in basic staple groups as compared to previous year.

During the cotton season due to shortfall of rains in Southern and Central region and huge unsold stocks cotton prices touched the level of MSP in Southern regions followed by remote centres of Maharashtra, MP, Orissa & Gujarat for limited period of time i.e. October to November 2015. As a result, the Corporation had to undertake MSP operation to the tune of 8.44 lakh bales.

Commercial operations:

In the absence of MSP operations, the Corporation undertakes viable commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

During 2015-16, CCI undertake massive MSP operation in all the cotton growing States and there was no commercial operation.

देशी बिक्री:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने स्टाक के परिसमापन में व्यावहारिक दृष्टिकोण जारी रखा जिससे कॉटन स्टाक के परिसमापन में सहायता मिली । लीन कपास मौसम के दौरान मार्केट ट्रेंड ऊपर होने के कारण निगम पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में 4.20 लाख गाँठों के सामने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 85.47 लाख गाँठों की बिक्री करने में सफल हुआ एवं बेहतर वसूली कर पाया ।

बिक्री टर्न-ओवर:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 5389 .27 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूध्द 17066.97 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है । निगम ने ग्राहकों को बिक्री से पूर्व तथा उसके पश्चात् बेहतर सेवाएँ देने तथा अच्छी गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता मिलों से सीधे व्यावहारिक बिक्री की योजना को निरंतर जारी रखा ।

मूल्य परिवर्धन :

आपका निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टिरियों में संसाधित कपास सुनिश्चित किए जाने द्वारा वस्त्रं उद्योग को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की संदूषण मुक्त कपास उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है । समीक्षागत वर्ष के दौरान मिलों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तथा निगम अपना कपास स्टॉक प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है ।

5. विकासशील गतिविधियाँ:

जैसा कि आप जानते हैं, वृध्दित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृध्दि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है ।

Domestic Sales:

During the year under review, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the cotton stocks. The Corporation has succeeded in selling 85.47 lakh bales in FY 2015-16 as against 4.20 lakh bales in the previous FY 2014-15 due to upward market trend during the lean cotton season and get thebetter realization.

Sales Turnover:

During the year under review, the turnover of the Corporation had been Rs.17066.97 crores as against the turnover of Rs.5389.27 crores in the previous year. The Corporation continued to pursue the policy of pragmatic sales, directly to consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre and post sales services to the customers.

Value Addition:

Your corporation is always committed to provide contaminants free best quality cotton to the textile Industry by ensuring the processing of all its cotton in Modernized Ginning & Pressing Factory. During the period under review, the response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium.

5. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities.

6. वित्तीय परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान (कर के पश्चात) 22.59 करोड़ रूपये के शुध्द लाभ के सामने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निगम ने (कर के पश्चात) 11.69 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त किया ।

निरंतर अच्छे निष्पादन को देखते हुए आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त लाभ पर 30% पेड-अप शेयर कैपिटल यानि कुल 3.51 करोड़ रूपये के लाभांश की सिफारिश की है ।

7. निगमित सामाजिक दायित्वः

वर्ष 2015-16 के दौरान आपके निगम ने महाराष्ट्र , तमिलनाडू, उड़ीसा व कर्नाटक में कई सीएसआर गतिविधियों का कार्य किया जैसे :

- महाराष्ट्र राज्य (अकोला व औरंगाबाद शाखाओं के माध्यम से) तथा उड़ीसा राज्य में रायगढ़ा शाखा के माध्यम से उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए रनिंग वाटर की सुविधा सहित शौचालय बनवाने का कार्य किया है । जिस पर कुल 34.38 लाख रू. खर्च हुए ।
- महाराष्ट्र (अकोला तथा औरंगाबाद शाखा के माध्यम से) उड़ीसा (रायगढ़ा शाखा के माध्यम से) राज्य/केंद्र बोर्ड द्वारा संचालित पिछली उच्च (माध्यमिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर कपास उत्पादक के मूल परिवारों की कन्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 90,000/-रू. उपलब्ध करवाना ।
- एफएलडी के साथ संविदागत खेती वर्ष 2015-16 के दौरान निगम ने बेहतर उपज व कपास की गुणवत्ताए हेतु 2015-16 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लक्ष्यय हेतु रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्टए के अंतर्गत एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदागत खेती करने का निर्णय लिया है । निगम ने महाराष्ट्रए (शा.का. औरंगाबाद के अधीन), कर्नाटक (शा.का.हुबली के अधीन) तथा तमिलनाडु (शा.का.कोयंबतूर के

6. FINANCIAL RESULTS:

During the financial year 2015-16, the Corporation has earned a net profit of Rs. 11.69 crores (after tax) as against the profit of Rs. 22.59 crores (after tax) in the financial year 2014-15.

In view of continued good performance of the Corporation, the Board of Directors of the Corporation have recommended dividend @ 30 per cent of net profit aggregating to Rs.3.51 crores during the FY 2015-16.

7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During 2015-16, your Corporation had undertaken various CSR activities in the State of Maharashtra, Tamil Nadu, Orissa & Karnataka like:

- Construction of toilets for girls in High/Higher Secondary Schools with running water facility in the States of Maharashtra (through Akola & Aurangabad Branch) and Orissa (through Rayagada Branch) in total expenditure of Rs.34.38 lakhs.
- Scholarship worth Rs.90,000/- to girls students from primary producers family based on the marks secured in last higher secondary examination conducted by State/ Central Board in the States of Maharashtra (through Akola & Aurangabad Branch) and Orissa (through Rayagada Branch).
- Contract Farming with FLD programme under Rural Development project targeted for CSR activities 2015-16 for betterment of yield/ quality of cotton in backward areas in the State of Maharashtra (under Branch Aurangabad), Karnataka (under Branch

अधीन) राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदा खेती का कार्यक्रम किया है जिसपर 8.64 लाख रू. का कुल व्योय किया ।

- इसके अलावा निगम ने स्वच्छ भारत कोष में 25 लाख रू. तथा क्लीन गंगा फंड में 8 लाख रू. का अंशदान दिया है ।

अतः सीएसआर गतिविधियों पर कुल 76.92 लाख रू. का व्यय हुआ ।

8. निगमित शासनः

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

9. भावी परिदृश्यः

लंबे अरसे से भारत कपास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कपास उत्पादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

भावी कपास मौसम 2016-17 में कपास क्षेत्रफल 110-11 लाख हैक्टर की रेंज में 7% से 8% कम होने की आशा है जो उत्तरी अंचल में सफेद कीढ़े लगने तथा गुजरात क्षेत्र में पिंक बॉल वर्म का डर व अन्य उपजों जैसे गुवार, सोयाबीन, मूंगफली, दालें इत्यादि में बदलने तथा मध्य व दक्षिण क्षेत्रों में देरी से आयी वर्षा के कारण होगा । तथापि समग्र कपास क्षेत्र में जुलाई माह से सामान्य वर्षा की वजह से कपास क्षेत्रफल में घटौती के बावजूद 340-345 लाख गॉठों के स्तर तक वास्तविक उत्पादन तथा समग्र उपज में वृद्धि की संभावना है ।

Hubli) and Tamil Nadu (under Branch Coimbatore) for which total expenditure was Rs.8.64 lakhs.

- Besides this, your Corporation has contributed Rs. 25 lakhs towards Swachh Bharat Kosh and Rs. 8 lakhs towards clean Ganga Fund.

Thus, the total expenditure on CSR activities was Rs.76.92 lakhs.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the corner stones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

9. FUTURE OUTLOOK:

Over the years, India has emerged as a key player in the cotton sector at international level, as the world's largest cotton producer, consumer as also a net exporter of cotton.

In the ensuing cotton season 2016-17, the acreage under cotton is expected to decrease by around 7% to 8% in the range of 110-11 lakh hectares due to fear of pest attacks viz white fly in Northern zone and pink boll worm Gujarat region switching over to other crops like Guar, Soyabean, Pulses, Groundnut etc and delayed rains in Central & Southern region. However, due to wide spread above Normal rains from the month of July in entire cotton belt, overall yield is expected to increase and actual production may increase to the level of 340-345 lakh bales despite decline in cotton acreage.

विश्व स्तर पर :

कपास मोसम 2016-17 में कपास के अधीन लगभग 4% गिरावट के साथ 29.98 मिलियन हैक्टर होने की आशा है जबकि 2015-16 में 31.16 मिलियन हैक्टर था । कपास उपज लगभग 5% गिरावट के साथ 22.45 मिलियन मे.टन होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष 23.67 मिलियन मे.टन था । विश्वीय कपास व्यापार वृद्धि के साथ 7.49 मिलियन टन्स होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष यह 7.36 मिलियन टन्स था ।

10. भावी योजनाः

बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन तथा अन्य कारणों की वजह से देश में कपास अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा में वृध्दि हुई है निगम भी आगामी वर्षो में विवेकपूर्ण योजनाएँ अपनाकर इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए तैयार है ।

11. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, संयुक्त सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ । निगम की कार्य प्रणाली के संबंध में हाल ही में स्थापित ट्रेंड को कायम रखा गया जिसके सहयोग के बिना यह प्राप्त करना संभव नहीं था ।

समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।

At world level:

Acreage under cotton in cotton season 2016-17 is expected to decrease by around 4% to 29.98 million hectares as against 31.16 million hectares in 2015-16. Cotton production is expected to decrease by around 5% to 22.45 million MT as against 23.67 million MT. World cotton export is expected to increase marginally to 7.49 million tons as against 7.36 million tons in previous year.

10. FUTURE PLANNING:

Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such competition in the coming years by adopting prudent business policies.

11. ACKNOWLEDGEMENT

I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.

I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Joint Secretary (Textiles) and other officials of Ministry of Textiles, Officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner and his officials, but for which to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to the working of the Corporation, would not have been possible.

I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Member, Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of accounts of the Corporation for the year under review.

मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलें जिन्होंने कपास मौसम वर्ष 2015-2016 के दौरान अपनी आवश्यकता अनुसार कपास की खरीद की है तथा इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।

इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबध्दता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

सधन्यवाद,

हस्ता.
(एम. एम. चोक्कलिंगम)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 26.12.2016

Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2015-16, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations for the cooperation extended to the Corporation.

I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

Sd/-
(M. M. Chockalingam)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR (INCHARGE)

Place: Navi Mumbai
Date : 26.12.2016

वर्ष 2015-16 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2015-16

प्रति,

सदस्यगण,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर 46वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

1.1 कपास मौसम 2015-16 (अक्तूबर, 15 से सितंबर,16) की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम 2015-16 (अक्तूबर, 15 से सितंबर,16) का आरंभ 66.00 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉपक के साथ हुआ, जो मिल की 2½ माह की खपत के लिए ही काफी थी। खरीफ फसल वर्ष 2015-16 के दौरान उत्तरी व मध्य अंचल में अन्यी फसलों में बदलने, उत्तरी अंचल में सफेद कीडे लगने, गुजरात क्षेत्र में पिंक बोल वार्म तथा समग्र कपास क्षेत्र में कम वर्षा के कारण कपास क्षेत्रफल में 7% कमी के साथ 119.10 लाख हैक्टर्स था ।

(ii) कपास क्षेत्रफल में आयी कमी व प्रचलित कृषि जलवायु की स्थितियों के आधार पर 13 जुलाई, 2016 को आयोजित कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) की पिछली बैठक में कपास मौसम 2014-15 के दौरान 386 लाख गॉठों के उत्पादन के विरूद्ध देश में 338 लाख गाँठ कपास उत्पादन के अनुमान में संशोधन किया है । इस वर्ष की कपास स्थिति के मुख्य लक्षण नीचे दिए अनुसार हैं -

(क) उत्तरी राज्यों में 2014-15 में 15.55 लाख हैक्टर्स के विरूद्ध कपास के अधीन क्षेत्रफल में 6% की कमी के साथ 14.61 लाख हैक्टर्स था । क्षेत्रफल में यह कमी राजस्थान में लगभग 8% गिरकर 4.48 लाख हैक्टर्स दर्शाती है ।

To,

The Members,
The Cotton Corporation of India Limited

Your Directors have immense pleasure in presenting the 46th Annual Report on the working of your Corporation together with the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2016, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors alongwith their report thereon.

1. COTTON SITUATION

1.1 The highlights of the cotton season 2015-16 (Oct-15 to Sept-16) are as under:

(i) Cotton season 2015-16 (i.e. Oct-15 to Sept-16) was commenced with a carryover stock of 66.00 lakh bales, which was just enough to meet 2½ month's mill consumption. In kharif crop season 2015-16, the acreage under cotton has decreased by around 7% to 119.10 lakh hectares due to switching over to other crops in Northern & Central zone, white fly attack in Northern zone, pink boll-worm attack in Gujarat region and rain deficit across the cotton belt.

(ii) Due to decrease in acreage under cotton and based on prevailing agro-climatic conditions, the Cotton Advisory Board (CAB) in its last meeting held on 13th July 2016 revised its estimated cotton production in the country at 338 lakh bales as against production of 386 lakh bales during cotton season 2014-15. The salient feature of this year's cotton scenario is as follows:

(a) Acreage under cotton cultivation in Northern states has reduced by 6% to 14.61 lakh hectares as against 15.55 lakh hectares in 2014-15. The decrease in acreage has been more in Rajasthan

(पिछले वर्ष 4.87 लाख हैक्टर के विरूध्द) तथा हरियाणा व पंजाब में 5% की गिरावट के साथ 6.15 लाख हैक्टर दर्शाती है (पिछले वर्ष 6.48 लाख हैक्टर के विरूध्द) तथा 3.98 लाख हैक्टर (पिछले वर्ष क्रमशः 4.20 लाख हैक्टर) क्षेत्रफल में गिरावट का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा तथा सफेद कीड़े लगना है ।

उपरोक्त कृषि जलवायु स्थिति, सफेद कीड़े लगने तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक फसलों में बदलने के कारण उत्तरी अंचल में कपास उत्पादन वर्ष 2014-15 में 53 लाख गाँठों के सामने 29% यानि 37.20 लाख गॉठें कम होने की अपेक्षा है । कपास उत्पापदन में यह गिरावट मुख्यतः पंजाब में लगभग में 42% गिरकर 7.5 लाख गॉठें (पिछले वर्ष 13 लाख गॉठों के सामने) तथा हरियाणा में 35% की गिरावट के साथ 15 लाख गाँठें (वर्ष 2014-15 के दौरान 23 लाख गॉठों के सामने) अनुमान लगाया गया है । राजस्थान में कपास उत्पामदन 12% की गिरावट के साथ 15.00 लाख गाँठें दर्शाता है ।

(ख) मध्य अंचल के क्षेत्र में पिछले वर्ष यानि 2014-15 में 75.37 लाख हैक्टर की तुलना में 6% की गिरावट के साथ 70.93 लाख हेक्टर्स दर्शाता है । इस क्षेत्रफल में यह घटौती मुख्यतः महाराष्ट्र में लगभग 8.7 प्रतिशत की कमी यानि 38.27 लाख हैक्टर थी । (2014-15 में 41.90 लाख हैक्टर्स के सामने) जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में क्षेत्रफल पिछले मौसम के समान था । कपास क्षेत्रफल में इस घटौती का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक फसलों में बदलना रहा ।

उपरोक्त कृषि जलवायु स्थिति के आधार पर गुजरात अंचल में पिंक बोल वार्म द्वारा फसल में क्षति होने के कारण उत्पादन पिछले वर्ष 211 लाख गाँठों के सामने 11% की कमी के साथ 187 लाख गाँठें अपेक्षित है । कपास उत्पादन में यह गिरावट मुख्यतः गुजरात में 16% हुई यानि गत वर्ष 112.00 लाख गाँठों के सामने 94 लाख

by around 8% to 4.48 lakh hectares (as against 4.87 lakh hectares in previous year) and in Haryana & Punjab by around 5% to 6.15 lakh hectares (as against 6.48 lakh hectares in previous year) & 3.98 lakh hectares (as against 4.20 lakh hectares in previous year) respectively. The main reason for reduction in area was insufficient rains and white fly pest attack.

Based on above agro climatic condition, crop damage by white fly pest attack and switching over to other competing crops; the cotton production is expected to be down in Northern zone by 29% i.e. 37.20 lakh bales as against 53 lakh bales in 2014-15. The decline in cotton production has been estimated mainly in Punjab by around 42% to 7.5 lakh bales (as against 13 lakh bales during last year) and in Haryana by 35% to 15 lakh bales (as against 23 lakh bales during 2014-15). The cotton production in Rajasthan has decreased by around 12% to 15.00 lakh bales.

(b) In central zone area has reduced by 6% i.e. 70.93 lakh hectares as against 75.37 lakh hectares in 2014-15. The decrease in cotton acreage has been mainly in Maharashtra by around 8.7 % to 38.27 lakh hectares (as against 41.90 lakh hectares of 2014-15). While acreage in Gujarat, Madhya Pradesh & Orissa has been almost at par with previous season. The main reason for reduction in area was insufficient rains and switching over to other competing crops.

Based on above agro climatic condition, crop damage by Pink Bollworm attack in Gujarat region, the production is also expected to be lower by 11% i.e. 187 lakh bales as against 211 lakh bales of last year. The decrease in cotton production has been mainly in Gujarat i.e. 16% to 94 lakh bales

गाँठें थी । महाराष्ट्र में कपास उत्पादन 79.00 लाख गाँठें होने की अपेक्षा है जो गत वर्ष के 80.00 लाख गाँठों से थोड़ी कम है तथा मध्य प्रदेश व उड़ीसा में कपास उत्पादन 5% गिरकर पिछले वर्ष के समान यानि क्रमशः 18.00 लाख गॉठें होगा । उड़ीसा में कपास उत्पादन पिछले वर्ष के यानि 3 लाख गॉठों के समान होने की अपेक्षा है ।

(ग) दक्षिण अंचल में कपास के अधीन क्षेत्रफल पिछले वर्ष 35.96 लाख हैक्ट्र्स के विरूद्ध लगभग 12% गिरावट के साथ 31.81 लाख हैक्टर दर्शाता है । क्षेत्रफल में यह गिरावट कर्नाटक में लगभग 30% की गिरावट के साथ 6.11 लाख हैक्टर्स दर्शाती है (वर्ष 2014-15 में 8.75 लाख हैक्टर) आंध्र प्रदेश में 19.25% की गिरावट के साथ 6.63 लाख हैक्टर्स दर्शाती है । (पिछले वर्ष 8.21 लाख हैक्टर्स के सामने) जबकि तेलंगाना व तमिलनाडु के क्षेत्रफल में क्रमशः 17.78 लाख हैक्टर व 1.29 लाख हैक्टर की गिरावट हुई । यह घटौती मानसून देरी से पड़ने व अपर्याप्त वर्षा के कारण हुई ।

मानसून देरी से आरंभ होने तथा दक्षिण राज्यों में अपर्याप्त वर्षा के कारण इस क्षेत्र में कपास उत्पादन 7% की गिरावट के साथ 108.50 लाख गाँठें अपेक्षित है जबकि पिछले वर्ष 117 लाख गाँठें दर्शाता है । कपास उत्पादन में यह घटौती कर्नाटक में दिखती है जहॉ उत्पादन में पिछले वर्ष 34 लाख गाँठों के सामने 41% गिरावट के साथ 20 लाख गॉठें अपेक्षित है जबकि आंध्र प्रदेश में 9% गिरावट के साथ 24 लाख गाँठें दर्शाता है (पिछले वर्ष 26.5 लाख गाँठों के सामने) तेलंगाना में व तमिलनाडु में कपास उत्पादन पिछले वर्ष यानि क्रमशः 59.5 लाख गाँठें व 5 लाख गॉठों के समान अपेक्षित है ।

(घ) देश में उत्कृष्ट लंबे और अतिरिक्त लंबे तंतु की कपास में 8 से 10 लाख गॉठों के समग्र उपभोग के विरूध्द इस स्टेपल ग्रुप में देशी कपास उत्पादन

as against 112.00 lakh bales in previous year. In Maharashtra the cotton production is expected to be 75.00 lakh bales which is less by 6% than previous year's 80 lakh bales and in Madhya Pradesh, production is less by 5% to 18 lakh bales. While in Orissa, the cotton production is expected to be at par with previous season i.e. 3 lakh bales.

(c) In Southern zone, the acreage under cotton has decreased by around 12% to 31.81lakh hectares as against 35.96 lakh hectares in the previous year. Acreage has decreased largely in Karnataka by around 30% to 6.11 lakh hectares (as against 8.75 lakh hectares in 2014-15), in Andhra Pradesh by around 19.25% to 6.63 lakh hectares (as against 8.21 lakh hectares in previous year). While in Telangana & Tamil Nadu, acreage has been 17.78 lakh hectares & 1.29 lakh hectares respectively. The reduction is due to delayed Monsoon & insufficient rains.

Due to delayed Monsoon & insufficient rains in Southern States, the cotton production in this zone is expected to decrease by around 7% to 108.50 lakh bales as against 117 lakh bales during previous year. The decrease in cotton production has been significant in Karnataka where production is expected to decrease by 41% to 20 lakh bales as against 34 lakh bales during previous year; while in Andhra Pradesh it is expected to be lower by 9% to 24 lakh bales (as against 26.5 lakh bales during last year). In Telangana & Tamil Nadu Cotton production is expected to be 59.5 lakh bales & 5 lakh bales respectively,

(d) In superior long and extra long staple cottons, as against the overall consumption of around 8 to 10 lakh bales in the country, the domestic cotton

लगभग 3 से 4 लाख गाँठों पर रूका हुआ है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस स्टेपल ग्रुप में घटे हुए क्षेत्रफल के कारण है । इसके कारण वस्त्रोद्योग मिलों ने इस श्रेणी की कपास का यू.एस.पीमा, ईजिप्शियन गिजा आदि से 5 से 6 लाख गाँठों की सीमा तक कपास का आयात किया है ।

1.2 कपास मौसम 2014-15 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 50/-रू. यानि 1% की वृध्दि की । मीडियम स्टेपल ग्रुप (24.5 एमएम से 25.5 एमएम स्टेपल लेंथ 4.3 से 5.1 माईक्रोनेयर) में एमएसपी 3750/-रू. प्रति क्विंटल से 3800/-रू. प्रति क्विंटल की वृध्दि हुई तथा लाँग स्टेपल ग्रुप (29.5 एमएम से 30.5 एमएम 3.5 से 4.3 माईक्रोनेयर में पिछले वर्ष में 4050/-रू. प्रति क्विंटल के सामने 4100/-रू. प्रति क्विंटल वृध्दि की गई ।

2. वित्तीय परिणाम

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 5389.27 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूध्द 17066.97 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

	2015-16	2014-15
देशी बिक्री (लाख गॉठों में)	85.47	4.20
निर्यात बिक्री (लाख गॉठों में)	0.67	0.00
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	17066.97	5389.27
कर के बाद लाभ/हानि (करोड़ रूपयों में)	11.69	22.59

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1(एसओ) (सीएआरई ए वन प्लस (संरचित बाध्यता) रहा है यानि 25,000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

production in this staple group remained stagnant at around 3 to 4 lakh bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh. This has led to imports of cotton in this category by the textile mills mainly for US Pima, Egyptian Giza etc. to the extent of 5 to 6 lakh bales.

1.2 For cotton season 2015-16, the Government of India has increased the Minimum Support Prices (MSPs) by Rs. 50/- i.e. around 1% in comparison to previous year. In medium staple group (24.5mm to 25.5mm staple length with mic 4.3 to 5.1), the MSP has been increased to Rs.3800/- per quintal from Rs.3750/- per quintal and in the case of long staple group(29.5mm to 30.5mm with mic. 3.5 to 4.3), the same has been increased to Rs.4100/- per quintal as against Rs.4050/- per quintal during previous year.

2. FINANCIAL RESULTS

2.1 During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs. 17066.97 crores as against the previous year's turnover of Rs. 5389.27 crores.

2.2 The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2015-16	2014-15
Domestic Sales (in lakh bales)	85.47	4.20
Export sales (in lakh bales)	0.67	0.00
Turnover (in Rs. crores)	17066.97	5389.27
Profit/(Loss) after tax (in Rs. Crores)	11.69	22.59

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1+(SO)[CARE A One Plus](Structured Obligation) i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 25,000/- crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 लाभांश तथा आरक्षित में अंतरण :

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के ईक्विटी शेयर कैपीटल के 30% लाभांश यानि 3.51 करोड़ रूपये की सिफारिश की है । लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा ।

3. वर्ष 2015-16 में कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) ने अपनी 13 जुलाई, 2016 को आयोजित बैठक में कपास मौसम 2015-16 के दौरान 338 लाख गॉठों के अनुमानित कपास उत्पादन तथा उसके साथ 66.00 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक और 15.00 लाख गॉठों के अनुमानित आयात से कपास उपलब्धता का अनुमान 2015-16 में सीएबी द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के अनुसार 419.00 लाख गाँठें रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 433.39 लाख गाँठे थी ।

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 308.00 लाख गाँठें लगाया गया है और 68.00 लाख गाँठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2015-16 में कपास की कुल विलुप्तता 376.00 लाख गॉठें बतायी गयी है, जबकि पिछले वर्ष 367.16 लाख गाँठें थे । इस प्रकार कपास मौसम 2015-16 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2016 अवशेष स्टॉक का अनुमान 43 लाख गाँठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 66 लाख गाँठें (पिछले वर्षो के शेष स्टॉक के समायोजन के पश्चात) था । कपास सलाहकार मंडल ने निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है :

2.4 DIVIDEND AND TRANSFER TO RESERVES:

Your Directors for the Financial Year 2015-16, recommend Dividend of 30% on the Profit After Tax (PAT) of the Company earned during financial year 2015-16 i.e., Rs. 3.51 crore. The dividend shall be paid after seeking approval of the Shareholders at the Annual General Meeting of the Company.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2015-16.

With cotton production of 338 lakh bales estimated by Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 13th July 2016 added with carryover stock of 66.00 lakh bales and estimated imports of 15.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2015-16, as per cotton balance sheet drawn by CAB has been estimated at 419.00 lakh bales as against 433.39 lakh bales in previous year.

With total estimated cotton consumption in the country (including mill, small scale mill units and non-textile consumption) at 308.00 lakh bales and estimated exports of 68.00 lakh bales, total disappearance in cotton season 2015-16 has been estimated at 376.00 lakh bales as against 367.16 lakh bales in previous year. Thus, the carry over stock, as at the end of the cotton season 2015-16 i.e. 30th September 2016, has been estimated at 43 lakh bales as against 66 lakh bales (after adjustment in spill-over stock over the years) in previous year. The cotton balance sheet as drawn by CAB is as follows:

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति

	फसल वर्ष (अक्तू. से सितंबर	
विवरण	**2015-16**	**2014-15**
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	66.00	33.00
कपास फसल	338.00	386.00
आयात	15.00	14.39
कुल उपलब्धता	**419.00**	**433.39**
मांग		
मिल उपभोग	274.00	278.06
छोटी मिल उपभोग	24.00	26.38
मिलेतर उपभोग	10.00	5.00
कुल उपभोग	**308.00**	**309.44**
निर्यात	68.00	57.72
कुल विलुप्तता	376.00	367.16
आगे लाया गया	**43.00**	**66.23***

*66.23 राऊंडेड 66.00

स्रोतः कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) की दि.02.02.2016 को आयोजित बैठक

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

विश्व बाजार में कपास मूल्यों पर प्रमुख उत्पादन व खपत करनेवाले देश जैसे चीन, यू.एस इत्यादि में माँग आपूर्ति का काफी प्रभाव पड़ा । समीक्षागत वर्ष के दौरान कपास, यार्न और वस्त्रोद्योग उत्पाद की देशीय तथा अंतर्देशीय घटी हुई मांग तथा अंतर्राष्ट्रीय व चीन को लघु आयात के कारण भी रूई के भाव नीचे रहे । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य (मासिक औसत) की गति नीचे दिए अनुसार हैं :

Quantity in lakh bales of 170 kgs.

	CROP YEAR (Oct. to Sept.)	
PARTICULARS	**2015-16**	**2014-15**
SUPPLY		
Opening stock	66.00	33.00
Cotton crop	338.00	386.00
Imports	15.00	14.39
TOTAL AVAILABILITY	**419.00**	**433.39**
DEMAND		
Mill consumption	274.00	278.06
Small Mill consumption	24.00	26.38
Non-mill consumption	10.00	5.00
Total consumption	**308.00**	**309.44**
Exports	68.00	57.72
TOTAL DISAPPEARANCE	**376.00**	**367.16**
CARRY FORWARD	**43.00**	**66.23***

*66.23 is rounded to 66.00

Source: Cotton Advisory Board (CAB) Meeting held on 02.02.2016

4. DOMESTIC PRICE TREND

Cotton prices in the global markets are largely influenced by the demand-supply situation in major producing and consuming countries like China, US etc. During the year under review, due to poor demand for cotton, yarn and textile products domestically and internationally and also less import of cotton to China the prices of lint were remain subdued. The movements of cotton lint prices (monthly average) for important varieties are as follows:

(मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot)

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बीबी BB	डीसीएच-32 DCH-32
अक्तूबर / October, 2015	32333	31366	32465	32653	44840
नवंबर / November, 2015	31536	31430	32209	32465	44957
दिसंबर / December, 2015	32258	32347	33222	33226	45455
जनवरी / January, 2016	32991	32959	33674	34388	49072
फरवरी / February, 2016	32379	32454	33453	34620	49253
मार्च / March, 2016	31906	31515	32674	34232	48393
अप्रैल / April, 2016	33261	32870	33976	35825	49346
मई / May, 2016	34918	34730	35317	37475	50164

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / **Source**: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी किया गया नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करता रहा और इसकी भूमिका पिछले वर्ष की तरह जारी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निर्यात वचनबध्दता को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2 जब कभी कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार कपास उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करता है । भारत सरकार ने कपास मौसम 2015-16 के लिए 50/-रू. यानि मीडियम स्टेपल व लाँग स्टेपल कपास के लिए गत वर्ष की तुलना मे लगभग 1% वृध्दि की है ।

वर्तमान कपास मौसम के दौरान कपास के भरमार आरंभिक स्टॉक तथा वर्ष के आरंभ से ही देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कमजोर मांग के कारण

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit:
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments.

5.2 As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs). For Cotton Season 2015-16, Govt. of India increased the MSP rates by Rs. 50/- i.e. around 1% for the Medium Staple & Long Staple Cotton as compared to previous cotton season.

Due to huge beginning stock and subdued demand in domestic as well as international market in the initial period during current cotton season, cotton prices touched the

दक्षिण क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व गुजरात के सुदूर क्षेत्रों में कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुंच गए जबकि अन्य राज्यों में कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊँचे होने के कारण इन राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परिचालन की आवश्यकता नहीं थी । तथापि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में आपके निगम ने प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक पहुँच जाने के लिए आपने लगभग 300 खरीद केंद्रों के नेटवर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यो का संचालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखा जिसके परिणामस्वरूप कपास मौसम 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत आपका निगम 8.44 लाख गॉठें खरीद कर पाया ।

5.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कपास की मांग धीमी रही । तथापि आपके निगम ने लगभग 86.14 लाख गाँठों का परिसमापन किया । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम की खंडवार बिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं :

(मात्रा लाख गॉठों में)

	2015-16	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2014-15	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	02.19	02.54	01.28	30.48
एसटीसी/को.ऑप.	01.57	01.82	00.38	09.05
निजी/व्यापारियों	82.38	95.64	02.54	60.47
कुल	**86.14**	**100.00**	**04.20**	**100.00**

5.4 कपास ट्रेड को बढावा देने के इरादे से भारत सरकार ने देश से कपास आयात का उदारीकरण किया तथा उसे ओजीएल के अधीन रखा । इसके अतिरिक्त दिनांक 8 दिसंबर, 2014 से कपास के निर्यात के लिए डीजीएफटी से पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है । भारत अपने पडोसी देशों जैसे चीन, बंगलादेश, विनटनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टर्की इत्यादि देशों के कपास की मांग व कपास निर्यात हेतु उनकी हाई कमीशन के साथ कार्रवाई कर रहा है । सीएबी ने दिनांक 13.07.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कपास आयात गत वर्ष 57.72 लाख गाँठों के सामने वर्ष 2015-16 हेतु

level of MSP in Southern regions and at remote locations of Maharashtra, MP, Orissa & Gujarat. While in other States, cotton prices were ruling much above the MSP level and necessity of MSP operation is negligible in these States. However, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations, your Corporation had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of more than 300 procurement centres in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level. As a result, your corporation could manage to procure around 8.44 lakh bales under MSP operations in the cotton season 2014-15.

5.3 During the year under review, the demand for cotton has remained subdued. However, your Corporation could liquidate around 86.14 lakh bales. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:

(Quantity in lakh bales)

	2015-16	% of to total sales	2014-15	% of to total sales
NTC	02.19	02.54	01.28	30.48
STC/COOP	01.57	01.82	00.38	09.05
Private/Traders	82.38	95.64	02.54	60.47
TOTAL	**86.14**	**100.00**	**04.20**	**100.00**

5.4 As a part of measures to boost cotton trade, the Government of India has liberalized raw cotton exports from the country and the same is under Open General Licence (OGL). Besides this, with effect from 8th December, 2014 registration requirement with DGFT (Directorate General of Foreign Trade) for export of cotton has also been dispensed with Government of India is pursuing with High Commissions of various neighboring countries like China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Thailand, Turkey etc for their cotton requirement and importing cotton from India. The CAB in its meeting held on 13.07.16 has estimated cotton exports

68.00 लाख गाँठों का अनुमान लगाया है । आपके निगम ने बड़े आयात करने वाले देशों जैसे चीन, बंगलादेश इत्यादि देशों से निर्यात संभावनाएँ खोजने के लिए व्यापारिक बातचीत द्वारा निर्यात प्रोत्साहन करने के प्रयास जारी रखें ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 आईसीएसी रिलीज दिनांक 02.05.2016 के अनुसार विश्व कपास एकरेज गत वर्ष 34.10 मिलियन हैक्टर्स के सामने 2015-16 में 8.6% की कमी के साथ 31.16 मिलियन हैक्टर्स रहा । कपास के अधीन एकरेज में कमी से विश्व कपास उत्पादन में 21.98 मिलियन मैट्रिक टन्स की मार्जिनल कमी हुई । वर्ष 2015-16 में विश्व कपास उपभोग चीन द्वारा कपास यार्न आयात की कमजोर मांग तथा पॉलिस्टरर की कम दरों के कारण पिछले वर्ष 24.33 मिलियन मैट्रिक टन के सामने 3% घटकर 23.67 मिलियन मैट्रिक टन होने की आशा है ।

जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 22.09 मिलियन मैट्रिक टन्स के सामने जुलाई, 2016 की समाप्ति पर कम उत्पादन, विश्व कपास स्टॉक्स 7.6% घटकर 20.40 मिलियन मैट्रिक टन्स का अनुमान लगाया गया है । अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के चालू वर्ष तथा पिछले 2 वर्ष के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

मिलियन मेट्रिक टन में

	2013-14	2014-15	2015-16
विश्व का आरंभिक स्टॉक	18.32	20.49	22.22
विश्व उत्पादन	26.18	26.12	21.81
विश्व उपभोग	23.76	24.33	23.65
विश्व निर्यात	08.98	07.65	07.37
विश्व आयात	08.72	07.60	07.37
विश्व का अंतिम स्टॉक	20.49	22.22	20.38

स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, 1 जून,2016)
* अनुमानित **प्रक्षेपित

from the country in 2015-16 at 68.00 lakh bales as against around 57.72 lakh bales in 2014-15. Your Corporation has continued efforts by holding trade talks with major importing countries viz, China, Bangladesh etc. to explore export possibilities.

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION

6.1 As per ICAC release dated 02.05.16, world cotton acreage in 2015-16 has decreased by around 8.6% to 31.16 million hectares as against 34.10 million hectares in previous year. With this decrease in acreage under cotton, world cotton production has also decreased to 21.98 million metric tons. World cotton consumption in 2015-16 is also expected to less by around 3% to 23.67 million metric tons as against 24.33 million metric tons in previous year due to weakened demand for cotton yarn imports by China and low polyester prices.

As a result of less production, world cotton stocks at the end of July 2016 are forecast less by 7.6% to 20.40 million metric tons as against 22.09 million metric tons during previous year. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the current year and last two years is as under:

In million metric tons

	2013-14	2014-15	2015-16
World beginning stocks	18.32	20.49	22.22
World Production	26.18	26.12	21.81
World consumption	23.76	24.33	23.65
World exports	08.98	07.65	07.37
World imports	08.72	07.60	07.37
World ending stocks	20.49	22.22	20.38

Source: ICAC (Cotton This Month, 1st June, 2016)
* Estimated **Projected

6.2 अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति :

कॉटलुक ए सूचकांक के अनुसार वर्तमान कपास मौसम में अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम रहे । दिनांक 1 अगस्त, 2015 को कॉटलुक ए सूचकांक का प्रारंभिक मूल्य पिछले वर्ष 72.15 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी के विरूध्द 72.10 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी रहा । आईसीएसी ने कॉटलुक ए सूचकांक 66-74 सेन्टस् प्रति एलबी मौसम के औसत पर प्रक्षेपित किया है । आईसीएसी ने मिड पाईंट रेंज में भी गत वर्ष 71 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी औसत से लगभग 1.4% निचले स्तर पर यानि 70 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पर प्रक्षेपित किया है ।

चालू वर्ष तथा पिछले 2 वर्ष के लिए कॉटलुक ए इंन्डेक्स का माहवार औसत नीचे दिये अनुसार हैं:

			यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में
वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16***
अगस्त	92.71	74.04	71.76
सितंबर	94.60	73.38	68.74
अक्तूबर	89.35	70.34	70.34
नवंबर	84.65	67.53	69.22
दिसंबर	87.49	68.38	70.35
जनवरी	90.96	67.47	68.84
फरवरी	94.05	69.84	66.57
मार्च	96.89	69.33	65.50
अप्रैल	94.20	71.58	69.28
मई	92.75	72.90	70.38
जून	90.90	72.35	--
जुलाई	83.70	72.26	--
वर्ष औसत	**91.02**	**70.78**	**69.07**
स्रोतः कॉटलुक			
* 31 मई ,2016 तक की स्थिति			

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधन :

आपका निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टररियों में संसाधित कपास सुनिश्चित किए जाने द्वारा वस्त्र उद्योग को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की संदूषण मुक्त कपास उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है । समीक्षागत

6.2 International price trend:-

The international cotton prices, as measured by Cotlook A index, in current cotton season have been ruling below as compared to the corresponding period last year. The opening price of Cotlook A index as on 1st August 2015 was 72.10 US cents per lb as against 72.15 US Cents per lb in previous year. The ICAC has projected the seasons' average of Cotlook A Index in the range of 66-74 US cents/lb. The ICAC has also projected mid-point at 70 US Cents per lb i.e. lower by around 1.4 % as against average of around 71 US Cents per lb in the previous year.

The details of month-wise average Cotlook A Index for current year and last two years is given as follows:

			यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में
Year	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16***
August	92.71	74.04	71.76
September	94.60	73.38	68.74
October	89.35	70.34	70.34
November	84.65	67.53	69.22
December	87.49	68.38	70.35
January	90.96	67.47	68.84
February	94.05	69.84	66.57
March	96.89	69.33	65.50
April	94.20	71.58	69.28
May	92.75	72.90	70.38
June	90.90	72.35	--
July	83.70	72.26	--
Yearly Avg.	**91.02**	**70.78**	**69.07**
Source: Cotlook			
*Position upto 31st May, 2016			

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON:

Your corporation is always committed to provide confirmation free best quality cotton to the textile Industry by ensuring the processing of all its cotton in Modernized Ginning & Pressing Factory.

वर्ष के दौरान मिलों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तथा निगम अपना कपास स्टॉक प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है ।

8. भंडारणगृह परिसर :

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गाँठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कपास के निर्यात को देखते हुए एक गोदाम कीभंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है । जबकि शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है, रेलवे स्लाईडिंग दीर्घावधि लीज पर एक पार्टी को लीज किराया प्राप्ति के लिए दी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 1.81 करोड़ रू की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.97 करोड़ रू. का राजस्व था।

9. विकासात्मक गतिविधियाँ

जैसा कि आप जानते हैं , वृध्दित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृध्दि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है ।

9.1 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

एफएलडी के साथ संविदागत खेती वर्ष 2015-16 के दौरान निगम ने बेहतर उपज व कपास की गुणवत्ता हेतु 2015-16 के लिए सीएसआर गतिविधियों में रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदागत खेती करने का निर्णय लिया है । निगम ने महाराष्ट्र (शा.का.औरंगाबाद के अधीन), कर्नाटक (शा.का.हुबली के अधीन) तथा तमिलनाडु (शा.का.कोयंबतूर के अधीन) राज्यों में एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदा खेती का कार्यक्रम किया है जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :-

During the period under review, the response of the mills was positive and the Corporation was able to sell its cotton stocks with premium.

8. WAREHOUSING COMPLEX :

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose. While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway sliding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of around Rs. 1.81 crores as against the revenue of Rs. 1.97 crores generated in previous year.

9. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities.

9.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Contract Farming with FLD: During 2015-16, the Corporation has decided to undertake Contract Farming with FLD programme under Rural Development project targeted for CSR activities 2015-16 for betterment of yield/ quality of cotton in backward areas. The Corporation has undertaken Contract farming with FLD programme in the State of Maharashtra (under B.O-Aurangabad), Karnataka (under B.O-Hubli) and Tamil Nadu (under B.O.-Coimbatore) as per details given hereunder:

राज्य	शाखा	एफएलडी का नं.	किया गया खर्च
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	100	1.92 लाख रू.
कर्नाटक	हुबली	150	2.77 लाख रू.
तमिलनाडू	कोयम्बतूर	250	3.95 लाख रू.
कुल		**500**	**8.64 लाख रू.**

- उपर्युक्त के अलावा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निगम ने निम्नलिखित गतिविधियॉ भी की हैः
- निगम ने स्वच्छ भारत कोष में 25 लाख रू. तथा क्लीन गंगा फंड में 8 लाख रू. का अंशदान दिया है ।
- महाराष्ट्र राज्य (अकोला व औरंगाबाद शाखाओं के माध्यम से) तथा उड़ीसा राज्य में रायगढ़ शाखा के माध्यम से उच्च व उच्च (माध्यंमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए रनिंग वाटर सुविधा सहित शौचालय बनवाने का कार्य किया है । जिस पर कुल 34.38 रू. खर्च हुए ।
- महाराष्ट्र (अकोला तथा औरंगाबाद शाखा के माध्यम से) उड़ीसा (रायगढ़ा शाखा के माध्यम से) राज्य / केंद्र बोर्ड द्वारा संचालित पिछले उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर कपास उत्पादक परिवारों की कन्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 90,000/- रू. उपलब्ध करवाना ।

10. मानव संसाधन विकास :

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2016 को 925 थी, जिसमें 98 अधिकारी तथा 827 कर्मचारी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 980 थी । 925 कुल कर्मचारियों में से 105 महिला कर्मचारी है जिनमें 16 महिला अधिकारी, 89 महिला यूनियन कैडर है । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । दि.31.3.2016 को कुल कर्मचारियों में से अनु.जा. के 166 (17.94%) कर्मचारी, अनु. जन.जा. के 34 (3.67%) कर्मचारी तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 177(19.35%) तथा पीडब्ल्यूडी के 20 (2.16%) है । अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग /शा. वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि.के कर्मचारियों के

State	Branch	Number of FLD	Expenditure incurred
Maharashtra	Aurangabad	100	Rs. 1.92 lakhs
Karnataka	Hubli	150	Rs. 2.77lakhs
Tamilnadu	Coimbatore	250	Rs. 3.95 lakhs
Total		**500**	**Rs. 8.64 Lakhs**

Besides above, Corporation has also undertaken following activities under CSR:

- The Corporation has contributed Rs. 25 lakhs towards Swachh Bharat Kosh and Rs. 8 lakhs towards clean Ganga Fund.
- Construction of toilets for girls in High/Higher Secondary Schools with running water facility in the States of Maharashtra (through Akola & Aurangabad Branch) and Orissa (through Rayagada Branch). Total expenditure was Rs. 34.38.
- Provide scholarship worth Rs. 90,000/- to girls students from primary producers family based on the marks secured in last higher secondary examination conducted by State/ Central Board in the States of Maharashtra (through Akola & Aurangabad Branch) and Orissa (through Rayagada Branch)

10. HUMAN RESOURCE DEVELOMENT:

The total strength of Your Corporation during the year under report was 925 as on 31st March, 2016 consisting of 98 officers and 827 unionized staff as compared to the total strength of 980 employees during the last year. Out of the total strength of 925 employees, there are 105 women employees comprising 16 women officers and 89 of unionized staff. Your Corporation continued to follow the policy guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/OBC/ PH categories both in recruitment as well as promotion. As on 31st March 2016, out of the total strength, the strength of SC employees is 166 (17.94 %), ST employees are 34 (3.67 %), OBC employees are 177 (19.35 %) and PwD employees are 20 (2.16 %). The liaison officer for SC/ST/OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/PH employees of Your

हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देते रहे है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 12 सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की है । आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 20 शारीरिक विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं । इसके अलावा भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए फरवरी, 2016 माह के दौरान विशेष भर्ती कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 1 अधिकारी को शामिल करके 7 कर्मचारियों की भर्ती की गई ।

आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

11. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 0.29 लाख रू खर्च किये, जो थायलैंड में भारतीय कपास निगम के मार्फत दौरे पर थे ।

12. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पध्दति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

Corporation. During the period under review Your Corporation recruited 12 Assistant Managers. Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers periodically.

Your Corporation is observing the provisions of implementation of the Persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of Your Corporation involves a field operation which requires a lot of physical exertion, the scope for employment of physically handicapped person is extremely limited. Despite such limitation Your Corporation has presently strength of 20 physically handicapped persons. Besides that in accordance with the instructions received from Government of India a Special Recruitment Drive exclusively for vacancies reserved for Person with Disabilities (PWD) was conducted during the Month February 2016 and as many as 7 candidates were appointed including one Officer

The Scheme for workers participation in the Management introduced by Your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and at the branches. The industrial relation in Your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

11. FOREIGN TOUR:

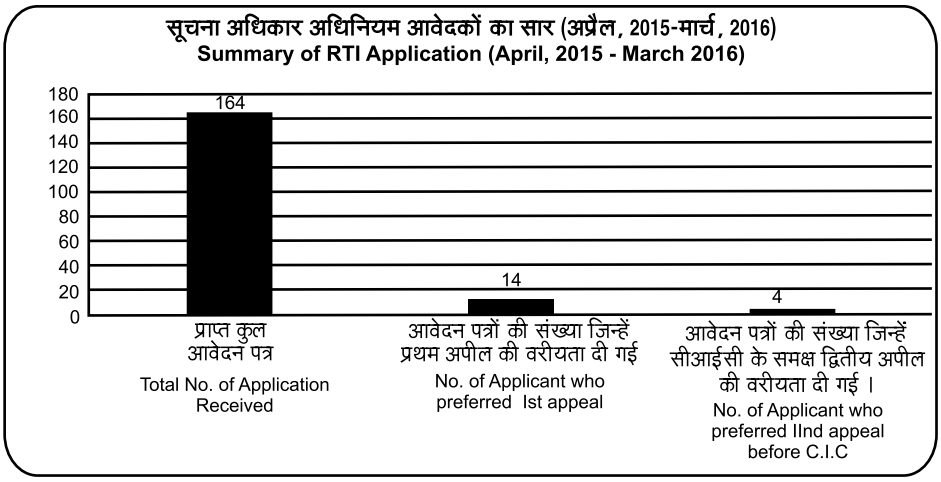
During the year under Review, Rs. 0.29 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation for visit to Thailand on behalf of CCI.

12. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/ publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 164 अनुरोध प्राप्त हुए थे । 141 मामलों में आवेदन कर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवायी गयी, 16 मामले रदद् व 7 मामले लंबित है ।

During the period from 1st April 2015 to 31st March 2016, 164 requests were received from different applicants. In 141 cases information was given to the applicant, 16 cases were rejected and 7 are pending.



सूचना अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट को वस्त्र मंत्रालय के दि.08 जून 2011 के पत्र के निदेश के अनुसार निगम की वेबसाईट के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है ।

The Quarterly Report of RTI is uploaded regularly on the website of the Corporation and also uploaded on the website of Central Information Commission (CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June, 2011.

13. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ 2015-16 :

13.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी है जिनके साथ मुख्यालय में उप महा प्रबंधक तथा प्रबंधक और शाखा कार्यालयों में प्रबंधक/उप प्रबंधक कार्यरत हैं ।

13.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों (मुख्यालय/शाखाओं में तैनात) ने मुख्यालय तथा शाखाओं में आकस्मिक जाँच / निरीक्षण किए ।

13.3 **शिकायतें :**

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्तं शिकायतें	14
पिछले वर्ष 2014-15 से आगे लायी गई शिकायतें	25
कुल	**39**
निपटान की गई	15
लंबित	24

13. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2015-16:

13.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by Dy. General Manager and Manager at the Head Office and Managers/Dy. Managers in the Branches.

13.2 The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

13.3 Complaints:

Complaints received during the year 2015-16	14
Complaints brought forward from last year 2014-15	25
TOTAL	**39**
Disposal	15
Pending	24

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ मेंकुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 25 शिकायतें आगे लायी गयीं । कुल 39 शिकायतों में से 15 मामले जाँच पड़ताल के बाद बंद किये गये । दि.31.03.2016 को शेष 24 मामले जाँच पड़ताल/अंतिम निर्णय हेतु लंबित है, अतः अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

24 लंबित शिकायतों में वे भी विभिन्न शिकायतें शामिल हैं जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान भर्ती व खरीदी से संबंधित हैं । संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(i) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में कपास की खरीदी के दौरान हुई दुराचारीः आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में कपास की खरीदी के दौरान हुई दुराचारी के आरोपों के मामलों की जॉच लगभग पूर्ण हुई है व इस मामले की जॉच रिपोर्ट सेन्ट्रल विजीलंस कमीशन को प्रस्तुत की गई है ।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध चार्जशीट जारी की गई व भविष्य में विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाएगी

(ii) कनिष्ठ कपास क्रेता की भर्ती व हाल ही में की गई अन्यी नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताएँः कनिष्ठ कपास क्रेता की भर्ती से संबंधित मामले की जॉच पड़ताल पूर्ण की गई तथा इस मामले से संबंधित रिपोर्ट सेन्ट्रल विजीलंस कमीशन को प्रस्तुत की गई है ।

- जिन उम्मीदवारों ने नकली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें निगम की सेवाओं से सेवा भंग किया गया तथा उपरोक्त मामलें में पाए गए दोषी अधिकारियों को नोटिस दिया गया है ।
- आज तक की स्थिति व की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

  निगम के कनिष्ठ कपास क्रेता के पद के लिए 80 उम्मीदवारों का चयन किया जिसमें से 3 उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, त्याग पत्र

The Vigilance Cell in all received 14 (fourteen) complaints during the year 2015-16 from various sources. 25 (Twenty Five) complaints were brought forward from the previous year 2014-15. Out of these total 39 (Thirty Nine) complaints, 15 (Fifteen) cases are closed after investigation. Balance 24 (Twenty Four) cases are pending for investigation/final decision as on 31.03.2016, hence, carried forward for the next year.

The 24 pending complaints also include several complaints received from various sources regarding recruitment and purchase, during the period under review. The brief details are as under:

(i) Malpractices committed during the purchase of cotton in Andhra Pradesh and Telangana States: Investigation into the matter pertaining to allegations of malpractices committed during the purchase of cotton in Andhra Pradesh and Telangana States is almost complete and Enquiry reports on this matter have been submitted to Central Vigilance Commission.

Accused Officials identified so far have been served the charge sheets. The Departmental Proceedings will commence in due course.

(ii) Irregularities committed while making recruitment of Jr. Cotton Purchaser and other recent recruitments: Investigation into the matter pertaining to recruitment of Junior Cotton Purchaser, is completed and report related to this matter has been submitted to Central Vigilance Commission.

- The candidates, who have produced the fake work experience certificate, were terminated from the service of the Corporation and the notice has been served to the accused officials in the above matter.
- The updated position and action taken till date is as under:

  The Corporation had selected 80 candidates for the post of Jr. Cotton Purchaser. Out of which 3 did not join/ resigned early. Hence verification regarding experience

दिया । अतः 77 उम्मीदवारोंके अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया । 77 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवारों ने सभी मानदंड पूर्ण किये तथा योग्य पाये गए । शेष 59 मामले नकली अथवा संदिग्ध पाये गए।

59 मामलों में से 15 व्यक्तियों की सेवा समाप्त की गई व दो व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिया । 1 व्यक्ति की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया चालू है (कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हैं) पुनः सत्यापन पर यह पाया गया कि 4 उम्मीदवारों ने गलत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है अतः उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शीघ्र चालू की जाएगी । संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि 59 संदिग्ध मामलों में से आज तक 22 उम्मीदवारों की पहले ही सेवा समाप्ति /त्यागपत्र/सेवा समाप्ति की प्रक्रिया चालू की गई है । शेष 37 उम्मीदवारों के मामलों का अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में आगे की कार्रवाई जारी है ।

- भर्ती से संबंधित हमारी रिपोर्ट दिनांक 17.12.2015 में पहले ही यह सुझाव दिया गया है कि आगे सत्यारपन हेतु यह मामले सी बी आई को हैंडओवर किए जाए ।

certificate was done in case of 77 candidates only. Out of 77 candidates 18 candidates seem to fulfill all criteria and seem above board and on merit. Rest 59 cases were either fake of dubious nature.

Out of 59 cases, 15 have been terminated and 2 have resigned. For 1 candidate the process of termination is taking place (show cause issued). On re-verification 4 candidates have been found to have given wrong experience certificate. Hence their termination process will start soon. To sum up we can say that out of 59 doubtful cases, 22 candidates have already been terminated/ resigned/in process for termination, as on date. Further action in respect of experience certificates in case of balance 37 candidates is being taken.

- In our report dated 17.12.2015 regarding recruitment it has already been suggested that cases should be handed over to CBI for further verification.

13.4 विभागीय जांच :

(i) बड़े दण्ड की कार्यवाहियाँ :

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त	4
वर्ष 2014-15 से आगे लाया गया	4
कुल	8
निपटान किया गया	4
लंबित	4

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के 4 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 4 मामले पर कार्रवाई की गई । इन 8 मामलों में दो मामलों में तीन अधिकारियों पर सेवाभंग का बड़ा दंड लगाने की कार्रवाई की गई । एक मामले में एक अधिकारी पर निम्न स्तर पर वेतन में घटौती का बड़ा दंड लगाया गया तथा एक मामले में दोषी अधिकारी के देहांत के कारण बंद किया गया । दि.31.3.2016 को शेष 4 मामलों में विभागीय कार्यवाही व अनुशासनिक प्राधिकरण के निर्णय की कार्रवाई जारी है । अतः अगले वर्ष के लिए 4 मामले आगे लाये गये ।

13.4 Departmental Enquiries:

(i) Major Penalty Proceedings:

Received during the year 2015-16	4
Brought forward from last year 2014-15	4
TOTAL	8
Disposal	4
PENDING	4

4 (Four) cases of Major Penalty proceedings were carried forward from previous year and 4 (Four) case instituted during the year was dealt with by the Vigilance Cell. Out of these total 8 (Eight) cases, in 2 (Two) cases, Major Penalty of dismissal is imposed on Three officials, in 1 (One) case Major Penalty of reduction in pay to a lower stage is imposed on One officer and One case is closed due to death of an accused official. Departmental proceedings/decision of Disciplinary Authority is in process on the remaining 4 (Four) cases as on 31.03.2016, hence, these Four cases are carried forward for the next year.

(ii) छोटे दंड की कार्यवाहिया :

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त	3
वर्ष 2014-15 से आगे लाया गया	0
कुल	**3**
निपटान किया गया	3
लंबित	0

सतर्कता कोष्ठ द्वारा इस वर्ष के दौरान 3 मामले पाये गए । इन तीन मामलों में से तीन अधिकारियों पर संचित प्रभाव के बगैर एक वेतनवृद्धि रोकने का छोटा दंड लगाया गया ।

13.5 निलंबन :

दि.31.3.2016 को 1 लेखाधिकारी और 3 यूनियनाईज्ड कर्मचारी निलंबन के अधीन हैं ।

13.6 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामले :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीबीआई द्वारा 11 अधिकारी के विरूध्द 8 मामले पंजीकृत किया गया ।

दो अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई द्वारा तीन मामले पंजीकृत किए गए तथा गत वर्ष से आगे लाये गए ।

दिनांक 31.3.2016 को सीबीआई के पास 13 अधिकारियों के विरूद्ध 11 मामले लंबित हैं ।

13.7 सतर्कता निवारक और के.स.आ. मार्गदर्शन :

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पध्दति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृध्दि की जाए ।

(ii) शाखा / केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तौल आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

सतर्कता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित मदों पर अधिक बल दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

(i) अग्नि-शमन के लिए एसओपी मार्गदर्शन का कड़ाई से अनुपालन करना ।

(ii) Minor Penalty Proceedings:

Received during the year 2015-16	3
Brought forward from last year 2014-15	0
TOTAL	**3**
Disposal	3
Pending	0

3 (Three) case instituted during the year was dealt with by the Vigilance Cell. Out of these total 3(Three) cases, Minor Penalty of withholding of one increment of pay without cumulative effect, is imposed on Three Officials.

13.5 Suspension:

One Accounts Officer and Four Unionised Staff are placed under suspension as on 31.03.2016.

13.6 Cases detected by CBI:

During the period under review, eight cases were registered by the CBI against Eleven officials.

Three cases registered by the CBI against Two officials were carried forward from previous year.

As on 31.03.2016, total Eleven CBI cases against thirteen officials are pending.

13.7 Preventive Vigilance and CVC Guidelines:

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling/supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centres were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

For further strengthening of the Vigilance Set-up, following points were stressed upon, the details of which are as under:-

(i) Strict compliance of S.O.P. guidelines for fire prevention.

(ii) सीवीओ के साथ कार्यकारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखने के साथ-साथ भाकनि के सभी प्रचालन केंद्रों पर बेहतर विश्लेषण के लिए क्रय, संसाधन व भंडारण सुविधाओं की विभिन्न अवस्थाओं पर दौरा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है ।

खरीदः

- कपास खरीद एपीएमसी/एपीएमसी घोषित यार्ड से होना चाहिए । केन्द्र प्रभारी को एपीएमसी यार्ड में कपास खरीद कार्य करने के लिए एपीएमसी से प्रमाणित लाईसेंस प्राप्त करना चाहिए ।
- वजन पर्ची, बिडिंग पर्ची को एपीएमसी अधिकारी/संबंधित केन्द्र अधिकारी/किसान/प्रतिनिधि द्वारा पूरी तरह भरा जाये और हस्ताक्षरित किया जाये ।
- आवक रेजिस्टर में प्रविष्टियाँ सही, सच और पूर्ण होनी चाहिए । किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, पता, वाहन नंबर जैसी प्रविष्टियाँ सही रूप से भरी जायें ।
- कपास की गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए ।

संसाधन :

- जी एंड पी फैक्टरियाँ को कार्य देने के लिए निविदा प्रक्रिया का अनुपालन पूरी तरह से किया जाये ।
- ईओटी उचित और पारदर्शी परिणामों के लिए किया जाये ।
- गांठों की पैकिंग निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाये ।
- गांठों का प्रेस वजन और सुपुर्दगी वजन की प्रभावी जांच की जाये ।

(iii) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे.फैक्टरियों आदि में अग्नि चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण करने तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(iv) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में तथा परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ताकि सीसीआई की पूर्ण-बंधित गाँठों को अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके । सतर्कता

(ii) The formats of tour reports are changed at various stages of purchase, processing and storage facilities at all the CCI operating centres for better analysis as well as functional and administrative control kept with Chief Vigilance Officer.

Procurement:-

- Kapas procurement through APMC/APMC declared yards. Centre-Incharge to obtain an authentic licence from APMC for conducting kapas procurement in APMC yard.
- Weighment slips, bidding slips should be filled in completely and signed by APMC Official/respective Centre-Incharge, Farmer/Representative.
- Inward register's entries should be truthful, correct and complete. Entries like Farmer's Name, Farmer's Father's Name, Address, and Vehicle Number should be correctly entered.
- Quality of kapas should be maintained as per prescribed parameters.

Processing:-

- For engagement of G&P Factories tender procedure should be followed in toto.
- EOT should be taken extensively for fair and transparent results.
- Packing of bales should be as per the prescribed norms.
- Press weight and delivery weight of bales should be checked effectively.

(iii) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(iv) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC, SWC, APMC, GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers

अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(v) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी गयी, जिससे सीसीआई के स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्हें आगे, अग्नि घटनाओं से बचाव के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस.ओ.पी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ।

(vi) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि ट्रकों में उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार सामान भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(vii) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच और पहरेदारी करने की सलाह दी गयी ।

(viii) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें।

(ix) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निदेश दिया गया ।

(x) शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को माल सत्यापन/रिकार्ड के मिलान/विभिन्न गोदामों/जीएसफ गोदाम में रखा गया माल के निरंतर सीसीआई अधिकारियों और गोदाम अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की सलाह दी गयी ।

(xi) गाँठे भुगतान की रसीद/लिखित सुपुर्दगी आदेश के बिना न दी जाये।

(xii) बीमा कवरेज वर्तमान माल के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए ।

(xiii) रिवॉलविंग क्रेडिट, गाँठों की सुपुर्दगी, बीमा आदि के बारे में मुख्यालय को जानकारी भेजी जाये ।

and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(v) Advised the G.M., Dy. G.M., B.Ms. to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety and security of CCI stock. They were further advised to ensure strict compliance of Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of fire incidents.

(vi) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(vii) Night surveillance, checking, patrolling by various committees were advised to ensure safety and security of CCI stock.

(viii) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(ix) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

(x) Advised to Branch Managers and other officials to conduct stock verification/reconciliation of records/stocks stored in various godowns/GSF godowns, jointly by CCI Officials and Godown Officials frequently.

(xi) Bales should not be delivered without receipt of payment/written delivery order.

(xii) Insurance coverage should be appropriate as per the value of the existing stock.

(xiii) Every working, such as, Revolving credit, delivery of bales, insurance, etc. should be reported to Head Office.

14. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2014-15 के दौरान ख क्षेत्र में हिंदी के कार्यान्वंयन में की गई प्रगति के लिए 14 सितंबर, 2015 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निगम के मुख्यालय को राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । निगम को राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार 23वीं बार प्राप्त करने का गौरव मिला है ।

इसके अलावा निगम को वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों (छोटे) की श्रेणी में सर्वाधिक कामकाज हिंदी में करने के लिए मुंबई महानगर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक आशीर्वाद संस्था द्वारा आशीर्वाद स्मृति चिन्ह् एवं आशीर्वाद चल वैजयंती राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वसयन के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों द्वारा निगम के मुख्यालय को द्वितीय और शा.का. राजकोट को प्रथम तथा कोयम्बतूर को तृतीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया । इसके साथ ही नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका के प्रकाशन के लिए निगम को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है तथा यूनिकोड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष 2003 से निगम की वेबसाईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम द्वारा तैयार करवाई गई ई.आर.पी. प्रणाली में भी द्विभाषी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है । वर्ष 1984 से निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रशिम का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है । जुलाई, 2009 से राजभाषा रश्मि ई-जर्नल पत्रिका निगम की वेब-साईट पर प्रदर्शित की जा रही है ।

निगम की 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित सभी शाखा कार्यालयों में हिंदी पत्राचार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारीवार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों से आगे है । 31 मार्च, 2016 को समाप्तं तिमाही में मुख्यालय में मूल पत्राचार में हिंदी पत्रों का प्रतिशत 96.74% है ।

14. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2015-16 by Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs. Head Office has been honoured with Rajbhasha Kirti Puraskar on 14th September, 2015 in the field of Hindi implementation in "B" Region during the year 2014-15 by Hon`ble President of India. Corporation has got the pride of receiving this National award for the 23rd time.

In addition to this Corporation has also been awarded with Ashirwad Smruti Chinh and Ashirwad Chal Vayjayanti Rajbhasha Shield by Ashirwad – a Socio-Cultural Organisation in the competition of doing the maximum work in Hindi among Public Sector (small) category.

In addition to this during the year 2014-15 Head Office has been awarded with 2nd prize and B.O. Aurangabad and B.O.Rajkot have also been awarded with 1st prize and simultaneously B.O.Coimbatore has also been awarded with 3rd prize and Certificate for the work of Hindi implementation by their respective TOLIC. In addition Head Office has also been awarded with 2nd prize for the best House Journal by Navi Mumbai Tolic.

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as in all Branch Offices and Unicode facility is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. ERP system of the Corporation is also available in bilingual. Corporation is also regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. E-Journal "Rajbhasha Rashmi" is being exhibited on Corporation's website since July, 2009.

Hindi correspondence in respect of branches at "A", "B" and "C" region maintained above the target prescribed in the Annual Programme issued by Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs and regarding Head Office the percentage of 31st March, 2016 quarter is maintained at 96.74%.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निगम के मुख्यालय को वर्ष 2005 से नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है । वर्ष 2015-16 के दौरान नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में दि. 24.6.2015 तथा दि.26.11.2015 को दो बैठकें तथा टिप्पण-आलेखन, काव्य-पाठ, निबंध, आशु-भाषण, प्रश्न-मंच प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई और नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया ।

नवी मुंबई नराकास द्वारा प्रकाशित की जाने वाली समन्वय पत्रिका के 18वें तथा 19वें अंक का प्रकाशन किया गया । इसके अलावा निगम के शाखा कार्यालय औरंगाबाद तथा आदिलाबाद द्वारा भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

15. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

15.1 ईआरपी कार्यान्वयन

- निगम ने अपने मुख्यालय व शाखा कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2011-12 से ईआरपी एप्लीकेशन के उपयोग से सांविधिक लेखा परीक्षा तथा सरकारी लेखा परीक्षा का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया ।
- केन्द्रवार पूर्णबंधित गॉठों की बिक्री का ई-ऑक्शन मोड्यूल तैयार किया गया है तथा ग्राहकों को बेचे गए लॉटस के ऑटो एलोकेशन हेतु ई आर पी में शामिल किया गया है ।
- उपयोगकर्ता की सहूलियत हेतु ई आर पी में न्यूनतम समर्थन मूल्य ब्याज, अभनि, अधिवर्षिता विवरणियॉ इत्यादि जैसे कुछ नए फार्मस व रिपोर्टस तैयार किए गए व ई आर पी में शामिल किए गए हैं।
- वित्त, विपणन व मासंवि/पेरोल मॉड्यूल्स की वर्तमान रिपोर्टस्/फार्मस को उपयोगकर्ता/व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किया है ।

Head Office of the Corporation has been entrusted with the responsibility of heading the Navi Mumbai Town Official Language Implementation Committee since 2005 by Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, New Delhi. During the year 2015-16 two half yearly meetings i.e on 24.06.2015 and 26.11.2015 were conducted under the aegis of Navi Mumbai Tolic. In addition to this various competitions viz. Noting/Drafting, Essay Writing, Poetry recitation , Extempore Speech (Ashubhashan), quiz contest and Tanslation training programme and one scientific Seminar were also organized by under the aegis of Navi Mumbai Tolic.

Navi Mumbai Tolic has also published 18th and 19th issue of "Samanvay" magazine. Apart from this B.O. Adilabad and Aurangabad are also successfully heading their respective Town Official Language Implementation Committee.

15. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2016-17, the Corporation has achieved a number of improvements in the field of Information Technology:-

15.1 ERP IMPLEMENTATION

- The Corporation has successfully completed the Statutory Audit and Govt. Audit in ERP from FY 2011-12 onwards using the ERP application in the Corporation at all locations i.e. Branches and Head Office.
- The Centre-wise F.P. bales sales e-auction module has been developed and incorporated in the ERP for auto allocation of sold lots to the customer.
- A few new forms and reports have been developed and incorporated in the ERP such as MSP Interest, CPF & Superannuation statements etc. for the ease of the users.
- The existing reports/forms of Finance, Marketing & HR/Payroll Modules have been modified as per users/business requirements.

- शाखाओं पर ईआरपी के कार्यान्वयन/रनिंग में आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ।

15.2 वेब एप्लीकेशन

- निगम के कर्मचारियों द्वारा लोकायुक्ता रिटर्नस व सीवीसी रिटर्नस की ऑनलाईन फाईलिंग के लिए ब्राउचर बेस्ड एक नया वेब एप्लीकेशन तैयार किया गया है ।
- शाखाओं के आं.ले. परीक्षकों हेतु ऑन लाईन मंथली रिटर्नस प्रस्तुत करने के लिए एक नया वेब एप्लीकेशन तैयार किया गया है । सभी लेखा परीक्षकों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया है ताकि वे मुख्यालय की समीक्षा हेतु संबंधित जानकारी भर सकें ।

15.3 वेबसाईट :

- निगम में भारतीय सरकारी वेबसाईट (जीआईजीडब्ल्यू) वेब कंटेन्टस एक्सेसबिलिटी (डब्ल्यूसीएजी) मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर नवीनतम तकनीकी के साथ निगम में सूचनात्मक व उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाईट उपलब्ध है ।
- कोई विकलांग व्यक्ति भी सहायक तकनीकी की सहायता से वेबसाईट एक्सेस कर सकता है । इन उद्देश्यों के साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शनों का भी कार्यान्वयन किया गया है ।
- वेबसाईट हिंदी में भी उपलब्ध है, वे सभी वस्तुएँ जो अंग्रेजी में सूचीबध्द है वे हिंदी में भी उपलब्ध है । आगे डायनामिक मूविंग आईटम्स जिनका प्रारंभ में कार्यान्वयन नहीं किया गया था, वे भी हिंदी में उपलब्ध हैं ।
- शाखाओं द्वारा जारी टेंडर्स व ऑक्शन के विवरण को हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in तथा www.tenders.gov.in और www.eprocure.gov.in पर मुख्यालय एवं संबंधित शाखाओं द्वारा स्वयं प्रकाशित किया जाता है । इस संबंध में सभी शाखाओं को आवश्यक प्राधिकरण उपलब्ध करवाया गया है ।

- One ERP Help Desk is operational at Head Office for help in case of any difficulty in operation/running of ERP at branches.

15.2 WEB APPLICATION

- A new browser based web application has been developed for online filing of Lokayukta Returns and CVC Returns by the employees of the Corporation.
- A new web application has been developed for Internal Auditors for submission of online monthly returns for Branches. A user Id and password has been provided to all the internal auditors through which they will be able to fill in the information for review at Head Office level.

15.3 WEBSITE

- The Corporation is having a informative and user friendly website using the latest technology, keeping in mind the Guidelines of Indian Government Website (GIGW) & Web Contents Accessibility Guidelines (WCAG).
- Even a person with disability is able to access the website with the help of assistive technologies. With these features, the guidelines of Ministry of Social Justice, Govt. of India is also implemented.
- The website is also available in Hindi, where all the items listed in English website is available in Hindi. Further, the dynamic moving items are also now available in Hindi, which was initially not implemented.
- The details of tenders and auctions floated by Branches are being published on our website www.cotcorp.org.in and on Government Tenders portal www.tenders.gov.in & www.eprocure.gov.in by HO and respective BOs on their own, the necessary authorization for the same is provided to each BOs.

15.4 ई-मेल पत्र व्यावहार

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों का ई-मेल पता सिंगल डोमेन यानि @cotcorp.com दिया गया है, जो सिंगल सर्वर पर प्रदर्शित है । आगे मुख्यालय के अधिकारियों और शाखा प्रधानों, वित्त प्रधान और सर्तकता अधिकारियों को वैयक्तिक ई-मेल आयडी दिया गया है, ताकि वे निगम के अंदर सहजता से पत्र व्यवहार कर सके ।

15.5 हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर उच्चीकरण

जहां कही आवश्यक था मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का उच्चीकरण किया गया है और नया हार्डवेअर स्थापित किया गया है।

15.6 सीईआरटी-इन मार्गदर्शन

निगम में सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सिक्यूरीटी, वाईरस अलर्ट, सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में सीईआरटी-इन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन का अनुपालन किया जाता है ।

15.7 आईपीवी6 अनुपालन

आईपीवी6 के बारे में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन का निगम में अनुपालन किया जाता है । आगे, निगम ने आईपीवी6 शिकायत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर ही खरीदना आरंभ किया गया है ।

16. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि

15.4 EMAIL COMMUNICATION

The email addresses to HO and Branches have been provided with single domain i.e. @cotcorp.com which is hosted on a single server. Further, the officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BOs have been provided with individual email IDs to ease and make the communication faster within the Corporation.

15.5 HARDWARE & SOFTWARE UPGRADATION

Wherever found necessary, the upgradation of the existing hardware and software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

15.6 CERT-IN GUIDELINES

The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IT/Data Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

15.7 IPv6 COMPLIANCE

The guidelines received from Ministry of Textiles, Government of India and Department of Information Technology/ Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IPv6 are being implemented in the Corporation. The Corporation started procuring only IPv6 compliant hardware and software in the Corporation.

16. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of

औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिध्दांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

17. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटन (निवारण, निषेध, व उपाय) अधिनियम 2013

महिलाओं के कार्यस्थंल पर महिला यौन उत्पीडन के अंतर्गत प्रकटन (निवारण, निषेध, व उपाय) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु कम्पनी ने एक योजना बनायी है । यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों के रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की है। इस योजना के अंतर्गत सभी कार्यालयों (स्थायी, संविदागत, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) को शामिल किया गया है । कंपनी को वर्ष 2015-16 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

18. निदेशक मंडल :

समीक्षागत वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री सुजीत गुलाटी, भूतपूर्व संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 26.03.14 को कंपनी के बोर्ड पर पार्ट टाईम निदेशक नियुक्त किया गया, 11.06.15 को कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 25.10.13 को निदेशक मंडल में पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त श्री आर. के. सिन्हा, भूतपूर्व अप्रनि नेशनल टेक्सरटाईल कॉरपोरेशन दिनांक 11.06.15 से मंडल में नहीं रहे ।

दिनांक 11.06.15 को कंपनी के निदेशक मंडल में पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त श्री बी.पी.पांडे, भूतपूर्व ए एस एंड वित्तीय सलाहकार वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 19.08.15 को चार्ज छोड़ दिया है ।

श्रीमती अनु गर्ग, संयुक्त सचिव , वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 11.06.15 से कंपनी के बोर्ड पर पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

17. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The company has in place a policy for prevention of sexual harassment in accordance with the requirements of the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy. The Company did not receive any complain during the year 2015-16.

18. BOARD OF DIRECTORS:

Following Changes took place in the Board of Directors of your Company during the year 2015-16 under review:-

Shri Sujit Gulati, Ex-Joint Secretary, Ministry of Textiles, was appointed as part-time official Director on the Board of Company on 26.03.2014, relinquished the Charge on 11.06.2015.

Shri R. K. Sinha, Ex-Chairman-cum-Managing Director, National Textiles Corporation Limited, appointed as part-time official Director on the Board on 25.10.2013, ceased to be Director w.e.f. 11.06.2015.

Shri B. P. Pandey, Ex-AS & FA, Ministry of Textiles, was appointed as part-time official Director on the Board of the Company on 11.06.2015, relinquished the charge on 19.08.2015.

Smt. Anu Garg, Joint Secretary, Ministry of Textiles, appointed as part-time official Director on the Board of the Company w.e.f. 11.06.2015

श्री जे.के दादू, ए.एस एंड एफ ए वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 19.08.15 से कंपनी के बोर्ड पर पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

19. मंडल की बैठकें:

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 4 बैठकें 24 जून, 2015, 31 अगस्त,2015, 2 नवंबर, 2015 तथा 15 जनवरी, 2016 को हुई ।

20. निदेशकों के दायित्वों की विवरणी :

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एत्वारा पुष्टि करते हैं ।

20.1 यह कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, माल की सुपुर्दगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानकों का अनुपालन किया गया है ।

20.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा उस वर्ष के लाभ -हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

20.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने और रोकने के लिए अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

20.4 यह कि वार्षिकलेखों को निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर तैयार किया है ।

20.5 यह कि निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पध्दति अपनाई तथा यह पध्दति पर्याप्त एवं प्रभावशाली है ।

Shri J. K. Dadoo, AS & FA, Ministry of Textiles, appointed as part-time official Director on the Board on of the Company w.e.f. 19.08.2015.

19. BOARD MEETINGS:

During the year ended 31st March 2016, Four (4) Board meetings were held on 24th June, 2015, 31st August, 2015, 2nd November, 2015 & 15th January, 2016.

20. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to the requirement under Section 134(3) (c) of the Companies Act, 2013 with respect to Directors' Responsibilities Statement, the directors confirmed.

20.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2016 the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

20.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and Loss of the Company for that period;

20.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. That the directors had prepared the annual accounts on a "going concern" basis;

20.4 That the directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis; and

20.5 That the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. लेखा परीक्षा समिति :

लोक उद्यम कार्यालय (डीपीई) भारत सरकार द्वारा जारी निगमित शासन मार्गदर्शन के अनुपालन के अनुसार लेखा समिति संस्थापित की गई है । समीक्षाधीन वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा समिति की 2 बैठकें दिनांक 31 अगस्त, 2015 तथा 15 जनवरी, 2016 को आयोजित की गई । आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक शामिल करके तीन निदेशक है ।

22. सांविधिक लेखा परीक्षक :

वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल तथा मेसर्स प्रसाद आजाद एंड कंपनी, सनदी लेखापाल को नियुक्त किया गया । 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न है ।

23. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

23.1 वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने 'बहुत अच्छा' श्रेणी प्रदान की है ।

23.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च, 2015 को हस्ताक्षर किए गए ।

24. कर्मचारियों के ब्यौरे :

आपका निगम सरकारी कंपनी होने के कारण निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05/6/2015 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अधीन सूचना भेजने की छूट है ।

25. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष :

फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न के सार का भाग तैयार करने के विवरणों के बारे में कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसरण में प्रकट जानकारी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में एतद्द्वारा संलग्न है ।

21. AUDIT COMMITTEE:

The Audit Committee was constituted in terms of compliance of Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. During the year 2015-16 under review, two meetings of Audit Committee were held on 31st August, 2015 and 15th January, 2016. The Composition of Audit Committee of your Corporation comprise of three Directors including two part-time official directors nominated by the Ministry of Textiles, Government of India.

22. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Bansal R. Kumar & Associates, Chartered Accountants and M/s. Prasad Azad & Co., Chartered Accountants were appointed as Joint Statutory Auditors of the Company for the year 2015-16. The Statutory Auditor's Report on the Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2016 is enclosed.

23. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES:

23.1. The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2014-15 had been rated "Very Good" by Department of Public Enterprises.

23.2. The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2015-16 was signed on 28th March, 2015.

24. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

Your Corporation being a Government Company is exempted to furnish information under Section 197 of the Companies Act, 2013 vide Ministry of Corporate Affairs (MCA) Notification dated 05/06/2015.

25. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Information required to be disclosed pursuant to Section 134(3)(a) of The Companies Act, 2013 with respect to the details forming part of the extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith in Annexure B to this Report.

26. जोखिम प्रबंधन नीति :

हमें विश्वास है कि प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन नीति अविरत संचालन का मूलभाव है जिससे अभिशासन प्रक्रिया को सुधारने, अनुकूल उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उससे प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी तरह से तैयार रखा जा सकता है ।

आपका निगम जोखिम पहचानने, निरंतर सीखने व सुधार करने के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपयुक्त कदम उठायेगा ताकि जोखिम प्रबंधन का प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

आपके निगम ने निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की स्थापना की है :

- अनपेक्षित संकट तथा ऐसी घटनाओं को उचित व पर्याप्त रूप से दूर करने के लिए संगठन में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना ।

- मार्केट यार्डस व प्रेसिंग फैक्टरी में अग्नि घटनाओं के रोकथाम, दड़ा स्तर, गोदाम में तथा गोदाम पर कपास के मार्गस्थ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ।

  एसओपी को अनुपालन करने के लिए निगम ने अपनी शाखाओं को ऐसे कमजोर क्षेत्रों को पहचानने के लिए एक समिति का गठन किया है । यह समिति अग्नि आपदाओं को सचेत करने के लिए जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों / गोदामों के प्रबंधन को मौके पर सुधारात्मक उपाय का सुझाव देगी ।

- **पर्याप्त बीमा कवरेज :**
  - निगम के पास आपने संचालन गतिविधियों पर जैसे स्टाक प्रबंधन के लिए बीमा, मार्गस्थ बीमा, सामान्य बीमा, चोरी, डकैती बीमा इत्यादि के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियमावली है ।
  - निगम की बीमा योजना के अनुसार फैक्टरी, गोदाम इत्यादि में रखे सभी प्रकार के स्टाक लघु आवधिक योजना में पूर्णतः कवर्ड हैं । निगम भारत में कहीं भी एक गोदाम से दूसरे गोदाम

26. RISK MANAGEMENT POLICY:

We believe that an effective risk management process is the key to sustained operations thereby improving Governance processes, achieving strategic objectives and being well prepared for adverse situations.

Your Corporation shall ensure implementation of effective risk management by identifying risks and promoting a pro-active approach to treating such risks besides striving towards strengthening risk management system through continuous learning and improvement.

Your Corporation has established following Risk Management approach:

- Disaster Management Plans for unforeseen exigencies and keeping the organisation constituents prepared to appropriately and adequately deal with such circumstances under eventuality of such happenings.
- Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of Fire incidences in Market Yards, at Ginning & Pressing Factory, heaping stage, transit of cotton bales to Godowns and at Godowns.

  To comply with this SOP, Corporation has instructed its Branches to constitute a Committee to identify the weak/grey areas where the fire fighting equipments/ arrangements are lacking. This Committee suggests corrective measures on the spot to the Management of Ginning & Pressing Factories/Godowns for averting fire disasters.
- **Adequate Insurance coverage:**
  - Corporation has its own set of rules to ensure adequate insurance coverage at various stages of its operational activities like insurance for stocks management, transit insurance, general insurance, theft and burglary insurance etc.
  - As per Corporations Insurance policy, all type of stocks lying in factories; godowns etc. are fully covered by taking short-term policies. The Corporation is taking Marine cargo open declaration policy at Head Office for coverage of movement

में 80 कि.मी. से दूर रेल अथवा रोड द्वारा स्टॉक को ले जाने के कवरेज के लिए मुख्यालय में मैरिन कारगो खुली घोषणा नीति ले रहा है । 80 कि.मी. से अधिक इस मैरिन योजना के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा कवरेज का विकेंद्रीकरण है ।

- सीडब्ल्यूसी , एसडब्ल्यूसी, गोदाम में रखे स्टाक के लिए चोरी व डकैती बीमा 10/25% प्रथम हानि योजना लेने के द्वारा कवर किया जाए । प्राईवेट गोदाम में स्टाक भरने की चोरी व डकैती के बारे में 100% जोखिम कवर किया जाए ।

27. आभार :

27.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

27.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल - II और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

27.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स चौकसी एंड चौकसी कंपनी सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स प्रसाद आजाद एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

of the stock either by rail or road beyond 80 kms from warehouse to warehouse anywhere in India. Except this Marine Policy above 80 Kms, all other insurance coverage is decentralized.

- For stock lying in CWC, SWC Godowns, the theft and burglary insurance to be covered by taking 10/25% first loss policy. In respect of stocks stored in Pvt. Godowns 100% theft and burglary risk has to be covered.

27. ACKNOWLEDGEMENT:

27.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

27.2 Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–II for their co-operation.

27.3 Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Bansal R Kumar & Associates, Chartered Accountants, Mumbai and M/s Prasad Azad & Co. Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

27.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2015-16 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

27.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 26.08.2016

27.4 Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2015-16 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

27.5 Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B. K. Mishra)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 26.08.2016

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट अ
ANNEXTURE A TO DIRECTORS' REPORT

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ओ) के अनुसरण में कंपनीज अधिनियम 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व) के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाये ।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम पर कार्य तथा सीएसआर नीति व प्रोजेक्ट्स अथवा प्रोग्राम की वेब लिंक में उल्लेख सहित सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा ।

> **कंपनी का संक्षिप्त परिचय :**

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कपास व्यापारिक संगठन है । जब कभी कपास मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर छूते हैं तो निगम भारत की नोडल एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन का कार्य करता है ।

> **सीएसआर की संकल्पना :**

- सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के पत्र सं 15(3)/2007-डीपीई(जीएम) द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है । सीएसआर वर्ष 2010-11 से एमओयू में शामिल किया गया । सीएसआर के दिशानिर्देशों में बताये अनुसार निगमित कार्यनिष्पादन को आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा वातावरण प्रभाव यानि सामान्य तौर पर "ट्रिपल बॉटम लाईन" से मैच किया जाए ।
- निगमित कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम के शिड्यूल VII तथा धारा 135 तथा कंपनीज निगमित सामाजित दायित्व पॉलिसी नियमावली 2014 को अधिसूचित किया है । जिसके अनुसरण में कंपनीज

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

[Pursuant to Section 134 (3)(o) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(1) of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]

Brief outline of the company's CSR Policy including overview of projects or programme proposed to be undertaken and reference in web link to the CSR policy and projects or programme.

> **Brief about Company:**

The Cotton Corporation of India ('CCI') is a cotton trading organization under the administrative control of Ministry of Textiles, Govt. of India. It is the nominated nodal agency of Govt. of India to undertake price support operations in cotton in the event when market prices of kapas touched the support price level announced by Govt. of India.

> **Concept of CSR:**

- The Department of Public Enterprises (DPE), vide their letter F.No.15 (3)/2007-DPE (GM) dated 9th April 2010 has introduced Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises. The CSR was included in MOU from the year 2010-11 onwards. As envisaged in the guidelines of CSR, the corporate performance needs to be matched in terms of economic impact, social impact and environmental impact; commonly called the "Triple Bottom Line".
- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its notification dated February 27, 2014 has notified Section 135 & Schedule VII of Companies Act, 2013 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy)

को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में व्यय करना आवश्यक है । जिसका अनुपालन हम डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पहले से ही कर रहे हैं । कंपनीज़ नियमावली 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू हुआ है ।

- उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भाकनि समुदायिक सद्भाव, समाज पर प्रभाव कायम रखने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करता है ।

i) **सीएसआर विज़न स्टेटमेंट (सीएसआर झलक की विवरणी):**

- सीएसआर सीसीआई के लिए एक योजनाबद्ध गतिविधियाँ है जो निगम के संचालन के क्षेत्र तथा आसपास आवासीय समुदाय की अपेक्षाओं को लंबे समय तक अपने क्षमतानुसार सकारात्मक प्रभाव डालने के लक्ष्य पर विचार करता है ।
- भाकनि जहाँ स्थित है अथवा जहाँ उनके हित लक्षित है उन स्थानों पर सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रेरणादायी भूमिका निभाना ताकि भाकनि क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने व कार्य करने का वातावरण निर्मित कर सके ।

ii) **सीएसआर उद्देश्य :**

- इसके संचालन के सभी पहलुओं में ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों पर निगम की गतिविधियों के प्रभाव और वातावरण की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हित में कार्य करना ।
- अपने स्टेकहोल्डस्र के हितों को पहचानते हुए आर्थिक सामाजिक तथा अच्छे वातावरण को प्रोत्साहित रूप से संचालित करने की प्रतिबद्धता करना ।

Rules, 2014. Pursuant to which Companies are required to make expenditure on "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)" activities which we have already undertaken which is with the compliances of DPE Guidelines. The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 have come into force from 1st April 2014.

- Taking into consideration of aforesaid CSR guidelines, CCI has been involved in various CSR activities to generate community goodwill, create social impact and visibility. The outline of CCI's CSR policy is as under:

i) CSR Vision Statement:

- The Corporate Social Responsibility (CSR) is a planned set of activities for CCI which is targeted to have a significant positive impact in the long term taking into consideration the Corporation's capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence.
- The aim is to play a catalytic role in the sustainable socio-economic development in the regions where it is located or where its interests lie, attempting to create an enabling working environment for CCI as well as sustained regional development.

ii) CSR Mission:

- To serve the interests of society by taking responsibility for the impact of Corporation's activities on customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of its operations.
- Commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders.

- विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य व लोक उपकारी गतिविधियों से परे सीएसआर उद्देश्य को जोड़ने ताकि सामाजिक-आर्थिक संघटन व व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके एवं उनके प्रतियोगी लाभों को सुरक्षित व कायम रखा जा सके ।
- निगम के संसाधनों की क्षमता तथा अपने संचालन की आधारभूत निर्भरता को देखते हुए छोटी सी छोटी इकाईयों जैसे गॉवों, पंचायत, ब्लॉक अथवा डिस्ट्रिक्ट के लाभों को सुनिश्चित करना ।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभों में से औसतन 2% तक किए गए खर्चो के भीतर लाभ/हानि का विचार किए बगैर सामाजिक-आर्थिक सीएसआर गतिविधियों को शामिल करना ।

iii) सीएसआर नीति का वेब लिंकः

- सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट निगम के वेबसाईट www.cotcorp.gov.in पर उपलब्ध है ।

> सीएसआर समिति का गठनः

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की उप समिति के दिशानिर्देशों के अधीन भाकनि में सीएसआर कार्यान्वित किया जाता है । बोर्ड स्तर की उप समिति के नाम व पदनाम निम्नानुसार हैः-

नाम	पदनाम	श्रेणी
श्री बी.के.मिश्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री पी.के.अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	सदस्य
श्री एम.एम. चोक्कलिंगम	निदेशक (विपणन)	सदस्य

समिति के कार्य निम्नलिखित हैः

- बोर्ड के अनुमोदनार्थ सीएसआर नीति सूत्रबद्ध व सिफारिश करना

- To closely linked with the practice of sustainable development and extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of socio-economic and business goals to secure sustainable competitive advantage.
- Ensure benefits to the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon operations and resource capability of the Corporation.
- To be involved in CSR activities as long term sustainable socio-economic development irrespective of loss/profit and expenditure limit of 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years.

iii) Web link to CSR Policy:

- Annual Report on CSR activities is also available at the website of the Corporation at www.cotcorp.gov.in

> Composition of the CSR Committee:

Corporate Social Responsibility (CSR) is being implemented in CCI under the guidance of Board level sub-committee headed by CMD. Name & designation of Board level sub-committee are as under:

Name	Designation	Category
Shri B.K. Mishra	Chairman-cum-Managing Director	Chairman
Shri P.K. Agarwal	Director (Fin.)	Member
Shri M.M. Chockalingam	Director (Mktg.)	Member

The terms of reference of the Committee is given below:

- Formulate and recommend CSR policy to the Board for approval.

- वित्तीय वर्ष में क्षेत्रवार प्रोजेक्ट्स के लिए निधि बताते हुए प्रोजेक्टस सहित सीएसआर गतिविधियों पर किए जानेवाले खर्च की राशि को सिफारिश करना ।
- कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर प्रोजेक्टस् के कार्यान्वयन पर समय समय पर नियंत्रण रखना ।

> **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का शुद्ध औसत लाभ :**

पिछल तीन वर्षों में निगम के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं :

शुद्ध लाभ (पीबीटी)	रू. करोड़ में
पीएटी: वि.वर्ष 2012-13	32.70 करोड़
पीएटी: वि.वर्ष 2013-14	59.84 करोड़
पीएटी: वि.वर्ष 2014-15	22.59 करोड़
कुल	**115.13 करोड़**
औसत	**38.377 करोड़**

> **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद सं.3 में बताये अनुसार राशि का 2%):**

कंपनी नियमावली 2013 के अनुसार (सीएसआर नीति) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा शुद्ध औसत लाभ का कम से कम 2% सीएसआर को आबंटित किया गया । इन मार्गदर्शनों को देखते हुए वर्ष 2015-16 हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करने हेतु 76.75 लाख रू.(यानि मद सं. 3 पर दिए अनुसार शुद्ध लाभ की औसत का 2%) बजट बनाया गया है ।

> **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण :**

- **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि:** तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभों से 2% यानि 76.75 लाख रू. खर्च किया जायेगा ।
- खर्च न की गई राशि, यदि कोई : शून्य
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की गई राशि के विवरण निम्नानुसार है :-

- Recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities in a financial year along with CSR projects to be undertaken earmarking funds for area-wise projects.
- Monitor from time to time the implementation of the CSR projects undertaken by the Company.

> **Average net profit of the company for last three financial year:**

The financial results of the Corporation in the last three years are as follows:

Net Profit (PBT)	Amount in Crores
PAT: F.Y. 2012-13	Rs. 32.70 crore
PAT: F.Y. 2013-14	Rs. 59.84 crore
PAT: F.Y. 2014-15	Rs. 22.59 Crore
TOTAL	**Rs. 115.13 Crore**
Average	**Rs. 38.377 Crore**

> **Prescribed CSR expenditure (two percent of the amount as in item 3 above):**

As per the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2013 at least 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years should be allocated to CSR. In view of these guidelines, Rs. 76.75 Lakh (i.e., 2% of average net profit as given on point no. 3) was budgeted for undertaking CSR activities for 2015-16.

> **Details of CSR spent during the financial year :**

- **Total amount to be spent for the financial year**: 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years i.e., Rs. 76.75 Lakhs.
- Amount unspent, if any: NIL
- Manner in which the amount spent during the financial year 2015-16 is detailed below:

क्र. Sr. No.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा गतिविधि का नाम CSR project or activity identified	कौन से क्षेत्र में प्रोजेक्ट कवर किया गया Sector in which the project is covered	प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम Projects or programs: 1.स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र 1) Local area or other 2.राज्य/जिला जहाँ प्रोजेक्ट व प्रोग्राम कार्य किए गए 2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	प्रोजेक्ट/ प्रोग्रामवार राशि का बजट Amount outlay (budget) project or program wise	प्रोजेक्ट/प्रोग्राम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1.प्रोग्राम/प्रोजेक्टस् पर सीधा खर्च 1)Direct expenditure on projects or programs 2. ऊपरी खर्च 2) Overheads	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय Cumulative expenditure upto the reporting period	खर्च की गई राशि सीधे अथवा इंप्लिमेन्टिंग एजेंसी द्वारा Amount spent : Direct or through implementing agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रनिंग वॉटर की सुविधा से उच्च अथवा उच्च माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाना Construction of toilets for girls in High or Higher Secondary School with running water facility	शहरी विकास Rural Development	सावित्रीबाई फुले जिला परिषद गलर्स हाई स्कूल, दाम्ले चौक, अकोला Savitribai Phule Zilla Parishad Girls High School, Damle Chowk, Akola.	Rs. 34,35,000	Rs. 11,94,000	Rs.11,94,000	एनजीओ द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through NGO
			सावित्रीबाई फुले हाई स्कूल, गोकुल कालॉनी, अकोला Savitribai Phule High School, Gokul Colony, Akola				
			जिला परिषद महात्मा गांधी हाई स्कूल, हिवेरकेड, अकोला Zilla Parishad Mahatma Gandhi High School, Hiverkhed, Akola				
			जिला परिषद प्राईमरी स्कूल, वकोडी, औरंगाबाद Zilla Parishad Primary School, Wakodi, Aurangabad		10,44,000	10,44,000	एनजीओ द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through State Govt.
			जिला परिषद प्राईमरी स्कूल, वासोड, औरंगाबाद Zilla Parishad Primary School, Wasod, Aurangabad				
			जिला परिषद गलर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, लंचीघर ब्लॉक, उड़ीसा Zilla Parishad Girls Higher Secondary School, Lanjigarh, Block, Orissa		12,00,000	12,00,000	राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through State Govt.
			कुल (1) / Total (1)	**34,35,000**	**34,38,000**	**34,38,000**	

2.	प्राप्त फस्ट क्लास मार्कस के आधार पर प्राईमेरी प्रोडुसर परिवारों की बालिका विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना Scholarship to girls' students from the Primary Producers family based on the marks secured I last higher secondary examination conducted by State of Central Board	शिक्षा को प्रोत्साहन देना Promoting Education	औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अकोला व कलमनूरी तालुका के जिला परिषद स्कूल्स Zilla parishad schools in Akola and Kalamnuri Taluka of Aurangabad, Maharashtra	90,000	60,000	60,000	राज्यड सरकार द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through State Govt.
			जिला परिषद गलर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, लंचीघर ब्लॉक, उड़ीसा Zilla Parishad Girls Higher Secondary school in Lanjigarh, Block, Orissa		30,000	30,000	राज्यड सरकार द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through State Govt.
			Total (2)	**90,000**	**90,000**	**90,000**	
3	कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल VII के अनुसार अन्य कोई गतिविधि Any other activities as per schedule VII of Companies Act, 2013:						
	क) कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में एफएलडी कार्यक्रम के साथ संविदागत खेती करना a) Contract farming with FLD programme in backward districts in the States of Karnataka, Tamilnadu & Maharashtra	ग्रामिण विकास Rural Development	वायलापाडी,सिरूगनुपुर तथा तुंगापुरम, पेराबुलर जिला, तमिलनाडु : 250 एफएलडी Vayalapady, Siruganupur and thungapuram Perrabbular District, Tamil Nadu:250 Nos . FLD	8,50,000	3,95,000	3,95,000	एसएयु द्वारा प्रोजेक्टव इम्पलीमेंट किया Project implemented through SAU
			सिंदगी तालुका के यरागल, बिजापुर जिला, कर्नाटकः 150 एफएलडी Yarragal of Sindagi Talukar, Bijapur District , Karnataka:150 Nos.FLD		2,77,000	2,77,000	एसएयु द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through SAU
			जलगॉव जिले के भुसावल तथा इरंतोल, महाराष्ट्र : 100 एफएलडी Bhusaval and Erandol in Jalgaon District , Maharashtra:100 Nos. FLD		1,92,000	1,92,000	एसएयु द्वारा प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट किया Project implemented through SAU
			कुल (3ए) / Total (3a)	**8,50,000**	**8,64,000**	**8,64,000**	

	ख) स्वच्छ भारत कोष में अंशदान b)Contribution to Swachh Bharat Kosh	पर्यावरण कन्सरवेशन प्रयास Environmen-tal conservation effort	स्वच्छ भारत कोष, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली Swachh Bharat Kosh, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govern-ment of India, New Delhi	25,00,000	25,00,000	25,00,000	भारत सरकार Govt. of India
	ग) क्लीन गंगा निधि में अंशदान c) Contribution towards clean Ganga Fund		नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, भारत सरकार, नई दिल्ली National Mission for Clean Ganga, Govt. of India, New Delhi	8,00,000	8,00,000	8,00,000	
			कुल (1+2+3) **Total (1+2+3)**	**76,75,000**	**76,92,000**	**76,92,000**	

> **पिछले तीन वर्षों के शुद्ध औसत लाभ का 2% व्यय न करने का कारणः**

लागू नहीं

> **सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व स्टेटमेंट :**

भाकनि में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन व नियंत्रण सीएसआर उद्देश्य व कंपनी नीति के अनुपालन के अनुसार होता है ।

> **Reasons for not spending the 2% of average net profit of last three financial years:**

Not Applicable

> **Responsibility statement of the CSR Committee:**

The implementation and monitoring of CCI's CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-
(एम. एम. चौक्कलिंगम)
(M.M. Chockalingam)
निदेशक (विपणन)
Director (Marketing)

Sd/-
(प्रदीप कुमार अग्रवाल)
(Pradeep Kumar Agarwal)
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

Sd/-
(बी. के. मिश्र)
(B. K. Mishra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - सीएसआर समिति
Chairman-cum-Managing Director
& Chairman- CSR Committee

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट ब
ANNEXTURE B TO DIRECTORS' REPORT

फार्म सं .एमजीटी-9
31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष
वार्षिक रिपोर्ट का सार
(कंपनीज. अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनीज. (प्रबंधन प्रशासन) नियमावली 2014 के अनुसरण में)

Form No. MGT – 9
EXTRACT TO ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2015
[Pursuant to Section 92(3) of The Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I पंजीकरण व अन्य विवरण
I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	सीआईएन CIN	: :	यु51490एमएच1970जीओआई014733 U51490MH1970GOI014733
ii)	पंजीकरण की तारीख Registration Date	: :	31.07.1970 31.07.1970
iii)	कंपनी का नाम Name of the Company	: :	भारतीय कपास निगम लिमिटेड The Cotton Corporation of India Limited
iv)	श्रेणी/कंपनी की उप श्रेणी Category/sub-Category of Company	: :	शेड्यूल बी पीएसयु(शेर्यस द्वारा प्राईवेट कंपनी लि.) Schedule B PSU (Private Company limited by shares)
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क के विवरण Address of the Registered Office and contact details	: :	कपास भवन, प्लॉट नं.3ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-400614, फोन:022-27571372 Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector – 10, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra – 400 614, Ph: 022-27571372.
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है Whether listed Company	: :	नहीं No
vii)	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजंट का नाम, पता तथा संपर्क के विवरण Name, Address and contact details of Registrar and transfer Agent, if any	: :	लागू नहीं N/A

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

वे सभी व्यापारिक गतिविधियाँ जिसमें कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंश शामिल हो

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

क्रमांक Sr. No.	नाम तथा मुख्य उत्पादन/सेवाओंका विवरण Name and Description of main products/services	प्रोडक्ट/सर्विस का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/Service	कंपनी के कुल टर्नआवर का % % to total turnover of the Company
1.	कपास Cotton		

III. होल्डिंग, सब्सीडियरी तथा एसोसिएट कंपनीज़ के विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्रमांक Sr.No.	कंपनी का नाम तथा पता Name and Address of the Company	सीआईएन/ जीएलसी CIN/GLC	होल्डिंग/ सब्सीडियरी/ एसोसिएट Holding/Subsidiary/ Associate	शेयर्स का % % of shares held	लागू धारा प्राप्त Applicable Section
शून्य NIL					

IV. शेयरहोल्डिंग पैटर्न (कुल ईक्विटी प्रतिशत के अनुसार ईक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक-अप)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) श्रेणीवार शेयरहोल्डिंग / Category-wise Share Holding

शेयरहोल्डर की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या No. of Share held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % of change during the year
	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयस का % % of total shares	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	
ए. प्रोमोटर्स A. Promoters									
(1) भारतीय (1) Indian									
क. वैयक्तिक/एचयुएफ a) Individual/HUF	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ख. कंद्रीय सरकार b) Central Govt.	0	25,00,000	25,00,000	100	0	25,00,000	25,00,000	100	0.00

i) श्रेणीवार शेयरहोल्डिंग / Category-wise Share Holding									
शेयरहोल्डर की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या No. of Share held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % of change during the year
	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयरस का % % of total shares	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	
ग. राज्य सरकार c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
घ. बोडीज. कारपो. d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ङ) बैंकस/एफआई e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
च. अन्य कोई f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2. विदेशी (2) Foreign	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
बी. पब्लिक शेयरहोल्डिंग **B. Public Shareholding**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
सी. एडीआर व जीडीआर के लिए अभिरक्षरक के शेयर्स **C. Shares held by Custodian for ADRs& GDRs**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
सकल योग (ए+ बी+सी) **Grand Total (A+B+C)**	**0**	**0**	**25,00,000**	**0**	**0**	**25,00,000**	**25,00,000**	**0**	**0.00**

ii) प्रोमोटर्स के शेयर्स / Shareholding of Promoters

क्रमांक Sr. No	शेयरहोल्डर का नाम Shareholder`s Name	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year			वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरधारक में परिवर्तन का % % of change in shareholding during the year
		शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	कुल शेयर्स में गिरवी/ विल्लंगम युक्त शेयर्स का % % of shares pledged/ encumbered to total shares	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	कुल शेयर्स में गिरवी/ विल्लंगम युक्त शेयस का % % of shares pledged/ encumbered to total shares	
1.	भारत के राष्ट्रपति (वस्त्र मंत्रालय द्वारा) **PRESIDENT OF INDIA** (through Ministry of Textiles)	25,00,000	100	NIL	25,00,000	100	NIL	0

iii) प्रोमोटर्स शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन / Change in Promoters' Shareholding

	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दोरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
1.4.2014 वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year 01.04.2014	25,00,000	100	25,00,000	100
वृद्धि/ कमी के कारण सूचित करते हुए वर्ष के दोरान प्रोमोटर्स शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी (यानि आबंटन/ ट्रांसफर/बोनस/ स्वीट ईक्विटी इत्यादि) Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment transfer/bonus/ sweat equity etc):	NIL	N/A	NIL	N/A
31.3.2015 वर्ष के समाप्ति पर At the End of the yr 31.03.2015	25,00,000	100	25,00,000	100

iv) टॉप टेन शेयरहोल्डर्स का शेयर धारण का पेटर्न (निदेशक, प्रोमोटर्स तथा जीडीआर व एडीआर के धारक को छोडकर)
iv) Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

प्रत्येक टॉप 10 शेयरहोल्डस के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

v) निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिको के शेयर होल्डिंग :
v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

V) ऋणिताएँ
कंपनी की ऋणिताएँ बकाया/प्रोदभूत ब्याज शामिल करके परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं
V) INDEBTEDNESS
Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

	डिपाजिट छोडकर रक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनआरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणिताएँ Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष 1.4.2015 के प्रारंभ में ऋणिताएँ **Indebtedness at the beginning of the financial year 01.04.2015**				
i. मूल राशि Principal Amount	1486300.00	0.00	0.00	1486300.00
ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ Interest due but not paid	-	0.00	0.00	0.00
iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं Interest accrued but not due	-	0.00	0.00	0.00
कुल (i + ii + iii) / Total (i + ii + iii)	**1486300.00**	**0.00**	**0.00**	**1486300.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिताओं में परिवर्तन **Change in Indebtedness during the financial year**				
* जोड़ना / Addition	428000.00	0.00	0.00	428000.00
* घटाना / Reduction	1486300.00	0.00	0.00	1486300.00
कुल परिवर्तन / Net Change	**-1058300.00**	**0.00**	**0.00**	**-1058300.00**

	डिपाजिट छोडकर रक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनआरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणिताएँ Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष 31.3.2016 के समाप्ति पर ऋणिताएँ **Indebtedness at the end of the financial year 31.03.2016**				
i. मूल राशि Principal Amount	428000.00	0.00	0.00	428000.00
ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ Interest due but not paid				
iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं Interest accrued but not due				
कुल (i + ii + iii) / Total (i + ii + iii)	**428000.00**	**0.00**	**0.00**	**428000.00**

vi) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक
vi) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

क. A.	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:				
		प्रबंध निदेशक/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक के नाम Name of MD/ WTD/ Manager			
क्रमांक Sr. No.	पारिश्रमिक के ब्यौरे Particulars of Remuneration	श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri B. K. Mishra, CMD	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त) Shri Pradeep K. Agarwal, Director (Finance)	श्री एम.एम. चोक्कलिंगम, निदेशक (विपणन) Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)	कुल राशि Total Amount
1.	सकल वेतन / Gross salary				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अनुसार वेतन का प्रावधान (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961,	24,30,995.00	23,23,917.00	21,49,651.00	69,04,563.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961,	4,60,990.00	32,625.00	32,400.00	470,077.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत प्रोफिट इन लियू ऑफ सालरी(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक विकल्प / Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वीट ईक्विटी / Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के अनुसार Commission – as % of profit	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क) / TOTAL (A)	28,91,985.00	23,56,542.00	21,82,051.00	74,30,578.00
अधिनियम के अनुसार सीलिंग Ceiling as per act					

ख. B.	अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक Remuneration to other Directors:	निदेशकों के नाम / Name of Directors		कुल राशि Total Amount
	पारिश्रमिक के ब्यौरे Particulars of Remuneration	श्री जे.के.दादू SHRI J. K. DADOO	श्रीमती अनु गर्ग SMT. ANU GARG	
स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors				
• बोर्ड/कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • Fee for attending board/committee meetings • कमीशन • Commission • अन्य कृपया स्पष्ट करें • Others, please specify		0.00	0.00	0.00
कुल(1) / Total (1)		**0.00**	**0.00**	**0.00**
अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक Other Non-Executive Directors		0.00	0.00	0.00
• बोर्ड/कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • Fee for attending board/committee meetings • कमीशन • Commission • अन्य कृपया स्पष्ट करें • Others, please specify				
कुल(2) / Total (2)		0.00	0.00	0.00
कुल = (1+2) / Total = (1 + 2)		**0.00**	**0.00**	**0.00**

VII. जुर्माना/सजा/मिश्रित अपराध
PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type	कंपनीज. अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	जुर्माना/सजा/अधिशोषण मिश्रित शुल्क Details of Penalty/Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकृत (आरडी/एनसीएलटी/सीओयुआरटी) Authority [RD/NCLT/COURT]	अपील यदि कोई हो(विवरण दें) Appeal made, if any (give Details)
कंपनी / COMPANY					
जुर्माना Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित Compounding			NIL	NIL	NIL
निदेशक / DIRECTORS					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड / Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित/Compounding			NIL	NIL	NIL
अन्य दोषी अधिकारी / OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड /Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित/Compounding			NIL	NIL	NIL

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ब) के अधीन 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महापरीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित है। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 1 सितंबर 2016 द्वारा बताया गया है।

मैंने, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षा की ओर से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की धारा 143(6)(अ) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजात के बिना स्वतंत्र रुप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जाँच तक मुख्यतः सीमित है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं है जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक पर किसी टिप्पणी को उत्पन्न करता हो ।

The preparation of financial statements of Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 1 September 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report.

कृते और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(रूप राशि)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - I, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.12.2016

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

sd/-
(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board - I, Mumbai

Place: Mumbai
Date : 09.12.2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सदस्य

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **भारतीय कपास निगम लिमिटेड (कंपनी)** के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2016 का तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाते की विवरणी तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना आदि शामिल है, की लेखा परीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की :

कंपनी अधिनियम 2013('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताये मामलों के लिए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत बताये लेखा मानक शामिल करके सामान्य रूप से भारत में स्वीकार किये गये लेखा निर्देशों के साथ कंपनी नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के बारे में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और उपयुक्त सूचना देने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल-कपट व अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यायोचित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिजाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो लेखा रिकार्डस् के पूर्ण व परिशुद्धता हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को तैयार व प्रस्तुत किया जाये ताकि वित्तीय विवरणियों छल-कपट व त्रुटि के कारण मेटीरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हो ।

To,
The Members of
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Finalcial Statement

We have audited the accompanying financial statements of **THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company")**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा व लेखा परीक्षा के मानकों तथा उन सभी मामलों पर जो अधिनियम के प्रावधानों व उन पर बनाये गये नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है, उन सभी पर ध्यान दिया है ।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । चयनित पध्दति में, लेखा परीक्षकों के निर्णयों में वित्तीय विवरणियों मेटीरियल मिस-स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पध्दति का डिजाईन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है । लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और निदेशक मंडल द्वारा महत्वपूर्ण आंकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों पर जो साक्ष्य लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं ।

राय

हमारे राय में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिध्दांतों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यकेलापों तथा उसी दिन वर्ष समाप्ति के लिए लाभ व नकद प्रवाह सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2016, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट्स

1. कंपनीज अधिनियम (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम 143 के उप नियम (11) के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरणी अनुलग्नक - क में दे रहे हैं ।

2. कंपनी के रिकार्डस् के सत्यापन के आधार पर तथा हमें दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार हम अधिनियम की धारा 143(5) के बारे में नियंत्रक व भारत के महा लेखा परीक्षा द्वारा जारी निदेशों तथा उप निदेशों पर निम्नानुसार टिप्पणी देते हैं :

(i) निदेशों

क. उपलब्ध कराये गये दस्तावेज़ तथा उनकी जॉच के पश्चात कंपनीके पास क्रमशः फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड भूमि के स्वामित्वा के अधिकार/लीज डीडस क्लीयर है ।

ख. वर्ष के दौरान अधित्यजन/बही खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले नहीं है ।

ग. कंपनी ने तीसरी पार्टी के पास रखी इन्वेंटरी के लिए रिकार्डस का उचित रखरखाव किया है । कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से गिफ्ट के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

घ. सीएजी के फील्ड आफिस द्वारा कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी कंपनी/सैक्टर के अतिरिक्त विभिन्न अनुदेश नहीं है जिसके साथ कंपनी की प्रतिपूरक लेखा परीक्षा सौंपी गई है । अतः हमारी कोई टिप्पणी नहीं है ।

(ii) उप निदेशों

हमने उपदान निधि तथा छुट्टी नकदीकरण के सेवानिवृत्ति लाभों के उत्तरदायित्वों हेतु प्रावधानों के लिए डिसकाऊंट दर, भावी दर में वृद्धि, मॉरटैलिटी इत्यादि के बारे में एक्चुअरी को दी गई जानकारियों तथा इनपुटस् जैसे कर्मचारियों की कुल संख्या , औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure-A a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. Based on the verification of records of the Company and information and explanations given to us, we give below our comments on the Directions and Sub Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Act:

(i) Directions

a. Based on the documents provided and examined, the Company has clear titles / lease deeds for freehold and leasehold land respectively.

b. There are no cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. during the year.

c. The Company has maintained proper records for inventories lying with third parties during the year. The Company has not received any assets as gift / grant(s) from Government or other authorities during the year.

d. There are no any additional Company / Sector specific directions issued under section 143 (5) of the Companies Act, 2013 by the Field office of the CAG entrusted with the supplementary audit of the Company, hence we offer no comments.

(ii) Sub Directions

We have broadly examined the information / inputs furnished to the Actuary viz. number of employees, average salary, retirement age and assumptions made by the actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate etc. for arriving at the provision



तथा एक्चुअरी द्वारा लगाये गए अनुमानों की जांच की गई है । कंपनी द्वारा अधिवर्षिता के पश्चात् चिकित्सा सेवा लाभों का मूल्यांकन नहीं किया गया है अतः नकद आधार पर इसका लेखा किया गया है ।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

क. हमने अपने ज्ञान व जानकारी के अनुसार वे सभी जानकारियाँ व स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

ख. हमारी राय में जैसा कि हमने बुक्स की जाँच की है, कंपनी ने विधि से सभी बुक्स को उचित रूप में रखा है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कंपनी के लेखा बहियों के साथ मेल खाते है,

घ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरणियों के बारे में अधिनियम की धारा 133 जो कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

ङ. वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य-कलाप विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून 2015 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्ताता के बारे में तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन के बारे में हमारी परिशिष्टम- बी पर अलग रिपोर्ट देखें:

for liability of retirement benefits viz. gratuity and leave encashment. Actuarial valuation for Post retirement medical benefits is not got done by the Company and are accounted on cash basis.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e. The provisions of Section 164(2) of the Act are not applicable to the Company in view of Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure-B.

ज. कंपनीज (आडिट व आर्डिटर्स) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल करने के बारे में, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में जैसा कि नोट 26 में बताया गया है अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विधिक कार्यवाही का प्रभाव प्रकट किया है ।

ii) कंपनी में व्युत्पन्नी संविदाएँ शामिल करके किसी दीर्घावधि संविदाओं में कोई आर्थिक हानि दिखाई नहीं दे रही है ।

iii) कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एडयूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में किसी भी राशि को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है ।

g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as referred to in Note 26 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)

हस्ता/-
दीपक आजाद
भागीदार
एम.नं.94115
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)

हस्ता/-
आर.के.गुप्ता
भागीदार
एम.नं.86851
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 001009N)

Sd/-
Deepak Azad
Partner
Membership No.: 94115
Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

for Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 08186N)

Sd/-
R. K. Gupta
Partner
Membership No.: 86851
Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के समसंख्यक रिपोर्ट की धारा ' अन्य विधि तथा नियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा की गई पर्याप्ता जांच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

(ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था, जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार व परिसंपत्तियों के अनुरूप है । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

(ग) उपलब्ध करवाये गए दस्तावेजों तथा उनकी जांच के आधार पर कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के टाईटल डीडस पाये गए हैं ।

ii. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है । इन सत्यापन पर मुख्य रूप से कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गई ।

iii. (क), (ख) तथा (ग). कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों को से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । अतः वर्ष के दौरान आदेश के संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

Annexure - A to the Independent Auditor's Report

[Annexure-A referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED, on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2016]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.

(b) According to the information and explanations given to us, the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) Based on the documents provided and examined, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company.

ii. According to the information and explanations given to us, the inventories have been physically verified by the Independent Stock Verifiers at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency / intervals of verification is reasonable. No material discrepancies were noticed on such verification.

iii. (a), (b) & (c). According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to Companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act, thus related provisions of this clause of the Order are not applicable during the year.

iv. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी तथा प्रतभूति नहीं दी है तथा अधिनियम की धारा 185 व 186 के अधीन कोई निवेश कवर नहीं किया गया है अतः वर्ष के दौरान ऑडर के इस खंड से संबंधित प्रावधान लागू नहीं है ।

v. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अंतर्गत तथा संबंधित अधिनियम के किसी प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बनाये किसी नियमों अथवा धारा 73 से 76 के अंतर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

vi. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्ड को अनुरक्षित किया है ।

vii. (क) हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन प्रतिनिधि के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सर्विस कर, कस्टम्स डयुटी, एक्साईस डयूटी, वेट, सेस तथा कोई बकाया सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, सामान्यतः नियमित रूप से जमा कर रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कोई अविवादित बकाया सांविधिक राशि नहीं है जो देय तारीख से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया हो, केवल 122.05 लाख रू. जो एपीएमसी अधिनियम, 1966 के अंतर्गत बिनौलों पर वेट/ सीएसटी के लिए 1% मार्केट सेस भुगतान करने योग्य है ।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन प्रतिनिधित्व के अनुसार आयकर अथवा बिक्री कर, वेल्थ कर, सर्विस कर, कस्टम डयूटी अथवा एक्साईज डयूटी अथवा वैट अथवा सेस के मामलों में निम्नलिखित छोड़कर (वित्तीय विवरणी का नोट 26 देखें) कोई अविलंबित बकाया नहीं है ।

iv. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any loans, guarantees and security and has not made investments covered under section 185 and 186 of the Act, thus related provisions of this clause of the Order are not applicable during the year.

v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits covered under the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.

vi. According to the information and explanations given to us, the Central Government of India has not specified the maintenance of cost records by the Company under sub-section (1) of section 148 of the Act.

vii. (a) According to the records of the Company and information, management representations and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and there are no arrears of undisputed outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable except Rs.125.58 lakh which is payable towards VAT / CST on 1% Market Cess on Cotton Seed under the APMC Act, 1966.

(b) According to the information, management representations and explanations given to us, there were no dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax for the year under audit, which have not been deposited on account of pending disputes except stated below [refer Note 26 of Financial Statements].

संक्र. / Sr. No.	सांविधिक का नाम / Name of the Statute	देय राशि का प्रकार / Nature of dues	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) / Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakhs)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) / Period to which the amount relates (Assessment Years)	किस फोरम पर विवाद लंबित है / Forum where dispute is pending
1	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	**53.59**	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam.
2	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	**15.45**	2008-09	जेसीटी(अपील्सं), धारवाड़ JCT (Appeals), Dharwad
3	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	**13.73**	2011-12	जेसीटी(अपील्सं), धारवाड़ JCT (Appeals), Dharwad
4	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	**3.00**	2013-14	जेसीटी(अपील्सं), धारवाड़ JCT (Appeals), Dharwad
5	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	**27.32**	2011-12	एडीसी(सीटी)-गुंतूर ADC(CT)-Guntur
6	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	**6.83**	2011-12	एडीसी(सीटी)-गुंतूर ADC(CT)-Guntur
7	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	**36.06**	2013-14	एडीसी(सीटी)-गुंतूर ADC(CT)-Guntur
8	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	**9.01**	2013-14	एडीसी(सीटी)-गुंतूर ADC(CT)-Guntur

संक्र. / Sr. No.	सांविधिक का नाम / Name of the Statute.	देय राशि का प्रकार / Nature of dues	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) / Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakhs)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) / Period to which the amount relates (Assessment Years)	किस फोरम पर विवाद लंबित है / Forum where dispute is pending
9	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	**4.06**	1980-81, 1981-82, 1989-90 & 1992-93.	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा बिक्री कर कार्यालय में भेजी गयी । Appeals remanded back for reassess-ment at Bhatinda Sale Tax Office.
10	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर विकास कर के अंतर्गत मांग Demand under Punjab Infrastructure Development Tax.	**32.72**	2006-07	शुल्क एवं कर कमीशनर(अपील्सर) फरीदकोट डिविजन, भटिंडा के पास अपील लंबित Appeal pending at Excise & Taxation commissioner (Appeals), Faridkot Division, Bathinda
11	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर विकास कर के अंतर्गत मांग Demand under Punjab Infrastructure develoment Tax.	**14.28**	2010-11 & 2011-12	शुल्क एवं कर कमीशनर(अपील्सा) फरीदकोट डिविजन, भटिंडा के पास अपील लंबित Appeal pending at Excise & Taxation Commissioner (Appeals), Faridkot Division, Bathinda
12	सेवा कर Service Tax	सेवा कर के अंतर्गत मांग Demand under service tax	**4.06**	2009-10	सीईएसटीएटी, कोलकाता CESTAT, Kolkata

संक्र. Sr. No.	सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय राशि का प्रकार Nature of dues	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakhs)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) Period to which the amount relates (Assessment Years)	किस फोरम पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
13	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**3.97**	2005-06	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
14	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**1.53**	2006-07	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
15	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**15.92**	2007-08 to 2008-09	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
16	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**3.41**	2009-10	व्यवसाय कर अतिरिक्त9 कमीशनर,दक्षिण अंचल, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa

संक्र. / Sr. No.	सांविधिक का नाम / Name of the Statute	देय राशि का प्रकार / Nature of dues	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) / Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakhs)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) / Period to which the amount relates (Assessment Years)	किस फोरम पर विवाद लंबित है / Forum where dispute is pending
17	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**140.99**	2010-11	व्यवसाय कर अतिरिक्त कमीशनर, दक्षिण अंचल, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Additional Commissioner of Commercial Tax, South Zone Berhampur, Orissa
18	राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**11.79**	2006-07 to 2011-12	बिक्री कर संयुक्त कमीशनर (अपील्स), रायगनढ डिविजन, महाराष्ट्र के पास अपील Appeal with Joint Commissioner of Sales Tax (Appeals), Raigad Division, Maharashtra
19	आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200ए के अंतर्गत U/s 200A	**1.82**	2006-07 to 2011-12	आयकर आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
20	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर डिवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Development & Regulation) Act, 2002.	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर सेस (वित्तीय विवरणी के नोट 8 के फुट नोट देखें) Punjab Infrastructure Cess (Refer Foot Note below Note 8 of Financial Statement)	**9963.75**	2005-06 to 2015-16	सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष छुट्टी याचिका दायर की है Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.

viii. जॉच किए गए कंपनी के रिकार्ड के अनुसार तथा हमको दिए गए स्पष्टीकरण तथा जानकारी के आधार पर कंपनी ने सरकार, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं अथवा डिबेंचरधारकों से लिए गए ऋणों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है ।

ix. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण तथा रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीश्यल पब्लिक ऑफर अथवा आगे पब्लिक ऑफर (ऋण लिखित को शामिल करके) व टर्म लोन से कोई राशि वर्धित नहीं की है तदनुसार आर्डर के इस खंड के प्रावधान लागू नहीं है ।

x. भारत में लेखा परीक्षा की सामान्य रूप से स्वीकार की गई प्रथा के अनुसार लेखा बही की जॉच करने के दौरान हमारे ज्ञान व विश्वास व हमें प्राप्त जानकारी, स्पष्टीकरण व प्रबंधन प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष के दौरान हमने कंपनी को दिए गए कोई धोखादड़ी की घटनाओं अथवा कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किए गए धोखादड़ी की कोई घटना पायी नहीं गई है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों की सूचना दी गई है । (कपास मौसम 2014-15 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 5 धोखादड़ी के मामलों को छोड़कर जिसमें 181.60 लाख रूपये शामिल थे को छोड़कर) जो वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आडिट कमेटी को रिपोर्ट किया गया जो प्रेस वेट तथा सुपुर्दगी वेट में पायी गई सामान्य कमियों, पूरा भुगतान प्राप्त किए बगैर कपास की सुपुर्दगी तथा कपास गॉठों की कृत्रिम पैकिंग से संबंधित है ।

xi. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में धारा 197 के प्रावधान जो अधिनियम के शिड्यूल के साथ पढ़ा जाये निगमित कार्य-कलाप मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा कंपनी को यह लागू नहीं है । अतः वर्ष के दौरान आदेश के इस खंड से संबंधित प्रावधान लागू नहीं है ।

xii. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है तदनुसार आदेश के इस खंड के प्रावधान लागू नहीं है ।

xiii. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ प्रविष्ट सभी सौदे अधिनियम 177 वं 178

viii. According to the records of the Company examined and on the basis of the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of loans or borrowing to a financial institution, banks and Government or dues to debenture holders.

ix. According to the information and explanations given to us and as per records, the Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year, accordingly provision of this clause of the Order is not applicable.

x. During the course of our examination of the books of account carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and, to the best of our knowledge & belief and according to the information, explanations and management representation given to us, we have neither come across any instances of fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees, either noticed or reported during the year, nor have we been informed of such cases by the Management except 5 fraud cases involving Rs. 181.60 lakh on the Company by its employees occurred during cotton season 2014-15 and reported to the Audit Committee of the Board of Directors during the year which relates to abnormal weight shortage in press weight and delivery weight, fake packaging of cotton bales and delivery of cotton seed without collecting full payment.

xi. According to the information and explanations given to us, provision of section 197 read with Schedule V to the Act in respect of managerial remuneration are not applicable to the Company vide Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India), thus related provisions of this clause of the Order are not applicable during the year.

xii. According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company, accordingly, provision of this clause of the Order is not applicable.

xiii. According to the information and explanations given to us, all the transactions entered into with related parties are in compliance of Section 177

की धारा के अनुपालन में है, जहाँ तक संभव हो लागू किए गए है तथा लागू लेखा मानक की आवश्कतानुसार वित्तीय विवरणियों के नोट 41 में प्रकट किये गये है ।

xiv. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डिबेंचर शेयर अथवा आंशिक या पूर्णता संपरिवर्तनीय डिबेंचर का आंशिक अथवा पूर्णता निजी रूप से स्थान नहीं किया है । तदनुसार इस आर्डर के खंड के प्रावधान लागू नहीं है ।

xv. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 192 को देखते हुए वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों से नॉन कैश ट्रासैक्शन नहीं किया है ।

xvi. हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार आदेश के इस खंड के प्रावधान लागू नहीं है ।

and 188 of the Act to the extent applicable and the details have been disclosed in Note 41 of Financial Statements as required by the applicable Accounting Standards.

xiv. According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of this clause of the Order are not applicable.

xv. According to the information, management representations and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him during the year as referred to in section 192 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the provisions of this clause of the Order are not applicable.

xvi. According to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the provisions of this clause of the Order are not applicable.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)

हस्ता/-
दीपक आजाद
भागीदार
एम.नं.94115
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 001009N)

Sd/-
Deepak Azad
Partner
Membership No.: 94115
Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)

हस्ता/-
आर.के.गुप्ता
भागीदार
एम.नं.86851
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

for Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 08186N)

Sd/-
R. K. Gupta
Partner
Membership No.: 86851
Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

अनुलग्नक - ख भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरण पर सम तारीख स्वतंत्र आंकेक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के क्लॉज (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट -

हमने **भारतीय कपास निगम लिमिटेड (कंपनी)** के 31 मार्च 2016 को वित्तीय रिपोर्ट पर एवं उस दिन कंपनी की हमारी ओर से आंकेक्षित वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

द इंस्टिटयुट ऑफ चार्टड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के गाइडन्स नोट में उल्लेखित आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा स्थापित 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल-कपट व अनियमिताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यानयोचित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिजाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो लेखा रिकार्डस के पूर्ण व परिशुद्धता हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को समय पर तैयार व प्रस्तुत किया जा सके ताकि वित्तीय विवरणियों छल-कपट व त्रुटी के कारण मटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्ति हों, जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता है ।

अंकेक्षक / लेखा परिक्षक का उत्तयरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरिक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परिक्षा गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के गाइडन्स नोट (दगाइडन्से नोट), आयसीएआय द्वारा जारी लेखा परीक्षक के मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन समझे जानेवाले निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की सीमा तक लागू, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू एवं जो दोनों ही द इंस्टिटयुट ऑफ चार्टड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए है,के आधार पर की है । इन मानकों, गाइडन्स नोट

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON FINANCIAL STATEMENTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **The Cotton Corporation of IndiaLimited ("the Company")** as of March 31, 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to

की अपेक्षानुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते है और लेखा परीक्षा करते है कि आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चितता की जा सके कि यह वित्तीय विवरणियाँ नीतिपरक तथा मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मुक्त है।

लेखा परीक्षा की जॉच,परीक्षा के आधारपर राशियों के समर्थन में प्रमाण और 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं उनके संचलन की प्रभावशिलता की अभिव्यक्ति शामिल है। चयनित पद्धति में,लेखा परीक्षकों के निर्णयों में 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मटेरियल मिस स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है। उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धतिपर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पद्धति का डिझाइन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और लेखा परीक्षक द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साथ समग्र वित्तीय विवरणीयों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाता है।

हमें विश्वायस है कि वित्तीय विवरणियों पर जो साक्ष्य् लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परिक्षाके लिए पर्याप्त एवं उपयुक्ती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक का अर्थ

सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाध्य लक्ष्यों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाने में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाईन किया गया है । (1) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण की वे नीतियॉ व प्रक्रिया शामिल है जो कंपनी के रिकार्ड के रखरखाव को कंपनी के लेन-देन व परिसंपत्तियों के व्ययन को सही व उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है । (2) सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणियॉ तैयार करने की आवश्यक अनुमति के अनुसार लेनदेन रिकार्ड करने की उचित सुनिश्चितता प्रदान करने तथा प्रबंधक व कंपनी के निदेशक के प्राधिकरण के अनुरूप प्राप्ति व व्यय को तैयार करना तथा (3) अप्राधिकृत अर्जन का उपयोग व कंपनी की परिसंपत्तियों के व्ययन की रोकथाम अथवा समयानुसार पता लगाने के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाना जिससे वित्तीय विवरणियों पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है।

obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on thefinancial statements.



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतरनिहित परिसीमा

दुरभिसंधि की संभावना अथवा नियंत्रण के अध्यारोही अनुचित प्रबंधक, अनियमताओ अथवा छलकपट के कारण मटीरियल मिसस्टेटमेंट को शामिल करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतरनिहित परिसीमा के कारण घटित हो सकता है जिसको पकडना मुमकिन नहीं है । भावी अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी मूल्यांकन के प्रकलन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के जोखिम पर होगा जिस पर परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण अपर्याप्त अथवा नीतियों या प्रक्रिया के अनुपालन की डिग्री से विकृत होगा ।

राय

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणियॉ, द इंस्टिटयुट ऑफ चार्टड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के गाइडन्स नोट में उल्लेखित आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा स्थापित 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्ययक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी दिन वर्ष समाप्त के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतिरक वित्तिय नियंत्रण की सही और उपर्युक्त जानकारी देते है।

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)

हस्ता/-
दीपक आजाद
भागीदार
एम.नं.94115
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 001009N)

Sd/-
Deepak Azad
Partner
Membership No.: 94115

Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, generally in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on 'the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India'.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)

हस्ता/-
आर.के.गुप्ता
भागीदार
एम.नं.86851
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2016

for Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 08186N)

Sd/-
R. K. Gupta
Partner
Membership No.: 86851

Place: New Delhi
Date: 1st September 2016

31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
(I) ईक्विटी एवं देयताएँ EQUITY AND LIABILITIES			
(1) शेयरधारकों की निधि / Shareholders' Funds			
(क) शेयर पूँजी / (a) Share Capital	2	2,500.00	2,500.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष / (b) Reserves and Surplus	3	25,065.37	24,318.56
(ग) शेयर वारंटस के विरूद्ध प्राप्त धन (c) Money Received against Share Warrants		–	–
(2) आबंटन लम्बित शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allotment		–	–
(3) गैर-चालू देयताएँ Non-Current Liabilities			
(क) दीर्घावधिक उधार / (a) Long-Term Borrowings		–	–
(ख) अस्थिगित कर देयताएँ / (b) Deferred Tax Liabilities		–	–
(ग) अन्य दीर्घावधिक देयताएँ / (c) Other Long Term liabilities	4	860.19	348.89
(घ) दीर्घावधिक प्रावधान / (d) Long Term Provisions	5	2,401.48	2,532.75
(4) वर्तमान दायित्व Current Liabilities			
(क) अल्पावधिक उधार / (a) Short-Term Borrowings	6	4,28,000.00	14,86,300.00
(ख) व्यापारिक देयताएँ / (b) Trade Payables	7		
सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम की कुल बकाया देय Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		66.98	554.78
सूक्ष्म उद्यम व लघु उद्यम को छोड़कर ऋणदाताओं की कुल बकाया देय Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		1,581.64	40,303.72
(ग) अन्य वर्तमान देयताएँ / (c) Other Current Liabilities	8	44,629.61	49,533.59
(घ) अल्पावधिक प्रावधान / (d) Short-Term Provisions	9	2,656.84	4,005.12
कुल / TOTAL		**507,762.11**	**1,610,397.41**
(II) परिसंपत्तियाँ ASSETS			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियॉ Non-Current Assets			
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (a) Fixed Assets (Net)	10		
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets		4,913.64	4,884.30
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets		14.48	27.06
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर / Capital Work-in-progress		1.77	–
(iv) विकास अधीनअमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets under Development		–	–

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
(ख) गैर चालू निवेश			
(b) Non-Current Investments	11	0.01	0.01
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)			
(c) Deferred Tax Assets (Net)	12	5,271.11	5,608.18
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम			
(d) Long-Term Loans and Advances	13	555.36	524.63
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
(e) Other Non-Current Assets	14	171.14	174.79
(2) वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
Current Assets			
(क) वर्तमान निवेश / (a) Current Investments		–	–
(ख) माल सूचियाँ / (b) Inventories	15	153,557.64	1,531,892.72
(ग) व्यापार प्राप्य / (c) Trade Receivables	16	8,330.17	4,372.86
(घ) नकद और नकद समकक्ष/(d) Cash and Bank Balances	17	686.18	1,695.67
(च) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम			
(e) Short-Term Loans and Advances	18	1,743.62	5,352.73
(छ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ / (f) Other Current Assets	19	332,516.99	55,864.46
कुल / TOTAL		**507,762.11**	**1,610,397.41**

1 से 46 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 46, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 26 अगस्त 2016
Date : 26th August, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि विवरणी
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

विवरण /Particulars	नोट Note	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
I. परिचालनों से राजस्व Revenue from Operations	20	17,06,696.62	5,38,927.07
II. अन्य आय Other income	21	2,316.72	1981.48
III. कुल राजस्व (I+II) Total Revenue (I+II)		**17,09,013.34**	**5,40,908.55**
IV. व्यय Expenses			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत			
(a) Cost of Material Consumed			
- कच्चा माल / Raw Material		1,97,033.37	18,30,442.15
- पैकिंग माल / Packing Materials		1202.23	6983.29
- तारपोलीन / Tarpaulins		4.36	4.36
(ख) व्यापार के माल की खरीद			
(b) Purchase of Stock In Trade		0.00	0.00
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन			
(c) Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, Stock In Trade	22	13,70,158.31	(14,45,726.89)
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय			
(d) Employee Benefit Expenses	23	8,250.53	7,981.02
(च) वित्त लागत			
(e) Finance Cost	24	85,605.57	32,386.37
(छ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
(f) Depreciation and Amortization Expenses		273.56	260.29
(ज) अन्य व्यय			
(g) Other Expenses	25	44,532.20	1,05,976.17
कुल व्यय / Total Expenses		**17,07,060.13**	**5,38,306.76**
V. अपवादत्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) तथा कर (III-IV) Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		1,953.21	2,601.79
VI. अपवादत्मक मदें Exceptional items		0	0
VII. अपवादत्मक मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर (V-VI) Profit before Extraordinary items and Tax (V-VI)		1,953.21	2,601.79

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
VIII. असाधारण मदें			
Extraordinary items		0	0
IX. कर से पहले लाभ			
Profit Before Tax		1,953.21	2,601.79
X. कर व्यय			
Tax Expenses			
(क) वर्तमान कर / (a) Current Tax		434.06	558.59
(ख) आस्थगित कर / (b) Deferred Tax		337.07	(215.43)
(ग) पूर्व वर्ष के कर समायोजन / (c) Prior Year Tax Adjustments		12.81	0.00
XI. कर के बाद लाभ/(हानि) (IX-X)			
Profit after Tax (IX-X)		1,169.27	2,258.63
100 रु प्रति के अंकितमूल्य की प्रति ईक्विटी शेयर आय/(हानि)			
Earnings per equity share of face value of Rs. 100 each			
मूलभूत और तनुकृत / Basic and Diluted		46.77	90.35

1 से 46 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 46, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 26 अगस्त 2016
Date : 26th August, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(A) Cash Flow from Operating Activities		
कराधान के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net Profit Before Taxation and extraordinary items	1,953.21	2,601.79
समायोजन के लिए **Adjustment for**		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amortization Expenses	273.56	260.29
ब्याज व्यय Interest Expenses	85,605.57	32,386.37
ब्याज आय Interest Income	(515.94)	(890.85)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निकालने पर हानि Loss on Sale/Discard of Fixed Assets	(5.33)	(0.34)
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ **Operating Profit Before Working Capital Changes**	**87,311.07**	**34,357.26**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन **Adjustment for changes in Working Capital**		
व्यापार प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Trade Receivables	(3,957.31)	1,262.75
मालसूची में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Inventories	13,78,335.08	(14,55,998.69)
अल्पावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans and Advances	3,609.11	(1,510.22)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Current Assets	(2,76,652.53)	(54,073.55)
अन्य बैंक के बैलेंस में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Bank Balances	(7.63)	(5.00)
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans and Advances	(30.73)	(87.32)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Non-current Assets	3.65	7.22
व्यापार भुगतान योग्य में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Trade Payables	(39,209.88)	38,271.74
अन्य वर्तमान देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	(4,903.98)	33,546.50



(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Short term Provisions	(843.45)	696.12
अन्य गैर चालू देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Non- current Liabilities	511.30	27.12
दीर्घावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Long term Provisions	(131.27)	270.64
परिचालन से निर्मित नकद / (उपयोग में) **Cash Generated from / (used in) Operations**	**11,44,033.43**	**(14,03,235.43)**
प्रदत्त कर (वापसी का शुद्ध) Taxes Paid (Net of Refund)	(772.36)	(719.18)
परिचालन गतिविधियाँ से शुद्ध नकद प्रवाह (क) **Net Cash from Operating Activities (A)**	**1,143,261.07**	**(1,403,954.61)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Purchase of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	(298.77)	(236.06)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Sale of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	12.00	3.48
प्राप्य लाभांश Dividend Received	–	–
प्राप्य ब्याज Interest Received	515.94	890.85
शुद्ध नकद प्रवाह (उपयोग में) निवेश गतिविधियाँ (ख) **Net Cash Flow/ (Used in) Investing Activities (B)**	**229.17**	**658.27**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financing Activities**		
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि / (की चुकौती) Proceed from / (Repayment of) Short Term Borrowings (Net)	(10,58,300.00)	14,37,200.00
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	(85,605.57)	(32,386.37)
ईक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश Dividend Paid on Equity Share	(500.00)	(500.00)
वितरित लाभ पर प्रदत्त कर Dividend Tax paid on Distributed Profit	(101.79)	(84.98)
शुद्ध नकद प्रवाह / (उपयोग में) वित्तीय गतिविधियाँ (ग) **Net Cash Flow / (Used in) Financing Activities (C)**	**(11,44,507.36)**	**14,04,228.65**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग) Net Increase/ (Decrease) in Cash and Bank Balance (A+B+C)	(1,017.12)	932.31
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष Cash and Bank Balances as at the beginning of the year	1,658.86	726.55
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष Cash and Bank Balances as at the close of the year	**641.74**	**1,658.86**

1 से 46 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 46, form an integral part of the Financial Statements.

नोटस् :

1. उपरोक्तद नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में प्रवर्तित परीक्षा पद्धति के अंतर्गत तैयार की गई है ।
2. कोष्ठक में दिए गए ऑकडे कैश आऊट गो दर्शाते हैं ।

Notes :

1. The above Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by ICAI.
2. Figures in brakets indicated Cash outgo.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 26 अगस्त 2016
Date : 26th August, 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
This is the Cash Flow Statement referred to in our Report of Even Date.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
This is the Cash Flow Statement referred to in our Report of Even Date.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

लेखों के नोट्स

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.1 लेखा पद्धति :

ये वित्तीय विवरणियाँ प्रादभूत आधार पर ऐतिहासिक लागत कनवेन्शन के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिध्दांत के अनुसार तैयार किया गया है । यह वित्तीय विवरणियाँ कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 133 जो कंपनीज(लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये तथा कंपनीज अधिनियम 2013 के अन्य संगत प्रावधानों के अंत्र्गत अधिसूचित लेखा मानकों के साथ सभी आर्थिक विषयों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है । इसके अनुरूप प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ निम्नानुसार हैं :-

क. कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पध्दति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है ।

i) निर्यात और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय के संबंध में विदेशी मुद्रा, चुंगी वापसी में व्यय.

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बकाया राशि निगम को राशि देने में नियमित नही है.

iii) विवादित कर देयताएँ;

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य बन गए हैं,

vi) बीमा दावे, जिनकी बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की गयी है.

ख. उन खरीददारों की जमाराशि, अग्रिम लदान प्रभार और जमा शेष राशि को जिन्होंने बिक्री संविदा के अनुसार संविदागत माल न उठाने के कारण अपनी

Notes to the Accounts

1. Significant Accounting Policies for the Year ended 31st March, 2016

1.1 System of Accounting:

These Financial Statements have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India under the historical cost convention on accrual basis. These Financial Statements have been prepared to comply in all material aspect with the Accounting Standards notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013. Significant Accounting Policies have been applied consistently and are given below :

a. The Company follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon, on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

b. The amount of deposit, advance carrying charges and credit balances of the buyers who had not fulfilled their contractual

संविदागत बाध्यता पूरी नहीं की है, वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें एसे चूककर्ता खरीददारों के विरूध्द मध्यस्थता कार्यवाहियाँ आरंभ की जा चुकी है । इस प्रकार की आय को 'संविदा के रद्दीकरण के विरूध्द प्रतिपूर्ति' शीर्ष के अंतर्गत गिना जायेगा ।

ग. कंपनी के सामान्य आपरेटिंग साइकल तथा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा -3 में नियत अन्य रूपरेखा के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर चालू रूप में विश्लेषण किया गया । सेवाओं के स्व रूप के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों व देयताओं को चालू अथवा गैर चालू विश्लेषण के उद्देश्य से 12 माह के अनुसार ऑपरेटिंग साइकल को अभिनिश्चित किया है ।

1.2. राजस्व मान्यता :

इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इडिया द्वारा जारी लेखा मानक एएस-9 'राजस्व मान्यता' के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके कंपनी ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखी है :

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया राशि पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे हैं और कंपनी को राशि देने में नियमित नहीं है,

ii) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज ।

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावे दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चितता होती है ।

obligations by not lifting the contracted stocks as per sales contract has been recognised as income in the year in which arbitration proceedings had been initiated against such defaulting buyers. Such income is accounted for under the head 'Compensation against Cancellation of Contract'.

c. All the Assets and Liabilities have been classified as 'current' or 'non-current' as per the Company's normal Operating Cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of services, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of 'current' or 'non-current' classification of Assets and Liabilities.

1.2 Revenue Recognition:

In conformity with the provisions of Accounting Standard AS-9 on "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Company defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of :

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

ii) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

iii) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

vi) बकाया देयताएँ, जिनमें या तो कोई दावा नहीं है या वर्तमान वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए कोई विधिक मामला लंबित नहीं है ।

1.3 विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों कंपनी द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे सुपुदर्गी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान विक्रीत एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है ।

1.4 अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) लीजहोल्ड लैंड व बिल्डिंग का परिशोधन लीज अवधि पर लिया जा रहा है ।

घ) कार्य में प्रगति की रिपोर्ट वर्ष के अंत में प्राप्त सीपीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है ।

1.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधन :

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) 3 वर्ष की अवधि से परिशोधित की जा रही है ।

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

vi) Outstanding Liabilities, wherein, either there is no claim or no legal case is pending to be written back after period of three years.

1.3 Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the Company provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year. Sales under godown storage facility are booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked and bales lifted during the year.

1.4 Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule II to the Companies Act, 2013.

c) Leasehold land and buildings are being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress is stated on the basis of Central Public Works Department certificate received at year end.

1.5 Intangible Assets and Amortisation:

Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years.

1.6. नकद प्रवाह विवरणी:

नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के अधीन तैयार की गयी है ।

1.7 तुलन पत्र तारीख के बाद उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ

तुलन पत्र तारीख के और जिस तारीख को वित्तीय विवरणियाँ अनुमोदित हुई, जो वर्तमान तुलन पत्र तारीख की स्थितियों से संबंधित राशि के निर्धारण को प्रभावित करनेवाली अतिरिक्त जानकारी देती हैं, के बीच होने वाली घटनाओं के लिए संपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया गया है ।

1.8 अवधि से पहले की मदें :

अवधि से पहले की मदें आय और व्यय है, जो वर्तमान अवधि में एक या उससे अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी में चूक और गलतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। पूर्व अवधि में परिस्थितियों द्वारा निर्धारित अन्य समायोजन शामिल नहीं है, जो पूर्व अवधि से संबंधित होते हुए भी वर्तमान अवधि में निर्धारित किये गये है ।

1.9 निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

1.10 मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गाँठें/रूई का मूल्यांकन

i) वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii) समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गाँठों के संदर्भ में औसत लागत पर, यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii) देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदित हों तथा जिनके लिए संविदा की गई) औसतन लागत या संविदागत दर, जो भी कम हो ।

1.6 Cash Flow Statement:

The cash flow statement is prepared under indirect method.

1.7 Events occurring after the balance sheet date:

Adjustment to Assets and Liabilities are made for events occurring between balance sheet date and the date on which the financial statements are approved that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the conditions existing at the balance sheet date.

1.8 Prior period items:

Prior period items are income and expenses that arises in the current period as a result of errors and omissions in the preparation of the financial statements of one and more prior periods. Prior period items do not include other adjustments necessitated by circumstances, which though related to prior periods, are determined in the current period.

1.9 Investments:

Non Current Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

1.10 Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at –

i) Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii) Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Government of India.

iii) Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers).

iv) निर्यात के लिए मात्रा के मामले में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटायी गयी औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक को संविदागत दरों पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) (i) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार,केन्द्रवार और कपास वर्षवार औसत मूल्य पर किया जाता है । तथापि जब कभी कच्चा माल यानि कपास में गिरावट आती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बंधित गॉठों का मूल्य कच्चे माल यानि कपास के शुध्द वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जायेगा, तो कपास शुध्द वसूली योग्य मूल्य से कम लिखी जाती है ।

(ii) कच्चा माल यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी गई कपास के मूल्य की गणना गुणतावार तथा कपास वर्ष वार औसत लागत से लगाई जाती है । चूँकि इस प्रचालन के अंतर्गत हुई हानि यदि कोई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

घ) येलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाहे जाने वाले मूल्य पर किया गया है ।

ड.) जारी न किये गये हेसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदानास, गन्नी बैग्स, आयरन हूप्स तथा कीटनाशक के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया जाता है ।

च) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

1.11 गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :

संविदागत पूर्णबंधित गाँठों/स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/पोतवहन गोदाम तक ले जाने पर संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि पर हुए व्यय को लेखा वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए प्रभार नहीं लगाया जाता है।

iv) Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/realisable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) (i) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price of Raw Material i.e. Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value of raw material, the Kapas are written down to net realizable value.

(ii) Raw Material i.e. Kapas purchased under the Support Price Operations is valued at average cost calculated quality wise and cotton year wise, since the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Government of India.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

f) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

1.11 C & F Expenses on Export Bales:

Contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of Fully Pressed bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

1.12 कर्मचारी लाभ :

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउंन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) रोजगार के बाद लाभ :

i) परिभाषित अंशदान योजना

- **अधिवर्षिता :**

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्युसी)/जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008 तथा अधिसूचना संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्युसी) /जीएल/09 दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के निदेशानुसार कंपनी अधिवर्षिता योजना में अंशदान कर रही है ।

- **भविष्य निधि :**

भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है और उस पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभार लगाया जाता है ।

ii) परिभाषित लाभ योजना :

क. उपदान :

कर्मचारियों के उपदान दायित्व के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

ख. छुट्टी नकदीकरण :

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गयी है।

ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा व्यय को जिस वर्ष भुगतान किया गया है , लाभ/हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गई है ।

1.12 Employees' Benefits:

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Statement of Profit and Loss of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

- **Superannuation:**

The Company contributes to the Superannuation scheme fund as per the directives issued by the Department of Public Enterprises vide notification no. 2(70)/08-DPE(WC)/GL-XVI/08 dated 26th November 2008 and notification no. 2(70)/08-DPE(WC)/GL-VII/09 dated 02nd April 2009.

- **Provident Fund:**

Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and is charged to the Statement of Profit and Loss.

ii) Defined Benefit Plans:

a) Gratuity:

Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

b) Leave Encashment:

Provision for leave encashment of year end leave balance is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

The actuarial gain/loss is recognized in Statement of Profit and Loss.

c) Post Retirement Medical Expenses are recognised in the Statement of Profit and Loss in the year in which payment is made.

1.13 उत्पादकता सहबध्द प्रोत्साहन :

उत्पादकता सम्बध्द प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पाद वित्तीय वर्ष पर आधारित और वास्तविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

1.14 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों पर हानियों की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रोदभवन आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

1.15 आकलनों का उपयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिध्दांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभावित करता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

1.16 उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय

1.13 Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. Since it involves two financial years, hence the Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. Therefore, the Company follows the practice consistently of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the ensuing Financial Year in which the same is approved by the Board.

1.14 Reimbursement of losses in Minimum Support Price operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

1.15 Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made by the Management that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

1.16 Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time

आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

1.17 विदेशी मुद्रा के सौदा :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त/देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

1.18 प्रति शेयर आय :

प्रति शेयर की मूल और तनूकरण / हलका आय को ईक्विटी शेयर होल्डर्स को वर्ष के लिए दिये गये शुध्द लाभ द्वारा विभाजित करते हुए, वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर की वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित किया गया है ।

1.19 कराधान :

आस्थगित कर

देयता पध्दति के अंतर्गत वर्तमान कर की दर पर बुक लाभ और कर के समय अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर ।

आस्थगित कर को मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि प्रुडॅन्स् टाईमिंग डिफरन्स पर, जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्‌भूत होता है और एक या अधिक परवर्ति अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूध्द आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकती है ।

चालू कर

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर देयताओं के आधार पर लेखो में चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

1.17 Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Statement of Profit and Loss. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/ payables in foreign currency.

1.18 Earnings per share:

The basic and diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributed to the equity shareholders for the year, by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

1.19 Taxation:

Deferred Tax

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current Tax

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट)

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का कर के नियमों के अनुसार भुगतान किया गया है, जो कि भविष्य में आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में आर्थिक लाभ को बढ़ावा देता है, जिसको परिसम्पत्ति माना गया है, यदि ऐसे प्रत्यक्षकारी साक्ष्य हैं कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करती रहेगी । तद्नुसार यह संभावित है कि इसके साथ जुड़ा भावी आर्थिक लाभ कंपनी को बढ़ायेगा तथा तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाएगा तथा परिसंपत्ति का विश्वस्त मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

1.20 पट्टा (लीज) परिचालन :

पट्टे पर व्यवस्था को, जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता के पास निहित है, परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है ।

1.21 आस्तियों की क्षतिः

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तियों की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि का, जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है, लेखों में प्रावधान किया है । पहले के लेखा अवधि में सामान्य अनर्जक हानि को पीछे लौटाया गया है, यदि वसूली योग्य राशि के आंकलन में कोई परिवर्तन हुआ है ।

1.22 सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसकी बुक वैल्यू की जाती है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि या वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होता है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नामपत्र मूल्य दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी गई है ताकि संबंधित लागत/हानियों के साथ उसका मिलान हो

Minimum Alternate Tax (MAT)

Minimum alternative tax (MAT) paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefit in form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company shall pay normal tax in future. Accordingly, it is recognized as an asset in the balance sheet when it is probable that future economic benefit associated with it shall flow to the company and the asset can be measured reliably.

1.20 Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognized in the Statement of Profit and Loss on a straight line basis.

1.21 Impairment of Assets:

At each balance sheet date an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

1.22 Government Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Statement of Profit and Loss to match them with the related costs/losses, which are intended to be

सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । ऐसे अनुदानों को 'अन्य आय' के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

1.23 प्रावधान, समाश्रित देयताएँ और समाश्रित परिसंपत्तियाँ :

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

समाश्रित देयता के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँ :-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना/अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का निर्धारण करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।
- वित्तीय विवरणियों में समाश्रित आस्तिओं को न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है ।

compensated. Such grants are shown separately under 'Other Operative Revenues'.

1.23Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Company makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a –

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.
- Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 2
NOTE 2

शेयर पूँजीः
Share Capital :

प्राधिकृतः
Authorised :

प्रत्येक 100रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	7,500.00	7,500.00

निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्तः
Issued, Subscribed & Paid Up:

प्रत्येक 100 रू के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs. 100/- Each)	2,500.00	2,500.00
कुल Total	**2,500.00**	**2,500.00**

2.1 5% से अधिक शेयर धारकों के ब्यौरे
2.1 Details of Shareholders holding more than 5% shares

शेयर धारक का नाम Name of the Share holder	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2016 को No. of shares (% held) as at 31.03.2016	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2015 को No. of shares (% held) as at 31.03.2015
भारत के राष्ट्रपति President of India	25,00,000 (100%)	25,00,000 (100%)

(बेनीफिश्रल शेयरहोल्डर्स होने के कारण 3 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नामिनी शेयर्स धारित किए गए
{3 Shares (previous year 3 shares) held by nominee shareholders of The President of India being the beneficial shareholders.}

2.2 बकाया शेयरों का समाधान निम्नानुसार है

2.2 Reconciliation of Equity Shares outstanding

ब्यौरे Particulars	शेयर्स की संख्या दि.31.03.2016 को No. of shares as at 31.03.2016	शेयर्स की संख्या दि.31.03.2015 को No. of shares as at 31.03.2015	दि.31.03.2016 को (लाख रू.में) As at 31.03.2016 (Rs. in Lakh)	दि.31.03.2015 को (लाख रू.में) As at 31.03.2015 (Rs. in Lakh)
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर्स Equity Shares at the beginning of the Year	2,50,000	2,50,000	2,500.00	2,500.00
जोडेः वर्ष के दौरान जारी किये शेयर्स Add: Equity Shares issued during the year	–	–	–	–
घटाईयेंः वर्ष के दौरान मोचन किये गये शेयर्स Less: Equity Shares redeemed during the year	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स Equity Shares at the end of the year	2,50,000	2,50,000	2,500.00	2,500.00

2.3 अधिकार, अधिमान तथ निर्बधन

2.3 Rights, Preferences and Restrictions attached

कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स के रूप में केवल एक ही शेयर्स है, जिसका सममूल्य 100/- रू. है । सभी शेयर्स भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं । कंपनी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर्स होल्डर्स के अनुमोदन की शर्त पर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश को घोषित व भुगतान करती है ।

नये शेयर्स जारी करना, शेयर्स अंतरण, पूँजी का पुनः भुगतान, शेयर्स का सब-डिवीजन तथा कंसोलिडेशन इत्यादि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन की शर्त पर किए जाते हैं ।

The Company has only one class of shares referred to as Equity Share having a par value of Rs.100/-. All shares are in the name of the President of India. The Company declares and pays Dividend in Indian Rupees proposed by the Board subject to the approval of the Shareholder in Annual General Meeting.

Issue of new shares, transfer of shares, repayment of Capital, sub division and consolidation of shares etc. are subject to approval of the President of India.



(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 3 NOTE 3		
आरक्षित और अधिशेष : Reserves And Surplus :		
क. सामान्य आरक्षित / a. General Reserve		
आरंभिक शेष / Opening Balance	2,798.86	2,573.00
जोडेः चालू वर्ष में अंतरण Add: Current Year Transfer	–	225.86
घटाइयेः चालू वर्ष में किए गए पुनरांकन Deduction: Written Back in Current Year	–	–
अंतिम शेष Closing Balance — कुल (क) Total (A)	2,798.86	2,798.86
ख. अधिशेष / b. Surplus		
आरंभिक शेष / Opening balance	21,519.70	20,307.90
घटाइये : कंपनीज अधिनियम 2013 के शेडयूल II के समायोजन में Less: Adjustment Pursuant to Schedule II to the Companies Act, 2013	–	219.18
जोडेः चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ Add: Net Profit for the current year	1,169.27	2,258.63
घटाइयेः प्रस्तावित लाभांश Less: Proposed Dividend	351.00	500.00
घटाइयेः रिजर्व में अंतरण Less: Transfer to Reserves	–	225.86
घटाइयेः प्रस्तावित लाभांश पर कर Less: Tax on Proposed Dividend	71.46	101.79
अंतिम शेष Closing Balance — कुल (ख) Total (B)	22,266.51	21,519.70
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**25,065.37**	**24,318.56**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 4
NOTE 4

अन्य दीर्घावधि देयताएँ :
Other Long Term Liabilities :

प्रतिभूति निक्षेप/ प्रतिधारण धन Security Deposits /Retention Money	174.09	168.08
अन्य देय * Other Payables*	686.10	180.81
कुल Total	**860.19**	**348.89**

टिप्पणः

* अन्य शामिल देय :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 वर्ष के लिए कपास आयात से संबंधित मामलों पर प्राप्त 62.93 लाख रूपये (गत वर्ष 70.34 लाख रूपये) और भारत सरकार को देय । यह राशि पुराने कपास आयात निधि मामलों के निपटान के अधीन (ब्यौरे के लिए नोट 34) देखें)

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कपास आयात के संबंध में लंबित विधिक मामलों के सामने ग्राहकों से अग्रिम के ओर प्राप्त 108.75 लाख रूपये (गत वर्ष 108.75 लाख रूपये) (ब्यौरे के लिए नोट 34 देखें)

(ग) संबंधित दोषी खरीददारों द्वारा फाईल की गई अपील में यदि कंपनी सफल नहीं होती है तो संचित ब्याज सहित कंपनी की न्यायालय को वचनबद्धता के सामने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन प्रारंभ में उनको बेची हुई प्रारंभिक मात्रा की पुनः बिक्री के सामने हुई हानि के लिए खरीददारों से प्राप्त 511.63 लाख रू. प्राप्त)

Foot Note :

*Other Payable include:

(a) Rs. 62.93 lakh (Previous Year Rs. 70.34 lakh) received on account of Import of Cotton legal cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78 and payable to the Government of India. This amount is subject to settlement of old cotton import legal cases (Refer Note 34).

(b) Rs. 108.75 lakh (Previous Year Rs 108.75 lakh) payable to Government of India towards advance received from customers against which the legal cases are pending in respect of import of cotton during the year 1976-77 and 1977-78 (Refer Note 34).

(c) Rs. 511.93 lakh received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them under the orders of Hon'ble Bombay High Court against company's undertaking to the court for repayment of the same with accrued interest in case the company does not succeeds in the appeals filed by the concerned defaulting buyers.

नोट 5
NOTE 5

दीर्घावधि प्रावधान :
Long Term Provisions :

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान Provisions for Leave Encashment	2,401.48	2,532.75
कर के लिए प्रावधान Provisions for Taxation	–	–
कुल Total	**2,401.48**	**2,532.75**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 6
NOTE 6

अल्पावधि ऋण :
Short Term Borrowings :

मांग पर ऋणों का प्रतिदेय
Loans repayable on demand

बैंकों से
From Banks

रक्षित
Secured

अनुसूचित बैंको से (संकाय) * From Schedule Banks (Consortium) *	428,000.00	1,486,300.00
कुल Total	**428,000.00**	**1,486,300.00**

टिप्पणः

* संकाय बैंकों से ऋण अनुबंध के अनुसार 9.60% - 9.65% प्रति वर्ष की दर से 49,500 लाख रूपये ऋण 180 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 10.20%- 10.25% प्रति वर्ष दर से 11,37,500 लाख रूपये) तथा 9.40% की दर से 378500 लाख रूपये ऋण 180 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 10.00%- 10.15% प्रति वर्ष की दर से 348800 लाख रूपये) (बैंक ऑफ बड़ौदा (मुख्य बैंक), बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) कच्चा माल स्टोअर्स और स्पेअर्स, अर्ध तैयार माल, तैयार माल और व्यापार प्राप्य के दृष्टिबंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित ।

Foot Note :

* Rs. 49500 lakh borrowed @ 9.60 % - 9.65 % p.a. payable within 180 days (Previous Year Rs. 1137500 lakh borrowed @ 10.00 % - 10.25 % p.a.), and Rs. 378500 lakh borrowed @ 9.40 % payable within 180 days (Previous Year Rs. 348800 lakh borrowed @ 10.00% - 10.15% p.a.) as per Loan Agreement from Consortium of Banks {Bank of Baroda (Lead Bank), Bank of India, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank,Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of India, Syndicate Bank, Union Bank of India, Allahabad Bank, Andhra Bank, Uco Bank, United Bank of India and Vijaya Bank}, secured by pari-passu charge on Hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Semi Finished Goods, Finished Goods and Trade Receivables.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 7 NOTE 7		
व्यापार देय : Trade Payables :		
व्यापार देय Trade Payables		
मायक्रो, स्माल और मीडियम उद्यमों (नोट 33 देखें) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer Note- 33)	66.98	554.78
कुल बकाया देय मायक्रो व स्माल उद्यमों को छोड़कर Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	1,581.64	40,303.72
कुल / Total	**1,648.62**	**40,858.50**
नोट 8 NOTE 8		
अन्य चालू देयताएँ : Other Current Liabilities :		
कर्मचारी लाभ देय Employee Benefits Payable	111.31	46.48
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज और देय Interest accrued and due on Loans	–	–
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advance Received from Customers	26,912.44	21,042.81
बयाना धन/प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धन Earnest Money / Security Deposits / Retention Money	3,062.93	9,894.87
अन्य देय : Other Payables :		
- सांविधिक देय* / Statutory Dues*	11,998.94	17,598.25
- अन्य / Others	2,543.99	951.18
कुल / Total	**44,629.61**	**49,533.59**

फुट नोट :

* ब्याज सहित पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर्स उपकर देय 9963.75 लाख रू. (गत वर्ष 9080.63 लाख रू)

Foot Note :

* Includes Punjab Infrastructure Cess payable including Interest thereon Rs. 9963.75 lakh (Previous Year Rs. 9080.63 lakh).



(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 9
NOTE 9

अल्पावधि प्रावधान :
Short Term Provisions :

कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान Provision for Employee's Benefit	1,507.09	2,566.81
सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्याज के लिए प्रावधान (ब्यौरे के लिए कृपया नोट 33 देखे) Provision for Interest on Outstanding dues to Micro Enterprises and Small Enterprises (Refer Note - 33)	139.91	136.73
करों के लिए प्रावधान {3665.76 लाख शुद्ध अग्रिम कर (गत वर्ष 2868.00 लाख)} Provision for Taxes {Net of Income Tax of Rs. 4103.25 lakh (Previous Year Rs. 3665.76 lakh)}	587.38	699.79
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान Provision for Proposed Dividend	351.00	500.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर का प्रावधान Provision for Tax on Proposed Dividend	71.46	101.79
कुल / Total	**2,656.84**	**4,005.12**

नोट 10 : अचल परिसंपत्तियाँ / NOTE 10 : Fixed Assets:

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakh)

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्य ह्रास Depreciation/Amortization					शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दि. 01.04.2015 को As At 01.04.2015	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.03.2016 को As At 31.03.2016	दि.31.03.2015 तक Up to 31.03.2015	वर्ष के लिए For the Year	निष्कासित / बिक्री के लिए कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment for Write Off/ sale	कंपनीज़ अधिनियम 2013 के शेड्यूल-II के अनुसार मूल्यह्रास समायोजन Depreciation Adjustment as per Schedule-II of Companies Act, 2013	दि.31.03.2016 तक Up to 31.03.2016	दि.31.03.2016 को As At 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As At 31.03.2015
I	**मूर्त परिसंपत्तियाँ Tangible Assets**											
a	भूखण्ड (पूर्ण स्वामित्व) भूखण्ड (पट्टे पर)											
	Land (Free Hold)	126.23	-	-	126.23	-	-	-	-	-	126.23	126.23
	Land (Lease Hold)	316.46	-	-	316.46	83.47	3.53	-	-	87.00	229.46	232.99
b	भवन (पूर्ण स्वामित्व) भवन (पट्टे पर)											
	Buildings (Free Hold)	4,934.30	-	-	4,934.30	1,243.10	76.51	-	-	1,319.61	3,614.69	3,691.20
	Buildings (Lease Hold)	244.68	-	-	244.68	42.89	2.61	-	-	45.50	199.18	201.79
c	रेल्वे साईडिंग Railway Sidings	380.44	-	-	380.44	361.42	-	-	-	361.42	19.02	19.02
d	एअर कंडिशन संयंत्र Air-Condition Plant	276.55	-	-	276.55	262.74	-	-	-	262.74	13.81	13.81
e	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स Electrical Installation Lifts and Elevators	534.40	-	-	534.40	417.86	13.39	-	-	431.25	103.15	116.54
f	प्रयोगशाला उपकरण Lab Equipments	117.25	2.54	0.68	119.11	76.51	8.04	0.68	-	83.87	35.24	40.74
g	कंप्यूटर उपकरण Computer Equipments	653.74	100.89	12.82	741.81	389.18	92.94	12.57	-	469.55	272.26	264.56
h	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	608.34	13.05	10.36	611.03	511.65	17.63	9.37	-	519.91	91.12	96.69
i	वाहन Vehicles	151.67	150.32	68.72	233.27	118.74	26.64	64.41	-	80.97	152.30	32.93
j	कार्यालय उपकरण Office Equipment	261.56	27.53	9.91	279.18	213.76	17.00	8.76	-	222.00	57.18	47.80
	कुल I Total I	**8,605.62**	**294.33**	**102.49**	**8,797.46**	**3,721.32**	**258.29**	**95.79**	**-**	**3,883.82**	**4,913.64**	**4,884.30**
II	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets**											
a	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर Computer Software	362.60	2.70	0.91	364.39	335.54	15.27	0.90	-	349.91	14.48	27.06
	कुल II Total II	**362.60**	**2.70**	**0.91**	**364.39**	**335.54**	**15.27**	**0.90**	**-**	**349.91**	**14.48**	**27.06**
III	**पूंजी कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress**											
a	लैब संयत्र Lab Equipments	-	1.77	-	1.77	-	-	-	-	-	1.77	-
	कुल III Total III	**-**	**1.77**	**-**	**1.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.77**	**-**
	सकल कुल (I+II+III) Gross Total (I+II+III)	**8,968.22**	**298.80**	**103.40**	**9,163.62**	**4,056.86**	**273.56**	**96.69**	**-**	**4,233.73**	**4,929.89**	**4,911.36**
	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	**8,767.35**	**239.87**	**39.00**	**8,968.22**	**3,493.44**	**260.29**	**32.05**	**335.18**	**4,056.86**	**4,911.36**	**5,273.91**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 11
NOTE 11

गैर चालू निवेश (लागत पर) :
Non Current Investment (At Cost) :

गैर व्यापारिक
Non Trade

ईक्विटी इंस्ट्रुमेन्ट्स में निवेश (अनुद्धृत)
Investment in Equity Instruments (Unquoted)

प्रत्येक 1000/- रूपये के 500 ईक्विटी शेयर्स (गत वर्ष 500) 500 (Previous year 500) Equity Shares of Rs. 1000/-	5.00	5.00
घटाईयें: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for Diminution in Value of Investment	4.99	4.99
कुल **Total**	**0.01**	**0.01**

टिप्पण : गैर चालू निवेश को कमी द्वारा घटायी गयी लागत पर मूल्यांकन किया गया है ।
Foot Note : Non Current Investments are valued at Cost as reduced by diminution.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 12 **NOTE 12**		
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) : **Deferred Tax Assets (Net) :**		
(क) आस्थगित कर देयताएँ (A) Deferred Tax Liability		
अचल परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के खाते में Related to Fixed Assets on Account of Depreciation	805.44	902.88
घटाइये : आरक्षित व आपूर्ति के आरंभिक शेष के सामने मूल्यह्रास प्रभार पर कर प्रभाव Less: Tax effect on Depreciation charges against opening balance of Reserve & Surplus	–	116.00
कुल (क) Total (A)	805.44	786.88
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (B) Deferred Tax Assets		
I) हानि और मूल्यह्रास आगे लाया गया Carried Forward Losses and Depreciation	–	–
II) आयकर अधिनियम, 1961 के यू/एस 43बी भत्ते Allowances U/s 43B of the Income Tax Act, 1961	4,710.21	5,052.90
III) संदिग्ध ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts and Advances	618.07	593.89
IV) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Value of Investment	1.73	1.73
V) प्राप्य बफर स्टाक हानि के लिए प्रावधान Provision for Buffer Stock Losses Receivable	746.54	746.54
कुल (ख) Total (B)	6,076.55	6,395.06
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क-ख) **Net Defered Tax Assets (Net) (A-B)**	**5,271.11**	**5,608.18**

टिप्पणः
लेखा मानक-22 के अनुसार आय पर करों की गणना 337.07 लाख रूपये आस्थगित कर परिसंपत्तियों को लाभ व हानि विवरणी में मान्यता दी गयी है (गत वर्ष 215.43 लाख रूपये)

Foot Note:

In accordance with Accounting Standard - 22 “Accounting for Taxes on Income”, the Deferred Tax Assets (Net) of Rs. 337.07 lakh (Previous year Rs. 215.43 lakh) has been recognized in the Statement of Profit & Loss.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 13 NOTE 13		
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम : Long Term Loans and Advances :		
जमा प्रतिभूति / अग्रिम Security Deposits / Advances		
- अरक्षित शोध्य माने गये*		
- Unsecured Considered Good*	241.95	202.10
अन्य ऋण और अग्रिम Other Loans and Advances		
- रक्षित शोध्य माने गये		
- Secured, Considered Good		
कर्मचारियों को ऋण Loans to Employees	241.89	251.34
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	71.52	71.19
- आरंक्षित संदिग्ध माने गए		
- Unsecured, Considered Doubtful	49.62	21.62
घटाईयें: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Less: Provisions for Doubtful Advances	(49.62)	(21.62)
कुल Total	**555.36**	**524.63**

टिप्पण:

(क) लेबर अधिकारी तथा न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरण, हुबली के आदेश के विरूद्ध 26.07 लाख रू. शामिल है (पिछले वर्ष - 26.07 लाख रू.)

(ख) विभिन्न कर प्राधिकरण से डिसपूट के अंतर्गत 107.35 लाख रू. जमा शामिल (पिछले वर्ष 49.02 लाख)

Foot Note:

(a) Includes Rs. 26.07 lakh (Previous Year Rs. 26.07 lakh) deposited against order of Labour Officer and Minimum Wages Authority, Hubli.

(b) Includes Rs. 107.35 lakh (Previous Year Rs. 49.02 lakh) deposited under despute with various Tax Authorities.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015

नोट 14
NOTE 14

अन्य गैरचालू परिसंपत्तियाँ :
Other Non-Current Assets :

दावे और अन्य वसूली योग्य
Claims & Other Recoverable

निदेशकों के ऋण अग्रिम पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Directors	–	–
कर्मचारियों के ऋण अग्रिमों पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Employees	171.14	174.79
भारत सरकार से प्राप्य बफर स्टाक पर हानि Losses on Buffer Stock Operations Receivable from Government of India	2,157.14	2,157.14
घटाइये - भारत सरकार से प्राप्य बफर स्टाक संचालन पर हानि के प्रावधान Less : Provision for losses on Buffer Stock Operations receivable from Government of India	(2,157.14)	(2,157.14)
कुल Total	**171.14**	**174.79**

नोट 15
NOTE 15

~~मालसूची~~ :
~~Inventories~~ :

कच्चा माल Raw Material	286.18	9,224.00
तैयार माल Finished Goods	1,47,298.54	15,17,062.51
तैयार माल- मार्गस्थ में माल Finished Goods - Goods-in-Transit	–	394.34
अन्य मदें Others Items	5,972.92	5,211.87
कुल Total	**1,53,557.64**	**15,31,892.72**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 16 NOTE 16		
व्यापार प्राप्य राशि : Trade Receivables :		
- **6 माह से अधिक** - **Exceeding Six Months**		
रक्षित शोध्य माने गये Secured Considered Good	–	–
अरक्षित शोध्य माने गये शोध्य* Unsecured Considered Good*	772.04	120.60
अरक्षित संदिग्ध माने गये Unsecured Considered Doubtful	1,722.30	1,690.67
घटाईयें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(1,722.30)	(1,690.67)
कुल (क) Total (A)	772.04	120.60
- **अन्य** - **Others**		
रक्षित शोध्य माने गये Secured Considered Good	–	–
अरक्षित शोध्य माना गया माल ** Unsecured Considered Good**	7,558.13	4,252.26
संदिग्ध माने गये Unsecured, Considered Doubtful	13.99	3.75
घटाईयें : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(13.99)	(3.75)
कुल (ख) Total (B)	7,558.13	4,252.26
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**8,330.17**	**4,372.86**

टिप्पण:

* एनटीसी सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सुपुर्दगी के लिए बकाया राशि की वसूली एनटीसी मिलों से 763.26 लाख रू. की राशि (गत वर्ष 73.81 लाख रू.) देय ऋण शामिल है।

** एनटीसी, सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सुपुर्दगी के लिए बकाया राशि की वसूली एनटीसी मिलों से 7,386.00 लाख रूपये (गत वर्ष 3478.25 लाख रूपये) की राशि देय ऋण शामिल है ।

Foot Note:

* Include debts due from NTC mills amounting to Rs.763.26 lakh (Previous Year Rs. 73.81 lakh) for delivery as per Memorandum of Understanding reached amongst National Textiles Corporation Ltd., Cotton Corporation of India Ltd. and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding.

** Include debts due from NTC mills amounting to Rs.7386.00 lakhs (Previous year Rs. 3478.25 lakh) for delivery as per Memorandum of Understanding reached amongst National Textiles Corporation Ltd., Cotton Corporation of India Ltd. and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

		दि 31.03.2016 को As at 31.03.2016	दि.31.03.2015 को As at 31.03.2015
नोट 17 NOTE 17			
नकद और नकदी समकक्ष : Cash and bank balances :			
नकद और नकदी समकक्ष Cash and Cash Equivalents			
हाथ में रोकड़ Cash on Hand		–	–
हाथ में चैक्स, ड्राफ्टस् Cheques, Drafts on hand		–	0.20
बैंक में शेष Balance with Banks			
चालू खाते में* In Current Accounts*		641.74	1,658.66
अन्य बैंक में शेष Other Bank Balances			
जमा राशि खाते में** Deposit with Banks**		44.44	36.81
	कुल Total	**686.18**	**1,695.67**

टिप्पण :

* आंध्रा बैंक से 0.12 लाख रू. (गत वर्ष 0.12 लाख रू.) शामिल हैं, जो प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज गुन्तूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार लीन के रूप में चिन्हित किया गया है, जो वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न किसानों को कपास मूल्य का भुगतान न करने के बारे में है ।

** आंध्रा बैंक के पास जमा 39.44 लाख रूपये के फिक्सड डिपाजिट (गत वर्ष 31.81 लाख रू.) तथा यह राशि वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न किसानों को कपास मूल्य का भुगतान न करने के बारे प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज गुन्तूर के आदेशानुसार जमा की गई हैं, जो आदिलाबाद शाखा में गोदाम किराये पर लेने के लिए सुरक्षा जमा राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पास 5.00 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य) सुरक्षा जमा राशि के रूप में शामिल है।

Foot Note:

* Includes Rs. 0.12 lakh (Previous Year Rs. 0.12 lakh) with Andhra Bank earmarked as lien as per order issued by the Principal Senior Civil Judge, Guntur in the matter of non payment of kapas value to the various farmers during the year 1999.

** Includes Rs. 39.44 lakh (Previous Year Rs.31.81 lakh) in the form of Fixed Deposit including accured interest with Andhra Bank, deposited as per the order of Principal Senior Civil Judge, Guntur, in the matter of non payment of kapas value to the various farmers during the year 1999 and Rs. 5.00 lakh (previous year Nil) deposited with State Bank of Hyderabad as Security Deposit for hiring of Godowns at Adilabad Branch

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2016 Year Ended 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015
नोट 18 NOTE 18		
अल्पावधि ऋण और अग्रिम : Short-term loans and advances :		
अन्य ऋण और अग्रिम Other Loans and Advances		
- **रक्षित शोध्य माने गये** - **Secured, Considered good**		
कर्मचारियों को ऋण Loans to Employees	57.79	49.57
- **अरक्षित शोध्य माने गये** - **Unsecured Considered Good**		
निदेशकों को अग्रिम Advances to Directors	-	0.04
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	47.48	38.71
अग्रिम आयकर {(4103.25 लाख रू. का शुद्ध प्रावधान) गत वर्ष 3665.76 लाख)} Advance Income Tax {(Net of provision for Tax of Rs. 4103.25 lakh previous year Rs. 3665.76 lakh)}	445.07	132.33
एमएटी ऋण पात्रता MAT Credit Entitlement	432.26	416.11
अन्य अग्रिम / जमा राशि Other Advances / Deposits	761.02	4,715.97
कुल Total	**1,743.62**	**5,352.73**
नोट 19 NOTE 19		
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ : Other Current Assets :		
अरक्षित शोध्य माने गये Unsecured Considered Good		
भारत सरकार से प्राप्य एमएसपी हानि Losses on Minimum Support Price Operations Receivable from Government of India	3,30,508.16	53,561.65
निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Interest receivable on Loans and Advances to Directors	0.01	0.02
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Interest receivable on Loans and Advances to Employees	24.41	21.71
अन्य प्राप्य राशि / Other Receivables	1,984.41	2,281.08
कुल Total	**3,32,516.99**	**55,864.46**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2016 Year Ended 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015
नोट 20 NOTE 20		
परिचालन से राजस्व : Revenue from Operations :		
(क) उत्पाद की बिक्री / (a) Sale of products		
पूर्ण बंधित गांठे, बिनौले, रूई और विविध की बिक्री Sale of Fully Pressed Bales, Cotton Seed, Lint, and Miscellaneous Items such as Sample, Cowdy, Roller/Yellow Picking Bales etc	13,99,387.13	4,83,783.23
(ख) सेवा बिक्री / (b) Sale of Services	–	–
(ग) अन्य परिचालन राजस्व / (c) Other Operating Revenues		
रखरखाव प्रभार और देरी से उठाने के प्रभार Carrying Charges & Late Lifting Charges	4,259.23	1,111.16
संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति Compensation For Cancellation of Contracts	69.94	471.03
शुल्क वापसी (निर्यात) / निर्यात प्रोत्साहन Duty Drawback (Export) / Export Incentive	73.80	–
एमएसपी परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति (नोट 28 देखें) Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations (Refer Note 28)	3,02,906.52	53,561.65
	3,07,309.49	55,143.84
कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c)	**17,06,696.62**	**5,38,927.07**
नोट 21 NOTE 21		
अन्य आय : Other Income :		
किराया आय / Rental Income	605.96	552.53
अल्पावधिक जमाराशि पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Short Term Deposits	3.61	3.32
अन्य ब्याज आय / Other Interest Income	512.33	887.53
प्रावधान की आवश्यकता नही है Provision No Longer Required Written Back	120.80	23.22
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध) / Foreign Exchange Gain (Net)	172.02	–
डूबंत ऋण वसूली / Bad Debts Recovered	1.00	–
बीमा दावें / Insurance Claims Received	676.44	467.87
अन्य विविध आय / Other Miscellaneous Income	224.56	47.01
कुल Total	**2,316.72**	**1,981.48**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2016 Year Ended 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015
नोट 22 NOTE 22		
तैयार माल, कार्य प्रगति पर, विक्रेय में स्टॉक की मालसूची में परिवर्तन : Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, Stock In Trade :		
तैयार माल का आरंभिक स्टॉक Opening Stock of Finished Goods	15,17,456.85	71,729.96
घटाईयें: तैयार माल का अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock of Finished Goods	1,47,298.54	15,17,456.85
मालसूची में कमी / (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Inventories	**13,70,158.31**	**(14,45,726.89)**

नोट 23 NOTE 23		
कर्मचारी लाभ व्यय : Employee Benefits Expense :		
वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य प्रोत्साहन Salaries, Allowances, Bonus & Other Incentives	5,762.09	5,488.74
छुट्टी का नकदीकरण (नोट 35 ख देखें) Encashment of Leave (Refer note 35 B)	609.44	746.19
अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान (नोट 35 क देखें) Contribution To Provident Fund & Pension Fund (Refer Note 35 A)	619.05	559.33
उपदान निधि में अंशदान (नोट 35 ख देखें) Contribution To Gratuity Fund (Refer Note 35 B)	105.79	323.10
अधिवर्षिता निधि में अंशदान (नोट 35 क देखें) Contribution To Superannuation Fund (Refer Note 35 A)	709.45	520.69
कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	444.71	342.97
कुल Total	**8,250.53**	**7,981.02**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2016 Year Ended 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015
नोट 24 **NOTE 24**		
वित्तीय लागत : **Finance cost :**		
(क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	85,605.57	32,386.35
(ख) अन्य B) Others	–	0.02
कुल **Total**	**85,605.57**	**32,386.37**
नोट 25 **NOTE 25**		
अन्य व्यय : **Other Expenses :**		
(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार **(A) Ginning and Pressing Expenses**		
जिनिंग प्रभार Ginning Charges	5,580.02	50,141.80
प्रेसिंग प्रभार Pressing Charges	2,430.65	23,989.39
श्रम और अन्य संसाधन प्रभार Labour and Other Processing Charges	2,154.79	15,993.84
कुल (क) **Total (A)**	10,165.46	90,125.03
(ख) अन्य परिचालन व्यय **(B) Other Operating Expenses**		
गोदाम किराया Godown Rent	15,749.65	5,604.48
बीमा Insurance	3,651.28	2,970.30
बैंक प्रभार Bank Charges	39.14	48.46
कपास उपज के सुधार पर व्यय Expenses on Improvement of Cotton Yield	–	17.07
कुल (ख) **Total (B)**	19,440.07	8,640.31

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2016 Year Ended 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015
(ग) प्रशासकीय और स्थापना व्यय **(C) Administrative and Establishment Expenses**		
कार्यालय किराया Office Rent	86.67	76.19
यात्रा व्ययः Travelling Expenses of :		
- निदेशक / Directors	30.45	35.00
- अन्य / Others	209.29	183.65
दरें और कर * Rates & Taxes*	35.83	38.35
विधिक और व्यावसायिक शुल्क Legal & Professional Fees	158.25	186.82
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक (नोट 36 देखें) Remuneration to Auditors (Refer Note 36)	36.57	23.32
मरम्मत और अनुरक्षण (बिल्डिंग) Repairs & Maintenance (Building)	120.32	120.01
मरम्मत और अनुरक्षण (अन्य) Repairs & Maintenace (Others)	13.41	17.09
विज्ञापन Advertisement	39.67	23.29
जनसंपर्क और प्रचार Public Relation & Publicity	18.61	12.90
अचल परिसंपत्तियों के बिक्री / निपटान पर हानि Loss on Sale / Discard of Fixed Assets (Net)	(5.33)	(0.34)
विद्युत जल प्रभार / जेनरेटर प्रभार Electricity Water Charges / Generator Charges	156.30	111.85
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान (नोट 33 देखें) Provision for Interest on outstanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises (Refer Note 33)	3.25	2.07
अन्य प्रशासनिक व्यय Other Administrative Expenses	457.33	529.40
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय Expenditure on Corporate Social Responsibility	76.92	47.32
कुल (ग)Total (C)	1,437.54	1,406.92

टिप्पण : * किरायेदारों से 83.23 लाख रूपये की शुद्ध वसूली (गत वर्ष 82.30 लाख रूपये)
Foot Note :*Net of Recovery of Rs. 83.23 lakh (previous year Rs. 82.30 lakh) from the tenants.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
(घ) विक्रय, संवितरण एवं प्रेषण व्यय **(D) Selling, Distribution & Forwarding Expenditure**		
विक्रय एवं संवितरण व्यय Selling & Distribution Expenses	5,772.24	4,311.64
दलाली / कमीशन Brokerage / Commission	76.44	236.35
नकद छूट Cash Discount	6,243.35	248.82
निकासी एवं प्रेषण प्रभार Clearing & Forwarding Charges	382.93	-
कुल (घ) **Total (D)**	12,474.96	4,796.81
(च) प्रावधान व बट्टे खाते व्यय **(E) Provisions and Write off Expenses**		
बट्टे खाते अग्रिम वसूली Advances / Recoverable Writen off	-	96.25
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के प्रावधान Provision For doubtful Debts / Advances	79.19	57.32
पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के लिए प्रावधान (नोट - 29 देखें) Provision for Interest on Punjab Infrastructure Cess (Refer Note-29)	883.12	812.25
प्राप्य बफर स्टॉक के हानि के लिए प्रावधान Provision for Buffer Stock Losses Receivable	–	–
कुल (ङ) **Total (E)**	962.31	965.82
(छ) पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध) **(F) Prior Period Expenses (Net)**		
आय **Income**		
लदान प्रभार,संविदा कमीशन के रद्द होने पर क्षतिपूर्ति बीमा दावे Carrying Charges, Compensation for Cancellation of Contracts Commission & Insurance Claims	47.66	29.58
विविध आय Miscellaneous Income	0.01	4.62
	47.67	34.20

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2016	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015
व्यय Expenditure		
जिनिंग एवं प्रोसेसिंग प्रभार Ginning & Processing Charges	1.32	–
प्रशासन तथा अन्य व्यय Administration & Other Expenses	98.21	75.48
	99.53	75.48
(आय)/ व्यय (शुद्ध) (च) (Income) / Expenditure (Net) (F)	**51.86**	**41.28**
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च) Total (A+B+C+D+E+F)	**44,532.20**	**1,05,976.17**

लेखों के लिए नोट्स

26. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है ।

i) कंपनी के विरूध्द कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि निश्चित और ऋण के रूप में नहीं मानी गई राशि 952.11 लाख रूपये है (गत वर्ष 731.01) लाख रूपये । इसके अलावा यदि विधिक मामले कंपनी के विरूध्द निर्णित होते हैं तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा । राशि निश्चित नहीं मानी गई है।

ii) बिक्री कर की माँग 503.80 लाख रूपये (गत वर्ष 107.02 लाख रू. शुद्ध भुगतान) (गत वर्ष 318.70) लाख रूपये के सामने जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है ।

iii) सेवा कर की माँग 4.06 लाख रूपये (0.33 लाख रू. शुद्ध भुगतान) गत वर्ष 4.06 लाख रू. (0.33 लाख रू. शुद्ध भुगतान) जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है । सेवा कर की मांग 52.04 लाख रू. (पिछले वर्ष 52.04 लाख) जिसके बारे में सर्विस टैक्स विभाग की अपील सीईएसटीएटी के समक्ष लंबित है।

iv) आयकर की मांग 1.82 लाख रू. (गत वर्ष 209.64 लाख रूपये) की राशि है, जिसके बारे में कंपनी ने आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील की है ।

v) 'सी'/'एच' आई फार्मस् प्रस्तुत न करने की स्थिति में 576.30 लाख रू (शुद्ध क्रेडिट उपलब्ध) (गत वर्ष 725.68 लाख रूपये)की राशि बकाया है जो कि बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण से पूर्व पार्टियों से 'सी'/'एच' 'आई' फार्मस् जमा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

vi) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और 15.24 रूपये के लिए (गत वर्ष शून्य) प्रावधान नहीं किया गया है ।

vii) अन्य कमिटेंट पर अनुमानित राशि तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है शून्य (गत वर्ष शून्य)

viii) निगम की ओर से बैंक द्वारा रू.0.01 लाख की गॉरंटी दी गई (गत वर्ष रू. 0.01 लाख)

Notes to the Accounts

26. Contingent Liabilities not provided for:

i) Claims of employees and others against the Company of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 952.11 lakh (previous year Rs. 731.01 lakh). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company (amount not ascertainable).

ii) Sales Tax demands amounting to Rs. 503.80 lakh (Net of payment of Rs. 107.02 lakh) as against previous year Rs. 318.70 lakh (Net of payment of Rs. 48.69 lakh) in respect of which the Company is in appeals.

iii) Service Tax demands amounting to Rs. 4.06 lakh (Net of payment of Rs. 0.33 lakh) previous year Rs. 4.06 lakh (Net of payment of Rs. 0.33 lakh) in respect of which the Company is in appeal. Service Tax demand amounting Rs. 52.04 lakh (previous year 52.04 lakh) in respect to which the Service Tax Department's appeal is pending before CESTAT.

iv) Income Tax demands amounting to Rs. 1.82 lakh (previous year Rs. 1.82 lakh) in respect of which the Company is in appeal before Commissioner of Income Tax (Appeals).

v) Dues towards non submission of 'C'/'H'/'I' forms is Rs. 576.30 lakh (net of credit available) (previous Year Rs. 725.68 lakh) which are being pursued with the parties for collection of the 'C'/'H'/'I' form before Assessment by the Sales Tax Authorities.

vi) Estimated amount of commitment of capital contracts remaining to be executed and not provided for is Rs. 15.24 lakh (previous Year NIL).

vii) Estimated amounts of other commitments not provided for is Nil (previous year Nil).

viii) Guarantee given by the Bank on behalf of the Corporation is Rs 0.01 lakh (previous year Rs. 0.01 lakh).

ix) संबंधित दोषी खरीददारों द्वारा फाईल की गई अपील में यदि कंपनी सफल नहीं होती है तो संचित ब्याज सहित कंपनी की न्यायालय को वचनबद्धता के सामने माननीय उच्च न्यायालय आदेशों के अधीन प्रारंभ में उनको बेची हुई प्रारंभिक माात्रा की पुनः बिक्री के सामने हुई हानि के लिए दोषी खरीददारों से वर्ष के दौरान प्राप्त 511.93 लाख रू. की राशि पर 37.87 लाख रू की ब्याज देयता (गत वर्ष शून्य)।

27. 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने के अनुसरण में कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 11 के पार्ट-सी में विनिर्दिष्टानुसार परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के आधार पर कंपनी ने मूल्यह्रास की गणना की है 1 तद्नुसार दि. 1 अप्रैल 2014 को परिसंपत्तियों का अग्रेषित मूल्य उनकी शेष उपयोगी आयु के मूल्यह्रास से किया गया है ।

28. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 302906.52 लाख रूपये (गत वर्ष 53561.65 लाख रूपये) है और शून्य (गत वर्ष 3173.08 लाख रूपये) जो हानि बफर स्टॉक परिचालन के अंतर्गत हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति जो भारत सरकार द्वारा की जानी है । इसमें निम्न व्यय/हानियाँ शामिल है :

i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रशासकीय और स्थापना खर्चो को खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु खरीदी गई कपास गाँठों के सामने संसाधित की गई गाँठो के मूल्य पर आधृत अचल परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास ।

iii) निधियों पर ब्याज, जिसमें बैंक ऋण के साथ-साथ अपनी स्वयं की निधि भी शामिल है, के लिए गणना की गई है :

क) गाँठों में बदलने के लिए संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों की प्रेसिंग की तारीख तक ।

ख) गाँठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए बेची गई और उठायी गई गाँठों के लिए ।

ग) गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2016 तक अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठाई गई गाँठों के लिए ।

ix) Interest liability of Rs. 37.87 lakh (previous year Nil) on the amount of Rs. 511.93 lakh received during the year from the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them under the orders of Hon'ble Bombay High Court.

27. Pursuant to applicability of Companies Act, 2013 with effect from 1st April 2014, the Company has computed depreciation based on the useful life of the assets as specified in Part 'C' of the Schedule II to the Companies Act, 2013. Accordingly, the carrying amount of the assets having remaining useful lives as on 1st April 2014 as per said Schedule are being depreciated since then over the remaining useful life of the fixed assets.

28. Losses amounting to Rs. 302906.52 lakh (Previous year Rs. 53561.65 lakh) arising on account of Support Price operations are reimbursable by the Government of India. These expenses/ losses include:

i) Administrative and establishment expenses for the financial year 2015-16, apportioned on the basis of number of bales processed out of kapas purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets for the financial year 2015-16 allocated based on the value of bales processed out of kapas purchased.

iii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed, computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted - from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted - from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2016.

घ) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए ब्याज को भुगतान की प्राप्ति तक लगाया गया है।

iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन / ग्रे कपड़े के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

vi) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि 17.44 लाख रूपये है (गत वर्ष शून्य रूपये)।

vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

29. वर्ष के दौरान कंपनी ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट तथा रेगुलेशन अधिनियम 2002 (संशोधित) के अंतर्गत कपास खरीदने पर उपकर के प्रति ब्याज देयताओं के लिए 883.12 लाख रू. के लिए प्रावधान किया है (पिछले वर्ष में 812.25 लाख रू.) ।

30. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार निगम ने गुजरात राज्य में कपास मौसम 2011-12 के दौरान बफर स्टॉक के अंतर्गत खरीद कार्य किया । वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 3173.08 लाख रू. की हानि लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई जो भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

वस्त्र मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित 3173.08 लाख रू. के सामने वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 1015.94 लाख रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की है तथा शेष 2157.14 लाख रू. वसूली की अनिश्चितता के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान किया है। (नोट 14 देखें)।

31. अन्य आय में 69.94 रू. (गत वर्ष शून्य रू.) तथा पूर्व अवधि की आय शून्य (गत वर्ष शून्य रू.) शामिल है जो कुल 69.94 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रू.) बनती है, जो चूककर्ता खरीददारों से उनको आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुनः बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए जमा राशि, अग्रिम, लदान प्रभार, ऋण शेष और उस पर ब्याज के लिए है ।

32. व्यापार प्राप्ति योग्य में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार, अन्य व्यापार प्राप्ति योग्य, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा भुगतान योग्य व्यापार पुष्टीकरण/समाशोधन के अधीन है ।

d) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

iv) Tarpaulins expenditure allocated on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/grey cloth expenditure allocated on the basis of the number of bales pressed.

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. 17.44 lakh (Previous Year Rs. 1.63 lakh).

vii) Selling and Distribution expenses on actual basis.

29. Interest liability provided during the year towards 'Cess' on purchase of cotton under the Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 (Amended) amounted to Rs. 883.12 Lakh (Previous year Rs. 812.25 lakh).

30. As per mandate given by Government of India, Ministry of Textiles, the Corporation had undertaken buffer stock operations in the state of Gujarat during the cotton season 2011-12. Losses amounting to Rs. 3,173.08 Lakh were accounted for being reimbursable by the Government of India during financial year 2012-13.

Ministry of Textiles reimbursed only a sum of Rs. 1,015.94 lakh during the year 2013-14 out of Rs. 3,173.08 lakh referred to above and the balance Rs. 2,157.14 lakh was provided for doubtful recoveries (Refer Note 14) in the financial year 2013-14 due to uncertainty of recovery.

31. Other Income includes Rs. 69.94 lakh (Previous Year Rs. Nil) and Prior Period Income includes Rs. Nil (Previous Year Rs. 29.58 lakh) totaling Rs. 69.94 lakh (Previous year Rs. 29.58 lakh) towards deposits, advance carrying charges, credit balances and interest thereon received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them.

32. Trade Receivable comprising NTC subsidiaries, Institutional Buyers, Other Trade Receivable, Loans and Advances, Deposits, Other Current Asset and Trade Payables are subject to confirmation/Reconciliation.

33. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत प्रकटीकरण :

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदान करनेवाली संस्थाओं से पुष्टि प्राप्त की है, जिन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट, 2006) के अंतर्गत जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर किया है तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत मायक्रो, स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राईजेस को देय शेष 66.98 लाख रूपये है (पिछले वर्ष 554.78 लाख रू.)

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान :

		(लाख रूपये में)
को समाप्त वित्तीय वर्ष	**मूल राशि***	**ब्याज**
31.03.2012	205.88	60.75
31.03.2013	2733.02	130.76
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73
31.03.2016	66.98	139.91

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है ।

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ऍक्ट- 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि 'शून्य' है। (गत वर्ष शून्य रूपये) उपरोक्त(i) के अनुसार भुगतान योग्य राशि को छोड़कर ।

(iii) वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद जिसका भुगतान किया गया है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं किया गया है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

33. Disclosure as required under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

The Company has obtained confirmations from suppliers and service providers who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Company, balance due to Micro, Small and Medium Enterprises defined under the MSMED Act, 2006 is Rs. 66.98 lakh (Previous Year Rs. 554.78 lakh).

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

		(Rs. In Lakh)
Financial Year end	**Principal***	**Interest**
31.03.2012	205.88	60.75
31.03.2013	2733.02	130.76
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73
31.03.2016	66.98	139.91

*Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with amount of payment made to the suppliers beyond the appointed day during each accounting year is Nil (Previous Year Nil), except amounts payable as in (i) above.

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act is Nil (Previous Year Nil).

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि निम्नानुसार है :

को समाप्त वित्तीय वर्ष	राशि लाख रू. में
31.03.2012	60.75
31.03.2013	130.76
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73
31.03.2016	139.91

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया राशि वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को भुगतान किया गया है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 139.91 लाख रूपये है । (गत वर्ष 136.73 लाख रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

34. वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुनः बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की राशि हानि के लिए संविदागत गाँठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ताओं के विरूध्द परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या, में मामलों के रूप में लंबित हैं । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, ऐसे मामले के लंबित रहने तक भारत सरकार को देय अन्य देय शीर्ष के अंतर्गत (संदर्भ नोट-4) इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु ली गयी है ।

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is as under:

Financial Year end	Amount Rs. in lakh
31.03.2012	60.75
31.03.2013	130.76
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73
31.03.2016	139.91

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is – Rs. 139.91 lakh (Previous Year Rs 136.73 lakh).

The above information is given to the extent available with the Company.

34. On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1679.63 lakh (Previous Year Rs. 1679.63 Lakh) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in form of large number of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, shall be accounted for on settlement of such cases and are currently shown under the head of Other Long Term Liabilities - Other Payable (refer Note - 4) being payable to the Government of India.

35. लेखा मानक 15 'कर्मचारी लाभाशः' द्वारा अपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी ने लाभ और हानि विवरणी में निम्न राशियों को मान्यता दी है :

	2015-2016 (लाख रूपये में)	2014-2015 (लाख रूपये में)
भविष्य निधि तथा पेन्शन फंड में अंशदान	619.05	559.33
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान	709.45	520.69

(ख) लाभ योजनाओं की परिभाषा / दीर्घावधि प्रतिपूर्ति अभाव :

दि.31.3.2016 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कर्मचारी लाभ योजना के संबंध में वित्तीय विवरणियों में मान्य है ।

35. Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows :

A Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the Statement of Profit and Loss:

	2015-2016 (Rs. in lakh)	2014-2015 (Rs. in lakh)
Contribution to Provident Fund and Pension Fund	619.05	559.33
Contribution to Superannuation Fund	709.45	520.69

B Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences-

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2016 and recognized in the financial statements in respect of Employee Benefit Schemes

(लाख रूपये में) / (Rs. in lakh)

क्र. सं. Sr. No.	ब्यौरे PARTICULARS	उपदान(वित्त पोषित) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) Leave Encashment (Non funded)	
		दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक Components of employer expense**				
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	78.27	64.95	134.84	118.91
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	270.55	315.08	247.33	268.47
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित (c) Expected return on plan assets	(244.91)	(287.40)	0.00	0.00
	(घ) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	2.00	231.03	227.27	358.80
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit and Loss	105.91	323.66	609.44	746.19
ii.	**वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान Actual contribution and Benefit payments**				
	वास्तविक लाभ भुगतान Actual benefit payments	(533.48)	(563.38)	(563.75)	(491.66)
	वास्तविक अंशदान Actual contribution	323.66	62.73	563.75	491.66
iii.	**तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुध्द दायित्व Net liability recognized in Balance Sheet**				
	परिभाषित लाभ बाध्यता की दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3273.62	3416.01	3168.51	3122.82
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	3167.71	3092.35	0.00	0.00
	तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुध्द दायित्व Net liability recognized in Balance Sheet	(105.91)	(323.66)	(3168.51)	(3122.82)

(लाख रूपये में) / (Rs. in lakh)

क्र. सं. Sr. No.	ब्यौरे PARTICULARS	उपदान(वित्त पोषित) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) Leave Encashment (Non funded)	
		दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015
iv	**परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन Change in Defined Benefit Obligations**				
	वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	3416.02	3366.21	3122.82	2868.30
	वर्तमान सेवा लागत Current service cost	78.27	64.95	134.84	118.91
	ब्याज लागत Interest cost	270.55	315.07	247.33	268.47
	बीमांकिकी हानि Actuarial losses	42.26	233.17	227.27	358.80
	देयता का स्थानांतरण Liability transfer in	0.00	0.00	0.00	0.00
	भुगतान किए गए लाभ Benefits paid	(533.48)	(563.38)	(563.75)	(491.66)
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3273.62	3416.02	3168.51	3122.82
v.	**संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in Fair Value of Assets**				
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	3092.35	3303.48	0.00	0.00
	परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	244.91	287.40	0.00	0.00
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company's contribution	323.67	62.73	0.00	0.00
	भुगतान किये गये लाभ Benefits paid	(533.48)	(563.38)	0.00	0.00
	परिसंपत्ति योजना पर बिमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	40.26	2.12	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में परिसंपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	3167.71	3092.35	0.00	0.00

(लाख रूपये में) / (Rs. in lakh)

क्र. सं. Sr. No.	ब्यौरे PARTICULARS	उपदान(वित्त पोषित) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) Leave Encashment (Non funded)	
		दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.3.2016 को As on 31.03.2016	दिनांक 31.3.2015 को As on 31.03.2015
vi.	**बीमांकिकी धारणा** **Actuarial Assumptions**				
	छूट की दर (%) Discount Rate (%)	7.86%	7.92%	7.92%	7.92%
	परिसंपत्ति योजना पर प्रत्याशित प्राप्ति (%) Expected Return on plan assets (%)	7.92%	7.92%	0.00%	0.00%
	संनिघर्षण दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	वेतन वृद्धि (%) Salary escalation (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
vii.	**कुल परिसंपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार परिसंपत्ति योजना की मुख्य श्रेणियाँ :** **The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	100%	100%	0%	0%
	भारत सरकार परिसंपत्तियाँ Government of India Assets*	37.07%	37.41%	0.00	0.00
	कॉरपोरेट बॉन्डस् Corporate Bonds	55.72%	55.61%	0.00	0.00
	विशेष जमा राशि योजना Special Deposits Scheme	5.77%	5.72%	0.00	0.00
	अन्य Others	1.44%	1.26%	0.00	0.00

viii	अनुभव समायोजन / Experience Adjustment	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
क. a.	उपदान / Gratuity					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	3273.62	3416.02	3366.22	3626.00	3759.32
	नियोचित आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Planned Assets	3167.71	3092.35	3303.48	3399.45	3061.11
	अधिशेष/घाटा / (Surplus)/Deficit	105.91	323.66	62.74	226.55	698.21
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	42.27	233.17	(24.54)	89.76	515.95
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Assets [(Gain)/Loss]	40.26	2.12	(4.01)	(33.77)	(43.25)
ख. b.	छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	3168.51	3122.82	2868.30	2837.74	3348.31
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	227.27	358.80	376.50	(267.01)	1229.71

* 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 संपत्ति योजना निवेश सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा बॉन्डस् में किया गया ।

* As at March 31, 2016 and March 31, 2015 the plan assets have been invested in Government Securities & Bonds.

36. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (सेवा कर को छोड़कर)

36. Auditor's Remuneration (Excluding Service Tax)

	ब्यौरे / Particular	2015-2016 (Rs. in lakh)	2014-2015 (Rs. in lakh)
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	22.00*	16.00*
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax/VAT Audit Fees	11.20**	6.28**
ग) c)	प्रमाणीकरण के लिए For certification	2.50	0.00
घ) d)	व्यय की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Expenses	0.87	1.04
	कुल / Total	**36.57**	**23.32**

* पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 4.00 लाख रू.(गत वर्ष 2.00 लाख रू.) लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया ।

** पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 1.50 लाख रू.(पिछले वर्ष 0.50 लाख रू.) लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया । वर्ष 2015-16 में प्रदान किया गया ।

* Includes incremental difference of Audit Fees of Rs. 4.00 lakh (previous year Rs. 2.00 lakh) for financial year 2014-15, paid during the financial year 2015-16.

** Includes incremental difference of Tax Audit Fees of Rs. 1.50 lakh (previous year Rs. 0.50 lakh) for financial year 2014-15, paid during the financial year 2015-16.

37. (क) अकोला शाखा में दि.6.5.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गाँठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूध्द पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं.117/10 दि.8.5.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गाँठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । कथित मामला संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 पूर्णबंधित गाँठों को प्राप्त किया और उन्हें जब्त किया । ये 900 गाँठें एल.सी.बी. यवतमाल के कबजे में है और पुसद में एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में भंडारित हैं । कंपनी ने इन गाँठों के कबजे और बिक्री के लिए मान. न्यायालय में आवेदन किया है । 37.49 लाख रू. की राशि की 300 पूर्णबंधित गाँठें दोषी से वसूल हुई है और एल.सी.बी. यवतमाल जांच कार्यालय में जमा की गयी है । शेष 12 पूर्णबंधित गाँठों के पुलिस जांच चल रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है तथा इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी प्राप्त किया जायेगा, गिना जायेगा । आगे निगम ने माननीय सेशन न्यायालय पौसाद से अनुरोध किया कि 900 गाँठो की नीलामी बिक्री हेतु तारीख नियत करें तत्पश्चात न्यायालय ने 14.06.2016 को ऑन लाईन/ई-ऑक्शन द्वारा पूर्णबंधित गाँठों की बिक्री संचालन करने हेतु 27.07.2016 नियत की गई । तद्नुसार निगम ने ई-ऑक्शन से एमएसडब्ल्यूसी वेअरहाऊस पर रखी 900 गाँठों को बेचा तथा बिक्री कार्य विधि को न्यायालय में आगे की कार्यवाही तक डिपॉजिट किया निगम ने माननीय न्यायालय से ऑर्डस प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ताकि एमएसडब्ल्यूसी वेयाहाऊस से संबंधित पार्टी को निगम ऑर्डर की सुपुर्दगी के साथ गाँठे भी सुपुर्द कर सके ।

(ख) गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 कपास गाँठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कॉर्ट के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 100 कपास गाँठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100

37. (a) In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on 06.05.2010. A Criminal case was registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakh. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation, Police recovered 900 FP Bales and ceased. These 900 bales are in the possession of L.C.B. Yeotmal and are stored in MSWC godowns at Pusad. The Company applied to the Honorable Court, Yeotmal for possession and sale of these bales. Value of 300 FP bales amounting to Rs. 37.49 lakh has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is being investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock and any realization on this account will be accounted as and when received. Further, the Corporation requested Hon'ble session court, Pusad to fix the date for Auction/ Sale of 900 bales. The Hon'ble court fixed date on 14.06.2016 in which Hon'ble court directed to conduct e-auction/online sale of the 900 FP bales on 27.07.2016. Accordingly, the Corporation has sold 900 bales lying at MSWC Warehouse through online e-auction and deposited the sale proceeds in Court till further proceedings. The Corporation has requested Hon'ble court for obtaining the orders (court order for delivery), so that the Corporation can issue delivery order and bales can be delivered to respective party from MSWC warehouse.

(b) In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the

कपास की गाँठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20.81लाख रू. की राशि प्राप्त हुई । 0.83 लाख रू. की राशि गाँठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद 19.98 लाख रू की राशि दि. 19.4.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे गिना जायेगा ।

(ग) कपास मौसम 2014-15 के दौरान भटिंडा शाखा के अबोहर केंद्र में मेसर्स साहिल नागपाल व कंपनी नामक विशेष फैक्टरी पर प्रेस व डिलीवरी वजन में असामान्य अंतर पाया गया । विधि कार्यवाही अपनाने के पश्चात संबंधित फैक्टरी की सिक्यू रिटी राशि को जब्त किया गया तथा फैक्टरी को ब्लैकलिस्ट किया गया । आगे, केन्द्र प्रभारी को फैक्टरी के सुपरवाईज में हुई लापरवाही हेतु चार्जशीट दी गई (5.66 लाख रू. की राशि शामिल) । उनको संचित प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया ।

(घ) कपास मौसम 2014-15 के दौरान भटिंडा शाखा के मौर व तलबंदी केंद्रो पर प्रेस व डिलीवरी वेट में असामान्य अंतर पाया गया । केन्द्र प्रभारी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को चार्जशीट जारी किया गया तथा केन्द्र प्रभारी को की गई हानि का 80% वसूल करने का दंड लगाया गया (18.79 लाख रू. की राशि शामिल) अधीनस्थ कर्मचारियों को वर्तमान में निचले स्तर पर घटौती करने का दंड लगाया गया । आगे यह पाया गया कि इन केन्द्रों पर जिनिंग फैक्टरियों ने जिनिंग कार्य निगम के क्वालिटी मानदंडों के अनुसार पूर्ण नहीं किया । विधिक कार्यवाही करने के पश्चात संबंधित फैक्टरी का डिपॉजिट जब्त करते हुए फैक्टरी को ब्लैक लिस्ट किया गया । केन्द्र प्रभारी व अधीनस्थ स्टाफ को बड़ा दंड देने के उद्देश्य के अंतर्गत चार्जशीट जारी की गई । जांच अभी तक लंबित है ।

(ड.) कपास मौसम 2014-15 के दौरान मदुराई शाखा के एक वरिष्ठ क.क्रे.अ. प्रेस व डिलीवरी वजन में हुए असामान्य. अंतर में शामिल था जिससे निगम को अपरिहार्य हानि उठानी पड़ी (108.16 लाख रू. की

police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20.81 lakh was realized thereof. The amount of Rs. 19.98 lakh after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 0.83 lakh has been deposited with the court on 19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

(c) During the Cotton Season 2014-15, abnormal difference in press and delivery weight was observed at a particular factory namely M/s Sahil Nagpal & Company in Abohar Center of Bhatinda branch. After following the due procedure of law, the security amount of the concerned factory was forfeited and the factory was blacklisted. Further, Center-incharge was charge-sheeted for negligence in supervising the factory (Amount involved Rs. 5.66 lakh). He was awarded a penalty of withholding one increment with cumulative effect.

(d) During the Cotton season 2014-15, abnormal difference in press and delivery weight were observed at Maur and Talwandi centers of Bhatinda Branch. The Center-incharge and subordinate staff were charge-sheeted and penalty of recovery of 80% of loss was imposed upon the center-incharge (Amount involved Rs. 18.79 lakh). The subordinate staff was imposed a penalty of reduction to a lower stage in the time scale of pay. Further, it was found that the factories at these centers had not carried out ginning work as per the quality standards of the Corporation. After following the due procedure of law, the security amount of the concerned factory was forfeited and the factory was blacklisted. The Center-incharge and subordinate staff have been charge-sheeted under the rule pertaining to major penalty. The enquiry is still pending.

(e) During the Cotton Season 2014-15, a senior CPO of Madurai was involved in abnormal difference in press and delivery weight and causing avoidable loss to the Corporation (amount involved Rs. 108.16 lakh).

राशि शामिल) इसके लिए विभागीय जॉच की गई तथा चार्जस भी सिद्ध किए गए । वर्ष 2015-16 के दौरान अनुशासनिक कार्रवाई ने सेवाएँ भंग करने का दंड लगाया ।

च) कपास मौसम 2014-15 के दौरान मदुराई व कोयम्ब्तूर के कनिष्ठ कपास क्रेता अधिकारी कपास गाँठों की कृत्रिम पैकिंग में शामिल थे जिसके फलस्वरूप गाँठों में वजन की हानि पायी गई तथा पूर्ण भुगतान प्राप्त किए बगैर बिनौला की सुपुर्दगी भी दी गई । वे भी प्रेस वजन व डिलीवरी वजन के मामले में असामान्य कमी में शामिल थे (48.99 लाख रू; की राशि शामिल) विभागीय जांच की गई जिसमे चार्जस सिद्ध किए गए । वर्ष 2015-16 के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी ने दोनो कर्मचारियों पर सेवा भंग करने का दंड लगाया गया ।

38. प्रमाणित मात्रात्मक प्रकटन

(क) आरंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, बेचे गये और तैयार माल के पण्यवार ब्यौरे

A departmental enquiry was conducted and charges were held proved. During the year 2015-16, the Disciplinary Authority awarded penalty of dismissal from service.

(f) During the Cotton Season 2014-15, two junior CPOs at Madurai and Coimbatore Branch were involved in fake packaging of cotton bales resulting in weight loss and also delivered cotton seed without collecting full payment. They were also involved in causing abnormal weight shortages in the matter of Press weight and delivery weight (Amount involved Rs. 48.99 lakh). A departmental enquiry was conducted and charges were held proved. During the year 2015-16, the Disciplinary Authority awarded penalty of dismissal from service to both of them.

38. Quantitative Disclosure

A) Commodity wise breakup of opening stock, purchases, sales and Closing Stock of Raw Material, Traded and Finished Goods.

मद / Items	उपभोग / Consumption	
	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
कपास* Kapas*	**4777122** (44805063)	**197033.37** (1830442.15)
पैकिंग सामग्री Packing Material	–	**1202.23** (6983.29)
तारपोलिन Tarpaulins	–	**4.36** (4.36)
कुल Total	–	**198239.96** (1837429.80)

पूर्णबंधित गाँठे तैयार करने में हुई रूई का उपभोग :-
Lint consumed for making FP Bales:-

वस्तु Item	उपभोग क्विंटल्स् में Consumption (in Qntl.)***
रूई Lint	1533451 (14395930)

विपणित माल Traded Goods	खरीद / Purchases	
	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	0	0.00
कुल Total	0	0.00

माल का स्वरूप Nature of Goods	बिक्री Sales		अंतिम मालसूची Closing Inventory		आरंभिक मालसूची Opening Inventory	
देशी कपास संसाधन Domestic Cotton Processing	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
पूर्णबंधित गाँठें(संख्या में) FP Bales (in No.)	**8633843 (**419451)	1327843.38 (74983.78)	902398 (8619183)	147117.24 (1503018.63)	8619183 (395960)	1503018.62 (70580.32)
रूई (क्विंटल में) Lint (in Qntls)	453 (330)	42.68 (36.01)	****8 (32)	0.59 (3.39)	****32 (20)	3.39 (1.18)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds (in Qntls)	4041285 (27907786)	71501.07 (408763.44)	8001 (933043)	180.71 (14434.83)	933043 (67141)	14434.83 (1148.46)
कुल Total		1399387.13 (483783.23)		147298.54 (1517456.85)		1517456.85 (71729.96)

विपणित माल Traded Goods						
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल Total	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोटः- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित है.

* अग्नि में नष्ट 82.60 क्विंटल्स (गत वर्ष 7449.01 क्विंटल्स) 3.29 लाख रू. की कपास शामिल है, (गत वर्ष 383.93 लाख) जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

** पूर्ण-बंधित गाँठों में, 20,179 (गत वर्ष 2,809) 3,672.11 लाख रू. (गत वर्ष 493.14 लाख) पूर्ण बंधिक गाँठें अग्नि में खोयी/ क्षतिग्रस्त/चोरी/परिवहन में खोयी आदि शामिल है, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

*** अग्नि में नष्ट 17.27 लाख रू. (पिछले वर्ष 27.64 लाख रू.) की 153.64 क्विंटल्स जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं ।

**** प्रक्रिया में हुई हानि के पश्चात

Notes: Figures in bracket relates to previous year

* includes 82.60 qtls. (previous Year 7449.01 qtls.) amounting to Rs. 3.29 Lakh (previous year Rs. 383.93 lakh) kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

** Includes 20,179 (previous Year 2,809) F.P. bales, amounting to Rs. 3,672.11 lakh (previous year Rs. 493.14 lakh) lost in fire/ damages/theft/ transit loss etc against which insurance claims has been lodged by the Corporation.

*** includes 153.64 qtls (previous Year 254.68 qtls) of Lint amounting to Rs. 17.27 Lakh (previous year Rs. 27.64 lakh) lost in fire for which insurance claims lodged.

**** after adjusting processing loss.

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन

B) Earnings in Foreign Currency :

(Rs. in lakh)

	F.Y. 2015-2016	F.Y. 2014-2015
माल के निर्यात पर : Export of Goods on: -		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	Nil	Nil
सी एंड एफ आधार पर CIF basis	11,268.72	Nil
लदान प्रभार Carrying charges	Nil	Nil
निर्यात पर विनिमय अंतर Exchange difference on Export	172.21	Nil

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)

C) Expenditure in foreign currency :

(Rs. in lakh)

S. No.	ब्यौरे / Particulars	2015-2016	2014-2015
(i)	यात्रा Travelling	0.29	0.79
(ii)	पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals and Subscription	4.87	6.15
(iii)	निर्यात पर कमीशन Commission on export	Nil	Nil
(iv)	निर्यात पर रखरखाव प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges and Exchange difference on Export	Nil	Nil

39. सेग्मेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय शामिल है ।

ख) आगे भारत के बाहर कुल बिक्री की 10% बिक्री हुई है अतः भौगोलिक सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

39. Segment Reporting:

a) The Company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk and returns, this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) Further, the sales outside India is not more than 10% of the total sales, hence geographical segment is not reported.

40. Calculation of Earnings per Share

ब्यौरे / Particulars	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) (लाख रूपये में) A) Profit Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	1169.27	2258.63
ख) ईक्विटी शेयर्स की वेटेज औसत संख्या B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर्स नाममात्र मूल्य C) Nominal Value Per Equity Share (in Rs.)	100	100
घ) मूल और तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर्स (रू) (क/ख) D) Basic and Diluted Earnings per share (in Rs.) (A/B)	46.77	90.35

41. संबंधित पार्टी की घोषणा

41. Related Party Disclosure

1) संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. Sr. no.	संबंधित पार्टी का नाम Name of related party	संबंध Relationship
a.	श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director	मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel
b.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त) Shri Pradeep Kumar Agarwal, Director (Finance)	
c.	श्री एम.एम.चोक्कलिंगम, निदेशक(विपणन) Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)	

2) वर्ष के दौरान सौदे
Transactions during the year :

क)	**पारिश्रमिक**	(रूपये लाख में)
A.	**Remuneration**	(Rs. in lakh)
	- वर्तमान वर्ष - Current Year	81.60
	- गत वर्ष - Previous Year	76.28

निगमित कार्यकलाप मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दि.05 जून, 2015 के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 in respect of Managerial Remuneration are not applicable to the Company vide notification no. G.S.R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

ख) ऋण (ऋण पर ब्याज शामिल करते हुए) :

B) Loans (Including interest on Loans):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakh)

निदेशको का नाम Directors Name	दि.01/04/2015 को आरंभिक शेष Opening Balance as on 01/04/2015	वर्ष के दौरान लिये गये Taken during the year	वर्ष के दौरान भुगतान किये गये Repaid during the year	दि.31/03/2016 को बकाया शेष Balance outst-anding as on 31/03/2016	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum Balance outstanding during the year
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल **Shri Pradeep Kumar Agarwal**	**0.06** (0.11)	**0.00** (0.50)	**0.05** (0.55)	**0.01** (0.06)	**0.06** (0.61)
कुल **Total**	**0.06** (0.11)	**0.00** (0.50)	**0.05** (0.55)	**0.01** (0.06)	**0.06** (0.61)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के है)
(Previous Year figure in bracket)

42. निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः वाणिज्यिक खरीद 4.74 लाख गाँठों के सामने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्यतः समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत 86.43 लाख गाँठों (कपास से संसाधन की हुई गाँठें) की खरीद की है । तथापि परिचालन व अन्य व्यय पिछले वर्ष के खर्च से तुलना योग्य नहीं है ।

42. During the financial year 2015-16, the Corporation has procured 9.17 lakh bales as against 86.43 lakh bales during the previous year (Bales processed from Kapas) and 86.34 lakh bales sold during the current year as compare to 4.20 lakh bales during the previous year. Therefore, the Statement of Profit and Loss figures are not comparable to previous year's figures.

43. डेरिवेटिव संविदाओं को शामिल करते हुए कंपनी के पास कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके कारण कंपनी को कोई भावी आर्थिक हानि हो सके ।

43. The company does not have any long–term contracts including derivatives contracts for which there could be any material foreseeable losses.

44. कंपनी द्वारा इनवेस्टर एडयूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरण करने योग्य कोई राशि नहीं है ।

44. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

45. वित्तीय रिपोर्टिंग और उसकी पर्याप्तता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली :

कंपनी के प्रबंधन ने अपनी सभी शाखाओं पर नियमित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम, लेखा कार्यविधि तथा नीतियों के अनुपालन के साथ आंतरिक नियंत्रण के स्थापन, नियंत्रण तथा प्रभावशाली रूप से मूल्यांकन करने के लिए भारत के सनदी लेखापाल इंस्टीटयूट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा नोट पर जारी दिशा-निर्देशानुसार आंतरिक नियंत्रण को अनिवार्य घटक माना है ।

कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी की नीतियों के पालन, परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने, अनियमताओं व छल कपट को खोजने व रोकने, लेखा रिकार्डस की यथार्थता व पूर्ण करने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने को शामिल करते हुए व्यापार को व्यवस्थित करने तथा कुशलतापूर्वक आचरण सुनिश्चित करने के लिए इसमें डिजाइन, कार्यान्ववयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव शामिल है ।

निगम में प्रबंधन ने अपनी ओर से वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को परीक्षण करने व मान्य करने के लिए सनदी लेखापाल की फर्म को नियुक्त किया है । तद्नुसार उन्हों ने अनुपालन परीक्षण का कार्य किया है व उन आधारों पर प्रबंधन की राय है कि वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है, जो प्रबंधन द्वारा परिचालन के आकार, स्केल व जटिलता के अनुरूप है ।

45. Internal Financial Control System over Financial reporting and their adequacy (IFCOR):

Management of the Company has considered the essential components of internal controls as stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India for establishing, monitoring and to evaluate the efficacy of internal control system in the Company regularly, its compliance with operating systems, accounting procedures and policies at all branches / locations of the Company.

These include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and for the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Management appointed a Chartered Accountant firm to test and validate internal financial control over financial reporting implemented in the Corporation on its behalf. Accordingly, they have carried out the compliance testing and basis which, the Management is of the opinion that the Company has an adequate internal financial control system over financial reporting, which is considered commensurate with the size, scale and complexity of its operations by the Management.

46. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनः निर्धारित / बताया गया है ।

46. The previous year figures have been regrouped / restated wherever necessary.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 26 अगस्त 2016
Date : 26th August, 2016

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115

दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851

दिनांक : 1 सितंबर 2016
Date : 1st September 2016

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

इलाहाबाद बैंक	ALLAHABAD BANK
आंध्रा बैंक	ANDHRA BANK
बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूको बैंक	UCO BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	UNITED BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK



फार्म नं. एमजीटी-11
FORM NO. MGT - 11

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM

(कंपनीज. अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसरण में कंपनीज.(प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के साथ पढ़ा जाये ।)

{Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 19(3) of the Companies (Management and administration) Rules, 2014}

सीआईएन नंबर / CIN Number : U51490MH1970GOI014733

कंपनी का नाम / Name of Company : THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

पंजीकृत कर्यालय / Registered Office : 'KAPAS BHAVAN', PLOT NO 3A, SECTOR – 10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI – 400 614

सदस्यों के नाम / Names of Member :

पंजीकृत पता / Regd. Address :

ई मेल आई डी / E-mail ID :

फोलियो नं. / Folio Number :

मैं उपरोक्त कंपनी के एक शेयर सदस्यता के नाते एतदद्वारा दिनांक _____ को आयोजित कंपनी की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेने व मेरे लिए व मेरी ओर से तथा वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में दिए अनुसार ऐसे संकल्प के बारे में किसी प्रकार के स्थगन पर वोट करने के लिए मेरी प्रॉक्सी के लिए श्री/श्रीमती _____ _____को नियुक्त करता हूँ ।

I, being the member (s) 1(one) Shares of the above named Company, hereby appoint Shri/Smt._____ _____ as my proxy to attend and vote (on a poll) for me & on my behalf at the 46th Annual General Meeting of the Company to be held on _____ _____ and at any adjournment thereof in respect of such resolution as given in Notice of AGM.

हस्ताक्षर की तारीख / Signed this _____

हस्ताक्षर / Signature: _____

[**नाम** / Name:_____]

NOTES

NOTES



Designed & Printed by creativeline2009@gmail.com